राजस्थान विधान सभा

४६ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक–३० जुलाई, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ८ बजकर १६ मिनट (मध्यान्ह पूर्व) पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न । श्री चाँदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या १२२४

राजस्थान में रुई का आयात व निर्यात तथा खपत

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान की टेक्सटाइल मिल्स में ५३–५४ के वर्ष में कितने मन रुई कपड़ा व सूत बनाने के उपयोग में लाई गई ?

(२) उक्त रुई में से राजस्थान के बाहर से मंगाई हुई रुई कितनी थी ?

(३) उक्त वर्ष में राजस्थान के बाहर कितनी रुई भेजी गई है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(१) २,६६,२१३ मन रुई कपड़ा व सूत बनाने के काम में लाई गई है ।

(२) रुई पर कस्टम की आयात ड्यूटी नहीं है इसलिए राजस्थान में १९५३-५४ में बाहर से आयात की हुई रुई के आँकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

[श्री जयनारायण व्यास]

(३) सन् १९५३-५४ में ४,११,२२० मन रुई राजस्थान के बाहर भेजी गई जिसमें से खुली २३,८६३ मन व गांठबन्धी ३,८७,३५७ मन थी। इस पर कस्टम ड्युटी के ७३,०६१) रु० व १३,६४,८१३) रु० योग १४,३७,८७४) रुपये वसूल किए गए।

श्री चाँदमल मेहता--क्या यह सही है कि राजस्थान में अच्छी किस्म की रुई पैदा नहीं होने से बहुत बड़ी तादाद में बाहर से आयात किया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है।

श्री चाँदमल मेहता—आखिरकार दोनों में से किसको सही माना जाय ?

श्री जयनारायण व्यास—जो सही है वह सही हो जायगा, गलत है वह गलत हो जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कितने अंशों तक सही है और कितने अंशों तक गलत है ?

श्री जयनारायण व्यास—आप प्रश्न करते हैं, वह शतशः गलत है।

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान में रुई बाहर से क्यों मंगाई जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास—रुई की खपत उत्पादन से ज्यादा होने लगी है।

प्रश्न संख्या १२२५

अभ्रक उद्योग में विषम संकट

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Industries be pleased to answer :—

(a) Is the Government aware that the Mica Industry is facing a serious crisis ?

(b) Will the Government state the total number of labourers employed in this industry in Rajasthan during 1948-49 and 1953-54 respectively ?

Page No.3

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(c) Is the Government aware that the labour force has gone down by 1/12th during this period ?

(d) What steps do the Government propose to take to mitigate this serious situation ?

श्री जयनारायण व्यास—[a] Yes. There has been a general fall in demand of, and a consequent decline in the prices of mica.

[b] The total number of labourers employed in mica industry in Rajasthan is given below :—

1948-49......Figures not available.

1953-54......5,135. [Daily average]

[c] The exact decrease in labour force cannot be determined as the figures of 1948-49 are not available. There has, however, been a decrease in the number of labourers employed, as was naturally due to decline in prices.

[d] The matter is receiving the attention of the Government.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इस बारे में कोई जाँच करने का प्रयत्न किया कि प्राइसेज़ के अलावा और भी कोई कारण है जिससे कि यह संकट पैदा हुआ है ?

श्री जयनारायण व्यास—खपत कम हो गई। माँग कम हो गई है।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि नेताओं के लेबर को बरगलाने की वजह से भी यह बात पैदा हुई है ?

श्री जयनारायण व्यास—कुछ अंश में यह बात सही है।

श्री खेतसिंह—गवर्नमेंट इसके लिए क्या सोच रही है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहती है ?

श्री जयनारायण व्यास—नेताओं की तो पेशी ही चलेगी। कानूनी शिकंजे में आ जावेंगे तो पकड़ लिए जावेंगे।

Page No.4

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के मारकेटिंग सेन्टर नहीं बनने की वजह से भी यह संकट पैदा हुआ है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह बात ठीक नहीं है। संकट का कारण यह है कि हमारा और बिहार का बहुत-सा स्टॉक इंग्लैण्ड में पड़ा है और बिहार का माइका राजस्थान से अच्छा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह बात सही है कि राजस्थान का माइका बिहार के उन लोगों के जरिये ही एक्सपोर्ट किया जा सकता है ?

श्री जयनारायण व्यास—हो सकता है कि इसका एक्सपोर्ट करने के लिए आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं समझा गया हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिस भाव से यह राजस्थान के बाहर जाता है और जिस भाव से हिन्दुस्तान के बाहर जाता है उसकी कीमत के बीच में २५ प्रतिशत का डिफरेन्स है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस बारे में ठीक नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ मिडल मैन होगा तो उसमें डिफरेन्स रहेगा ही।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मिडल मैन की वजह से यह संकट पैदा हुआ है ?

श्री जयनारायण व्यास—कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री खेतसिंह—सरकार को जब मालूम है कि लेबर को नेता लोग बरगलाते हैं, तो भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती ?

श्री जयनारायण व्यास—संविधान में ऐसा है कि बहुत से नेता बरगलाने वाले पकड़े नहीं जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, प्रश्न संख्या १२२६। श्री चाँदमल मेहता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे असली सप्लीमेंटरीज रह गए हैं।

श्री तेजमल बापना—एक बहुत इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रह गया है।

Page No.5

प्रश्न संख्या १२२७

राजस्थान में अफीम का नशे के रूप में प्रयोग

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में नशे के रूप में अफीम खाने वालों की संख्या कितनी है ?

(२) ऐसे व्यक्तियों को अफीम खाने की आदत छुड़ाने के लिए क्या राज्य सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ?

(३) यदि हाँ, तो वह कहाँ तक सफल हुई है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(१) अफीमचियों की गणना अभी तक नहीं हुई है, इसलिए आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(२) भारत सरकार की नीति के अनुसार हर वक्त अफीम भारत सरकार की ओर से १० प्रतिशत कम मिलता है। इस नीति के अनुसार १९५९ तक अफीम मिलना बन्द हो जावेगा। अफीम की खपत अब दिन ब दिन कम होती जा रही है। सरकार ने इसको कम करने के लिए इसकी कीमत भी बढ़ाकर ४॥) रु० तोला कर दी है।

(३) इसका जवाब (२) में आ गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—राजस्थान में जितनी तादाद में अफीम पैदा हो रहा है उससे ज्यादा पैदा करने की तजवीज सरकार कर रही है, क्या यह सही है ?

श्री जयनारायण व्यास—हटाने की तजवीज सरकार कर रही है, बढ़ाने की तजवीज नहीं कर रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—राजस्थान के कौन से हिस्सों में अफीम खाने वाले सबसे ज्यादा है ?

(बीकानेर और जैसलमेर की आवाज)

श्री जयनारायण व्यास—मेरे ख्याल से बीकानेर में भी होंगे लेकिन अब तक जो आँकड़े प्राप्त हुए हैं, वे जयपुर और जोधपुर के हैं। अगर आप चाहें तो बता सकता हूँ कि कहाँ पर अफीम ज्यादा खर्च होती है।

श्री अध्यक्ष—This question cannot be decided by representation in the House.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—पर केपीटा खपत जैसलमेर में सबसे ज्यादा है।

श्री जयनारायण व्यास—इसकी अलग जाँच नहीं हुई है, इसलिए कहना ठीक नहीं। जहाँ तक अफीम के जाने से ताल्लुक है जोधपुर और जयपुर में ज्यादा खाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—शेरगढ़ का स्थान कौन-सा है?

श्री जयनारायण व्यास—यह रास्ते में जोधपुर में रह जाता है, किसी पार्टी के ऑफिस में।

श्री तनसिंह—क्या शराब के लिए भी सरकार ऐसी ही नीति अपनावेगी?

श्री जयनारायण व्यास—अभी तो अफीम का प्रश्न है, शराब का प्रश्न हो नहीं है।

श्री तनसिंह—क्या सरकार शराब के लिए भी कुछ सोचती है?

श्री जयनारायण व्यास—अभी तो हमारे सामने अफीम का ढेर है, शराब की बोतल नहीं।

एक माननीय सदस्य (काँग्रेस)—हाउस में कितने सदस्य जो यहाँ पर मौजूद हैं अफीम के आदि हैं?

श्री जयनारायण व्यास—वे अपने दिल पर हाथ धर कर देख लें।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—क्या सरकार अफीम को एक साथ बन्द करने वाली है?

श्री जयनारायण व्यास—यह एक साथ बन्द नहीं हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह—क्या धीरे-धीरे बन्द करने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ेगा?

Page No.7

श्री जयनारायण व्यास—एक साथ अफीम को बन्द करने से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ेगा।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—इससे काश्तकारों को कितना नुकसान होगा, क्या यह सरकार के ध्यान में है?

श्री जयनारायण व्यास—हो सकता है कि काश्तकारों को कुछ नुकसान हो, लेकिन देश का बहुत हित होगा?

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—क्या इससे देश को नुकसान नहीं होगा?

श्री जयनारायण व्यास—देश में अफीमची नहीं चाहिए।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अफीम दवाइयों के काम भी आता है।

श्री जयनारायण व्यास—उस हद तक उस पर कोई रोक नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—क्या दवाइयें बनाकर इससे लाभ नहीं उठाया जा सकता?

श्री जयनारायण व्यास—अफीम की दवाइए इतनी ज्यादा नहीं होतीं।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि नशे में सबसे बहतरीन नशा अफीम का है?

श्री भैरूँसिंह (वि० सं०)—क्या यह भी सही है कि इससे रंग भी काला हो जाता है?

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या यह सही है कि शेरगढ़ में यहतमाखू के साथ मिला कर पी जाती है?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० १२२७

सिरोंज में चुनाव-कार्य के लिए कार्य करने वाले कोटा डिवीजन के अध्यापकों के टी० ए० तथा डी० ए० बिल की स्वीकृति

श्री झुंझारसिंह—**Will the Chief Minister be pleased to state:—**

[श्री कुँभारसिंह]

Why the T. A. and D. A. bills for the school teachers in Kotah Division, posted at Sironj for election work have not been sanctioned as yet ?

How long more would they have to wait for the payment of their dues ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)--The T. A. Bills in question could not be sanctioned so far due to non-availability of funds under the relevant budget-head. No waiting is now necessary since the necessary funds have been put under disposal of the Collectors concerned who are taking prompt action to arrange payment.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Sir, there is one question, in regard to this Sironj elections T. A.

श्री अध्यक्ष—Yes.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह प्रश्न जो टी० ए० और डी० ए० का है, वह जनरल इलेक्शन का टी० ए० और डी० ए० अभी तक उनको नहीं मिला है या बाई इलेक्शन का नहीं मिला है ?

श्री जयनारायण व्यास--बाई इलेक्शन का नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२२८

किशनगढ़ सब-डिवीजन की मिनरल सर्वे

श्री चाँदमल मेहता--क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिविजन की मिनरल सर्वे (Mineral Survey) नहीं की गई ?

(२) यदि हां, तो क्या, इस सब-डिविजन में उक्त प्रकार की सर्वे (Survey) करने की कोई सरकार की योजना है ?

[श्री चाँदमल मेहता]

(३) क्या यह सही है कि इस सब डिविजन में पन्ना और चांदी मिलने की काफी सम्भावना है ?

श्री जयनारायण व्यास—जियोलोजीकल सर्वे इंडिया द्वारा भूतकाल में किशनगढ़ की खनिज जाँच (मिनरल सर्वे) का कार्य कुछ अंश तक किया गया है, लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

(२) जियोलोजिकल सर्वे इंडिया द्वारा भूगर्भिक जाँच का कार्य भारत सरकार करती है। इस राज्य की खनिज एवं भूगर्भ विभाग द्वारा भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों की जाँच का कार्य किया जाता है। इस विभाग द्वारा राजस्थान के सब भागों में खनिज जाँच का काम हाथ में लेने का विचार है।

(३) इस प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त खनिज जाँच के पश्चात ही दिया जा सकता है।

प्रश्न संख्या १२२६

राजस्थान में मोडल का मार्केटिंग सेन्टर खोलना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Industries be pleased to answer :—

(a) It is a fact that mica marketing centres are in existence both in Bihar and Madras, the two principal Mica producing states, whereas there is no such marketing centre in Rajasthan ?

(b) Is it a fact that during the year 1950-51 the then Industries Minister invited applications for grant of dealer's license ?

(c) What happened to those applications and why has no dealer's license been yet granted to anybody in Rajasthan.

(d) Is the Government aware that because of absence of dealer's license, our Mica Industries virtually remains at the mercy of other middlemen ?

श्री जयनारायण व्यास—(a) Yes.

(b) Partially true.

[श्री जयनारायण व्यास]

(c) As in (b)

(d) No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पार्शियली ट्रयू से उनका क्या मतलब है ?

श्री जयनारायण व्यास—इसका मतलब यह है कि उस समय के इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर ने एप्लीकेशन्स इन्वाइट की थीं, लेकिन कोई रेस्पोन्स नहीं मिला।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या यह समझा जावे कि कोई एप्लीकेशन्स नहीं आईं ?

श्री जयनारायण व्यास—जब एप्लीकेशन्स इन्वाइट की गईं और कोई रेस्पोन्स नहीं तो..........

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कम से कम ४०-५० एप्लीकेशन्स राजस्थान सरकार के पास आईं ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने कहा एप्लीकेशन्स नहीं आई हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्रीजी इस बात की जाँच करने का प्रयत्न करेंगे कि एप्लीकेशन्स आई हैं, उनके रिमाइन्डर्स आये हैं और सरकार ने एक्नोलेजमेन्ट इश्यू किये हैं और सब कार्यवाही इस सम्बन्ध में हो चुकी है।

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य का इशारा सजेशन्स की ओर किया गया है। डीलर्स लाइसेन्स के लिए एप्लीकेशन्स नहीं आईं।

श्री तेजमल बापना—क्या यह सरकार की जानकारी में है कि इस सम्बन्ध में डेपुटेशन्स मिले थे और इसके लिए निवेदन किया गया था कि डीलर्स लाइसेन्स दिये जाँय ?

श्री जयनारायण व्यास—अगर किसी ने ऐसा कहा हो तो मुझे पता नहीं है। किन्तु जहाँ तक डीलर्स लाइसेन्स का सवाल है वह पूरा नहीं हुआ ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह समझा जाय कि जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है डीलर्स लाइसेन्स देने में कोई आपत्ति नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—जी हाँ।

श्री अध्यक्ष- नेक्स्ट

श्री हरिकृष्ण व्यास--मेरा एक छोटासा प्रश्न और है।

क्या यह समझा जाय कि इस सिलसिले में उपयुक्त रूल्स और कानून बनाने की कार्यवाही सरकार ने शुरू कर दी है ?

श्री जयनारायण व्यास--मैं नहीं कह सकता कि रूल्स बन चुके हैं अथवा बनाने की कार्यवाही जारी है। यह एक अलग प्रश्न है और इसके लिए अलग प्रश्न पूछा जाय।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२३०

राजस्थान में हड्डी उद्योगों के कारखानें तथा हड्डियों का निर्यात

श्री चाँदमल मेहता--क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में हड्डी के उद्योगों के कितने कारखाने हैं और उन कारखानों में हड्डी से क्या-क्या माल तैयार किया जाता है ?

(२) ५३-५४ के वर्ष में उक्त कारखानों में कितने टन हड्डी काम में लाई गई ?

(३) उक्त वर्ष में राजस्थान के बाहर कितने टन हड्डी भेजी गई ? सबसे बड़ा ग्राहक राजस्थान की हड्डी का कौनसा प्रान्त है ?

श्री जयनारायण व्यास (उद्योग एवं मुख्य मन्त्री)--राजस्थान में हड्डी के छः कारखाने हैं :

१. हीरा क्रशिंग लिमिटेड, जोधपुर।

२. राज ट्रेडर्स लिमिटेड, जयपुर।

३. बोन मिल्स, पलाना।

४. मेवाड़ बोन मिल्स, गोसुन्डा।

५. कोटा बोन मिल्स, कोटा और

[श्री जयनारायण व्यास]

६. बली एन्ड कम्पनी, जयपुर।

यह हड्डी खाद के काम में आती है। कृषि विभाग को लिखा गया है कि वह खुद भी उपयोग में लेवें और काश्तकारों को इससे फायदा उठाने की प्रेरणा करे।

(२) सन् ५३-५४ के अङ्क प्राप्त नहीं हैं। ५२-५३ में १२, ५१५ टन हड्डियाँ काम में लाई गई।

(३) सन ५३-५४ में ८२६ टन यानि २३,२२१ मन हड्डी राजस्थान से बाहर भेजी गई है, जिसकी कस्टम निर्यात ड्यूटी की रकम १२,२५६।।) वसूल हुई है। इसमें हड्डियों की वह तादाद शामिल नहीं है जिस पर कस्टम ड्युटी नहीं ली जाती है। राजस्थान की हड्डी का कौनसा प्रान्त बड़ा ग्राहक है इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

श्री खेतसिंह--क्या यह सही है कि किशनगढ़ में सबसे ज्यादा हड्डी-पसली दो वर्षों में चूर हुई है?

श्री अध्यक्ष--ऑर्डर! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२३१

राजस्थान राज्य में कपास की उत्पत्ति

श्री रामदयाल उपाध्याय--क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राज्य में कपास की कुल कितनी पैदावार है, जिसमें से कितना प्रतिशत देशी और कितना प्रतिशत जरिला बंगाली कपास पैदा होता है?

(ख) राजस्थान में चलने वाली कपड़े की मिलों को कुल कितने कपास की प्रतिवर्ष जरूरत रहती है, और किस-किस किस्म के कितने-कितने कपास की?

श्री जयनारायण व्यास--(क) राजस्थान प्रान्त में ५३-५४ में कपास की कुल पैदावार १,७३,५६२ टन थी इसमें १,४४,८८५ टन देशी और २८,६७७ टन जरिला बंगाली थी।

(ख) ५३-५४ में टेक्सटाइल मिलों में २,६६,२१३ मन भारतीय रूई काम में लाई गई। इसके आँकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

Page No.13

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या देशी और जरिला बंगाली कपास की पहिचान के लिए सरकार के पास कोई मशीन है ?

श्री जयनारायण व्यास—एक्सपर्ट लोग ही पहिचान सकते हैं। असेम्बली में इसके लिए ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—सरकार के पास ऐसी कोई मशीन है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट लोग मशीन के और बिना मशीन के पहिचान सकते हैं। यह टेक्निकल सवाल है जिसके लिए जवाब देना मेरे लिए कठिन है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—मैं यह जानना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार के पास इस प्रकार की कोई टेस्टिंग मशीन है क्या ? एक्सपर्ट के अलावा मशीन भी है या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह एक अलग प्रश्न है और यदि अलग तरह से पूछा जाय तो जवाब प्राप्त किया जा सकता है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—मैं यह जानना चाहूँगा कि ये जो आँकड़े दिए हैं वे मशीन के आधार पर अलग-अलग दिये गए हैं या वैसे ही एक्सपर्ट की ओपिनियन दे दी गई है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह उत्तर, विभाग की सूचना के आधार पर दिया गया है। मशीन के आधार पर जाँच होती है या एक्सपर्ट के द्वारा जाँच हुई है यह अलग प्रश्न है और इसका जवाब जब तक अलग प्रश्न न पूछा जाय मैं नहीं दे सकता।

श्री गुरुदयालसिह सन्धु—अमेरिकन और जरिला बंगाली कपास कितनी हुई ?

श्री जयनारायण व्यास—एक्सपर्ट से इसके बारे में जानना चाहें तो मैं आपको एक्सपर्ट के सम्पर्क में डाल दूंगा; टेक्सटाइल एक्सपर्ट भी हैं और कोटन एक्सपर्ट भी हैं।

श्री गुरुदयालसिह सन्धु—अमेरिकन कॉटन कितनी हुई ?

श्री जयनारायण व्यास—कितनी तरह की रूई होती है- इन सब की सूचना मेरे पास नहीं है। तार की लम्बाई, बीज और रंग के बारे में सूचना देने में मैं असमर्थ हूँ। यदि माननीय सदस्य इसमें रुचि रखते हैं तो मैं उनको किसी विशेषज्ञ के सम्पर्क में डाल दूंगा। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं और इस सम्बन्ध में सूचना नहीं दे सकता।

Page No.14

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—लोंग स्टेपल और शोर्ट स्टेपल कितनी है ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२३२

राजस्थान में चमड़े के औद्योगिक कारखाने

श्री चान्दमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में चमड़े के औद्योगिक कारखाने कहाँ-कहाँ हैं ?

(२) उक्त कारखानों से पिछले ५ वर्षों में कितने-कितने मूल्य का क्या क्या माल तैयार किया गया ?

(३) उक्त माल में से कितने मूल्य का राजस्थान के बाहर भेजा गया ?

(४) पिछले ५ वर्ष में कितने मूल्य का चमड़े का बना हुआ माल राजस्थान द्वारा आयात किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) राजस्थान में चमड़े के कोई औद्योगिक कारखाने पॉवर से चलने वाले नहीं हैं। छोटे-छोटे कारखाने जिनमें हाथ से काम होता है वे निम्न जगहों पर स्थित हैं:

जोधपुर, पीपाड़, बाड़मेर, सुवाना, परतापनगर, मारवाड़पाली, रानी, बाली, एरनपुर, सुमेरपुर भरतपुर, जयपुर आदि-आदि।

(२) यह सूचना प्राप्त नहीं है क्योंकि अभी तक कुटीर उद्योगों का सर्वे नहीं हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके मातहत वह छोटे २ कुटीर उद्योग हमारे यहाँ ऐसी सूचना देते रहें।

(३) राजस्थान में तैयार किये हुए यानी रंगे हुए व बनाये हुए चमड़े में से पिछले ५ वर्षों में कितने मूल्य का चमड़ा राजस्थान से बाहर भेजा गया, इसके आँकड़े कस्टम्स विभाग में उपलब्ध नहीं हैं; क्योंकि चमड़े पर निर्यात ड्युटी प्रति मन के हिसाब से है। फिर भी निर्यात की मिकदार व कस्टम्स ड्युटी की वसूली के आइटम नं० १०५ के अन्तर्गत पिछले चार वर्ष के आँकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं :—

		निर्यात ड्युटी की रकम
सन् १९५०–५१	७।) प्रतिमन	१४,८४२)रु०
१९५१–५२	,,	१०,१६५) रु०

Page No.15

[श्री जयनारायण व्यास]

१६५२-५३	७॥) प्रतिमन	११,४५०) रु०
१६५३-५४	"	१५,६१८ रु०

(४) पिछले पाँच वर्षों में नीचे लिखे मूल्य का चमड़े का बना हुआ माल कस्टम्स टेरिफ आइटम नं० १०७ के अन्तर्गत राजस्थान में आयात किया गया:

	मूल्य	आयात ड्युटी की रकम ६।) रु० प्रति सैकड़ा की रेट से ।
१६५०-५१	४,६१,१५७)रु०	३४,३३२) रु०
१६५१-५२	५,६४,७११)रु०	३२,८७६) रु०
१६५२-५३	२,४२,०३४)रु०	१५,२६६) रु०
१६५३-५४	३,३०,७२२)रु०	२०,१७८) रु०

श्री चाँदमल मेहता—इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के पास क्या कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री जयनारायण व्यास—जी। सरकार की तरफ से पुलिस आदि महकमों को हिदायत दे दी गई है कि जहाँ तक हो सके बूँट पट्टे आदि चमड़े का सामान लोकल्ली मेन्युफैक्चर करवा कर काम में लें।

श्री तेजमल बापना—जिन कारखानों के विषय में अभी बताया गया है तो क्या वे चल रहे हैं या बन्द पड़े हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—ये कारखाने हमने बनाये नहीं, ये तो चल रहे हैं।

श्री तेजमल बापना—क्या ये सब चल रहे हैं या इनमें से कोई बन्द भी हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—समझा तो यही जाता है कि ये चल रहे हैं। यदि बीच में कोई बन्द हो गया हो तो पता नहीं क्योंकि सूचना रेगुलरी आने का कोई नियम नहीं है।

श्री कँवरलाल जेलिया—राजस्थान में चमड़े के उद्योग के इतने साधन होते हुए भी क्या पॉवर के कारखाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार को, पॉवर का इसके लिए कारखाना चले तो खुशी होगी। पॉवर के कारखाने की योजना न तो सरकार की ओर से ही है और न प्राइवेट सेक्टर की ओर से।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—सब से ज्यादा चमड़ा किस डिवीजन में तैयार होता है?

श्री जयनारायण व्यास—यह अन्दाजन कहा जा सकता है, जोधपुर में ज्यादा चमड़ा तैयार होता होगा।

श्री कँवरलाल जेलिया—भारत सरकार से राजस्थान सरकार को जो रुपया चमड़े के व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिये मिला उस रुपये को खर्च करने की क्या योजना सरकार के पास है?

श्री जयनारायण व्यास—कौन सी राशि से माननीय सदस्य का मतलब है, अगर बतलाने की कृपा करेंगे तो मैं टटोलने की कोशिश करूँगा।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि चमड़े की बहुत बड़ी और मोटी मोटी खालें बीकानेर डिवीजन से आती हैं?

श्री जयनारायण व्यास—आती नहीं बाहर जाती हैं।

श्री जवानसिंह—क्या राजस्थान सरकार की ओर किसी व्यक्ति को बाहर भेजा गया विशेषज्ञ बनने के लिये और वह बाहर से आ गया है?

श्री जयनारायण व्यास—एक व्यक्ति आया है।

श्री जवानसिंह—क्या आप उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस समय उसका नाम नहीं बता सकता।

श्री जवानसिंह—क्या वह विधान सभा का सदस्य है?

श्री जयनारायण व्यास—विधान सभा का सदस्य तो नहीं किन्तु वह एक विद्यार्थी था जिसे जयपुर युनिट द्वारा विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिये बाहर भेजा था और वह काम सीखकर वापिस लौट आया है।

श्री जवानसिंह—क्या उसने जो कुछ सीखा उससे सरकार ने फायदा उठाने का विचार किया है?

श्री जयनारायण व्यास—वह अभी-अभी लौटकर आया है; उससे सरकार ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है।

रावत श्री शम्भूसिंह—राजस्थान में लोगों ने मुर्दा मवेशियों को उठाना छोड़ दिया है, इसलिये मुर्दा मवेशियों को बाहर डाल दिया जाता है इससे चमड़ा खराब हो जाता है। इससे चमड़े के व्यवसाय को धक्का पहुँचता है, क्या इस विषय में सरकार ने कुछ कार्यवाही करने की सोची है?

Page No.17

श्री जयनारायण व्यास—इसके इम्प्लीकेशन्स क्या-क्या हैं, उसको चमड़े के साथ लपेटने की कोशिश नहीं करनी चाहिये नहीं तो बदबू आने लग जायगी।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की हिदायत पुलिस विभाग को कितने दिन पहले दी कि वह सब माल राजस्थान में बना हुआ ही प्रयोग में ले ?

श्री जयनारायण व्यास—जहाँ तक बन सके राजस्थान का बना हुआ ही माल प्रयोग में ले, इस प्रकार की हिदायत दी गई है।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—क्या यह सही है कि इस प्रकार की हिदायत देने के बाद भी काफी माल बाहर से मँगाया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—हो सकता है बाहर से भी माल मँगाया गया होगा क्योंकि यहाँ उस स्टैंडर्ड का माल उपलब्ध नहीं होगा।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या यह सही है कि शेरगढ़ से भेड़ों की खालें ज्यादा आती हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री तेजपाल—माननीय अध्यक्ष, मुझे इसमें कुछ सप्लीमेन्टरी करना है जो बहुत आवश्यक है। भरतपुर जिले में चमड़े के काम करने वाले बहुत हैं वहाँ साधारण कीमतों पर अच्छी-अच्छी चमड़े की चीजें मिलती हैं, वहाँ पर व्यवसाय कोआॅपरेटिव बेसिस पर भी चलता है ?

श्री जयनारायण व्यास—मन्त्रीजी को इस बात का पता है, पहले भी भरतपुर से पुलिस के लिये जूते लिये गये थे। इस वर्ष भी भरतपुर के चमड़े के काम करने वालों को कहा गया था उनसे टेन्डर माँगे गये थे किन्तु कोई भी इतनी बड़ी मात्रा में माल सप्लाई करने को तैयार नहीं हुआ। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा यदि कोई चमड़े के बूँट बनाने को तैयार हों तो उनको आर्डर देने की कोशिश की जायगी।

श्री तेजपाल—क्या भरतपुर से टेन्डर माँगे गये थे ?

श्री जयनारायण व्यास—टेन्डर तो अखबारों द्वारा निमन्त्रित किये जाते हैं। भरतपुर के चमड़े के काम करने वाले लोग यदि साधारण कीमतों पर जैसा कि दूसरी कम्पनियाँ देती हैं देने को तैयार हों और उसी क्वालिटी का माल हो तो भरतपुर से अवश्य जूते लिये जायेंगे और काफी तादाद में बूँट खरीदे जायेंगे।

श्री तेजमल बापना—जो सूची आपने बतायी थी उसमें सुवाणा नाम भी आपने बताया है वहाँ जो फेक्टरी थी वह अधिकारियों के सहयोग न मिलने के कारण दो साल से बन्द है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह तो आप सूचना दे रहे हैं।

प्रश्न संख्या १२३३

भीलवाड़ा लोडिंग ट्रक एसोसियेशन की ट्रकों का आसीन्द तथा टोंक के चुनाव में प्रयोग

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) भीलवाड़ा लोडिंग ट्रक एसोसियेशन की जो ट्रकें आसीन्द और टोंक के चुनाव में सरकार द्वारा रिक्विज़िशन में ली गयी थीं उनके किराये का पेमेन्ट अब तक हुआ या नहीं ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) भीलवाड़ा लोडिंग ट्रक एसोसियेशन की जो ट्रकें आसीन्द असेम्बली चुनाव-क्षेत्र में चुनाव के काम में ली गई थीं उनका किराया चुकाया जा चुका है। उक्त एसोसियेशन की जो ट्रकें टोंक पार्लियामेन्ट्री चुनाव-क्षेत्र में चुनाव के काम में ली गई थीं उनका किराया इसलिए नहीं दिया जा सका कि एसोसियेशन ने बहुत ऊँची दरों पर किराया माँगा है जब कि इसी चुनाव क्षेत्र में काम में लिए गए अन्य ट्रकों का किराया उचित दरों पर चुकाया जा चुका है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ख) अवश्य करना चाहती है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री को यह पता है कि टोंक वाले जो किराया माँगते हैं वे उनके साथ हुए एग्रीमेन्ट के मुताबिक ही माँगते हैं ? क्या सरकार एग्रीमेंट के मुताबिक किराया देना नहीं चाहती ?

श्री जयनारायण व्यास—ज्यादा माँगते हैं इसलिये नहीं दिया गया। आमतौर पर ३०-३५ की रेट थी किन्तु यह ५० रुपये माँगते हैं इसीलिये यह झमेले में पड़ा हुआ है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—यह कौनसी पार्टी के हित के लिये काम में लिए गए ?

श्री जयनारायण व्यास—चुनाव में जितनी भी पार्टियों ने भाग लिया था तमाम के हित के लिए ये ट्रक रिक्वीजिशन किये गये थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि भीलवाड़े के कलेक्टर ने यह ट्रक रिक्वीजिट किये ?

श्री जयनारायण व्यास—जी हाँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या वह इतने ही रुपये मांगते हैं जितने कि भीलवाड़ा जिले में ट्रक्स के लिये दिये गये थे ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is said that the average rate is fixed. I am asking whether the demand is commensurate with the payment made for purposes of election.

श्री अध्यक्ष—The reply is that the demand is at a higher rate than what is given to this......

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, no, no. This is in respect to Tonk probably.

श्री अध्यक्ष—No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes. And I am asking for confirmation, Sir.

श्री जयनारायण व्यास—I am talking of Tonk constituency that the rates were never higher than the demand.

श्री हरिकृष्ण व्यास—And I am asking regarding the requisitioning authority and the payment made by that authority in respect of all other requisitions.

श्री जयनारायण व्यास—I do not know what were the rates prevalent in Bhilwara, but in a particular constituency the rates which are prevalent in that constituency are paid, and not the rates higher than that.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ट्रक भीलवाड़े में रिक्वीज़िट किये गये और पेमेन्ट टोंक कलेक्टर कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—This is a different question.

श्री तेजमल बापना—Whether there was any agreement for rates which were settled already.

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ अगर एग्रीमेन्ट हो जाता तो ५० रुपये तक देने पड़ते।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—भीलवाडा में और और जगह किस हिसाब से चुकाया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—किस हिसाब से चुकाया गया, कब चुकाया गया; यह मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि एग्रीमेन्ट के मुताबिक कलेक्टर टोंक पेमेन्ट करने से मना कर रहा है ?

श्री जयनारायण व्यास—एग्रीमेन्ट की कोई इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या १२३४

सन् ५३-५४ के वर्ष में किशनगढ़ सब डिवीजन का सडकों के लिये कंकर का ठेका

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योगमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ़ सब डिवीजन का कंकर का ठेका ५३-५४ के वर्ष का किसको कितने रुपये में दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि कंकर का चूरा जो सड़कों पर डाला जा रहा है उसकी रॉयल्टी कंकर के ठेकेदार को नहीं दिलाकर अन्य ठेकेदारों को दिलाई जा रही है ?

(३) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री जयनारायणव्यास(मुख्य मन्त्री)—(१) ५३-५४ का कंकर का ठेका किसी को नहीं दिया गया।

(२) नहीं।

(३) यह सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या कंकर का नहीं तो पत्थर का कोई ठेका दिया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—जी, पत्थर के तो दिये गये हैं बहुत।

श्री चांदमल मेहता—क्या कोई ठेका ताराचन्द नामक व्यक्ति को दिया गया है कंकर का ?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे कंकर-पत्थर के सब ठेकेदारों की नामावली याद नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—आपने अभी कहा कि कोई ठेका नहीं दिया गया उसके लिए कहता हूँ कि यह ठेका वास्तव में दिया गया है, इसलिये उस व्यक्ति का नाम पूछकर जानना चाहता हूँ कि ऐसा ठेका दिया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—वास्तव में ऐसा कोई ठेका नहीं दिया गया। आपने जो यह कहा कि दिया गया है तो आपकी यह सूचना गलत है।

Page No.21

श्री चांदमल मेहता—सदस्य की सूचना गलत है, यह जवाब गलत है। इसके विषय में क्या माननीय मुख्य मन्त्रीजी जांच करने को तैयार हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—माननीय सदस्य की सूचना शत-प्रतिशत गलत है, मैं जाँच करके ही जवाब दे रहा हूँ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा का कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्न लिखित सदस्य ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है:—

श्री तेजराजसिंह (१५०) १६ जुलाई, १६५४ से ५ अगस्त, १६५४ तक

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिये समय में वृद्धि

राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) संशोधन विधेयक, १६५४

श्री अध्यक्ष—श्री भोलानाथ।

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the Rnport of the Select Committee on the Bill further to amend the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952, be extended upto the last day of the current session

श्री हरिकृष्ण व्यास—Last day of the......?

श्री अध्यक्ष—Current session.

Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

Leave is granted.

राजस्थान भूधारण विधेयक, १६५३ पर अग्रेतर वाद-विवाद

Further discussion on the Rajasthan Tenancy Bill.

(विराम)

Yes, shri Mahar.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, काश्तकारी कानून के बारे में बोलते हुए मैंने कल अपने भाषण में कुछ मुद्दों पर रोशनी डाली थी। आज मैं इस सिलसिले में इस बिल के अन्दर कूओं और तालाबों के बारे में जो खामियां हैं उन पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

कूओं के बारे में यह कानून बिलकुल मौन है। माननीय अध्यक्षजी, इस विषय में मैं आपके जरिये सदन को बतलाना चाहता हूँ कि एक आदमी जो हजारों रुपया लगाकर कुआ बनाता है उसको अगर उस कुए से किसी प्रकार का रिटर्न नहीं मिलता है तो उसके साथ आज के जनतन्त्र के युग में सरासर अन्याय है। यह कह देना कि जागीरदारों ने कुए बनाये उसका बारानी की जगह चाही का लगान मिलने लगेगा, यह काफी नहीं होता।

अगर यहाँ जागीरदार के दो बेटे होते हैं, जिनमें से एक जयपुर में आकर पाँच हजार की लागत का मकान बना लेता है और दूसरा अपने गाँव में अपनी जमीन पर एक कुआ खोद लेता है तो जो जयपुर में मकान बनाता है उस आदमी को यह कह देना कि तुम तो अपने मकान का अनाप-शनाप किराया लिये जावो, जिस तरह चाहो करो उस पर सरकार कोई एतराज नहीं करेगी, दूसरी तरफ जो भाई गांव के अन्दर पैसा लगाकर कूआ बनाता है, गांव को इम्प्रूव करता है, उसको यह कह देना कि बारानी की जगह तुम्हें चाही का लगान मिलता है, अब तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता है और वह चाही का लगान भी क्या मिलेगा? जागीरदारी एबोलीशन के साथ वह भी खतम हो जावेगा। यह सरासर अन्याय है।

इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन से और खास कर सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि कूओं के बारे में कुछ न कुछ हल जरूर निकालना चाहिये। कूए बनाने वाला हमेशा यह उम्मीद करता था कि इस कूए से कुछ न कुछ लाभ होगा पर यह दुर्भाग्य की बात है कि इस काश्तकारी कानून में इसके बारे में कोई चीज नहीं है।

यह नहीं कि जगीरदारों के ही बनाये हुए कुए हों, कई गांव के दूसरे लोगों के भी बनाए हुए कूए हैं। अब तक लोग उन की नाल भर लिया करते थे, कोई क्या लेता था और कोई क्या वसूल करता था, कोई कितना हिस्सा लेता था, पर इस कानून के बाद उसका वह हक भी खतम हो जाता है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि इस कानून में कूओं के बारे में कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर होनी चाहिये।

कल मैंने दरख्तों के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे। इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करूंगा कि दरख्त को काटने का खातेदार की जमीन में काश्तकार को पूरा हक होना चाहिये। अगर यह नहीं हुआ तो ग्रामीणों के साथ सरासर अन्याय होगा।

इसके अलावा मैं तो यह उम्मीद करता था कि इस कानून की तहत जब कि इसका नाम ही काश्तकार कानून है तो सरकार कोई ऐसा नया तरीका अपनावेगी कि जिसकी वजह से काश्तकारों को अपना माल वगैरह बेचने के लिए सुविधाएं मिलेंगी। इसके अन्दर यह कानून इस सिल-

[श्री मानसिंह महार]

सिले में बिलकुल मौन है। इसके बारे में इसमें कोई चीज नहीं है। जब तक सरकार काश्तकार को अपना सामान बेचने के लिए और वह भी सही भाव पर बेचने की सुविधा प्रदान नहीं करती है, तब तक काश्तकार का भला नहीं हो सकता है।

दूसरी बात, इस सिलसिले में जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि इस कानून के अन्दर जो खातेदार और गैर खातेदार के बारे में बातें हैं उस सिलसिले में भी यह दुर्भाग्य की बात है कि जो जयपुर टीनेन्सी एक्ट और मारवाड़ टीनेन्सी एक्ट के अन्दर खातेदार काश्तकार को हक-हकूक दिये गये हैं उतने हक-हकूक भी राजस्थान टीनेन्सी बिल के अन्दर काश्तकार को नहीं दिये गये हैं। यह बिलकुल सही चीज है कि जितने खातेदार टीनेन्ट को हक इन दोनों टीनेन्सी एक्टों के अन्दर थे उनको इस बिल के अन्दर घटा दिया गया है। आज के युग में जब यह कहा जाता है कि हम सामन्ती प्रथा से छुटकारा पाकर काश्तकार की बहबूदी चाहते हैं, काश्तकार को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जब हम यह कहते हैं कि इस युग में तो हम काश्तकार को सर्वे-सर्वा मानते हैं, काश्तकार को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसमें अगर आप आज से दस वर्षों पूर्व बने कानूनों से भी पीछे हटते हैं तो यह काश्तकारों के साथ सरासर अन्याय है।

ये दो-चार बातें कहते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपील करूंगा कि यह कानून जल्दी से जल्दी सदन पास करे और इसमें दो चार खामियाँ जो रह गई हैं और जो काश्तकार के हकों को हानि पहुँचाने वाली दो-चार बातें रक्खी गई हैं उनको जरूर हटाया जाकर इस कानून को जल्दी से जल्दी पास किया जावे।

श्री किशनलाल शाह—विथ य्यू रेसपेक्ट टू दी चेयर, सर, हिन्दुस्तान के आजाद हो जाने के बाद जो हमारी मूल समस्या थी उस समस्या को सुलझाने के लिए समय-समय पर कुछ कदम उठाये गये हैं, किसानों के हित के लिए। इस प्रश्न पर जब हम विचार करने के लिए खड़े होते हैं तो मुख्य तौर पर इसके दो भाग हो जाया करते हैं। वह इस तरह से कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद और लोकप्रिय सरकारों के इन समस्याओं के सुलझाने के लिए उठाये गये कदमों के पहले जो अवस्था थी, ठेकेदारी की जो प्रथा थी, जागीरदारी, जमींदारी और ठेकेदारी की जो प्रथाएं थीं, और उस वक्त में वे उस भूमि के सर्वेसर्वा थे, यहाँ तक कि इन्सान को अपनी भूतल पर पैर रखने देने तक का उनको अधिकार न था और उसकी गुलामी पसन्द नहीं करते तो वहाँ से निर्वासित होना पड़ता था। उनकी मरजी में आये जिस तरह से उसको भोगा है। उनके अमानवीय अत्याचारों और उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति को वह स्वीकार करता। इस पृष्ठभूमि से आगे बढ़कर आज के युग में जो हमारे सामने है अगर उसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस बात का श्रेय लेने का अधिकार रखती है कि उन्होंने प्रगति की है, परन्तु उसका एक दृष्टिकोण और भी है और इस श्रेय के जब हम पीछे देखते हैं कि हम हमारे आदि स्थान से कहाँ तक चले आये हैं, तो सोचते हैं कि हमने प्रगति की है; लेकिन जब गन्तव्य स्थान की ओर देखते हैं कि कहां तक जाना है तो

[श्री किशनलाल शाह]

हम अपने आपको धीमा पाते हैं। इन मुख्य दो दृष्टिकोणों से आगे बढ़कर जब हम देखते हैं तो हमको पता लगेगा कि गन्तव्य स्थान का लक्ष्य, आज की परिस्थितियां, उसकी समस्याओं के समाधान करने का टैक्नीक, और क्रियान्वित कराने का जाब्ता, यह चार बातें हमारे सामने आ जाती हैं। उस उद्देश्य की ओर जब हम देखते हैं तो राजस्थान टिनेन्सी बिल, स्पष्टतः यह कहना चाहता हूँ कि जो विभिन्न रियासतें थीं उनमें कई में कोई कानून नहीं था, कहीं पर खिचड़ी था और कहीं पर अन्धेरे में टटोलने वाला मार्गदर्शक था। उन सबको संग्रहीत करके एक रूपता देने के लिए, मैं समझता हूं, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह बिल पास करना है। उसके आगे दूसरा उद्देश्य है। To provide for certain measures of land reforms and matters connected therewith; कुछ अंशों में भूमिसुधार हमारे यहाँ किया गया है। इससे स्पष्ट है कि यह बिल जिस लक्ष्य तक पहुँचना था, हम आगे कदम उठाना था उसकी पूर्ति कहां तक करता है, और हमारे गन्तव्य स्थान, लक्ष्य; जब कि हिन्दुस्तान का नवनिर्माण हो रहा है उस वक्त में जो भी गांव हैं उसका मुख्य धन्धा या सहयोगी धन्धा काश्तकारी है, गांवों का मूल श्रोत उसके जीवनयापन का मुख्य धन्धा जो है वह कृषि है; और कृषि को उसका, गांव के, जीवनयापन का जरिया हमने एक लक्ष्य माना है और यह लक्ष्य भारतीय आयोग ने भी माना है, उस लक्ष्य के अन्दर इस टिनेन्सी बिल का जो लक्ष्य है वह क्या उतरता है ? इस वजह से उद्देश्य के बाद में जो यह परिस्थितियां आई हैं, और जब हम गन्तव्य स्थान की ओर देखते हैं और यह कहते हैं कि परिस्थितियां ऐसी हैं तो उनका समधान होना चाहिए।

एक दूसरा और है जो पीछे से उतरकर यह देखता है कि हम पीछे से कितना आगे आ गये हैं। वह देखता है कि परिस्थितियां ऐसी हैं इसलिए यह है मि० चेयरमेन, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई विल सबमिट, कि यह दोनों दृष्टिकोण गलत हैं। कांग्रेस की राजनीति दोनों के बीच में चलने की है। उसमें कई लोग नाम लेते हैं सारे समूचे गांव का, लेकिन वह एक बहाना है। वह उस नीति के बिल्कुल विरुद्ध पड़ता है। जिस गन्तव्य स्थान की ओर, जिस उद्देश्य की ओर चलना चाहिए वह उसमें रोड़े अटकाने वाला साबित होगा। एक दूसरी तरफ से, मि० चेयर मेन मैं यह कहूँगा कि दलील आई है गाँव के लिए। उन्होंने जागीरदारों का प्रतिनिधित्व करते हुए यह भी कहा कि इतनी जमीन दी जाती है। लेकिन उनकी इसी दलील से लाभ होगा उनका। वे कहना चाहते हैं कि गाँवों को रियासतें देना चाहिए। वे समूचे गावों को दिलवाना चाहते हैं लेकिन वे लोग उसमें रुपये में से चौदह आना खा जाना चाहता हैं। वे मानसिंह महार जैसे दोनों के बीच में ले जाने वाले डेमोक्रेटिक टाइप के लोग ही इस तरह की दे सकते हैं (हियर, हियर)। यह हिपोक्रेसी उन्हीं तक सीमित हो जाय।

किन्तु भू-समस्या के सुलझाने के लिए एक दूसरा दृष्टिकोण हमारे सामने आया है। वह प्रतिनिधित्व करने का दावा रखते हैं; मि० चेयरमेन, आई वान्ट टू बी एक्सक्यूज्ड इफ आई से, गरीबों का लेकिन अवलम्बन किया जाता है जागीरदारों का। वे जानते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा

[श्री किशनलाल शाह]

जमीन काश्तकारों को मिलेगी तो काश्तकारों से हमको खुदकाश्त में मिलेगी इसलिए वह किसानों के प्रतिनिधि बनकर यह कहते हैं कि हमें इतनी जमीन चाहिए। वह उनकी भलाई की बात है। उसको समझते हैं। नतीजा यह है कि जहाँ पापुलेशन को ध्यान में नहीं रखेंगे तो उसके अधिकारों पर घोर अन्याय करना है।

आज राजस्थान में बड़े ठेकेदार हो गये हैं। आज नये ठेकेदार बनते जा रहे हैं। इन दोनों के अलावा तीसरा वर्ग है जो कि किसान-मजदूर का वर्ग है उस शोषित जनता के लिए उन दोनों के दृष्टिकोणों में कोई भी स्थान नहीं है। मैं हरिजन मंत्री से निवेदन करूंगा कि दूसरे मामलों में जो उन्होंने दखल किया है तो कम से कम उन हरिजनों के लिए, जो भूमिहीन हैं, उनकी भू समस्या को सुधारने के लिए उनको दखल करना चाहिए। उनका गन्तव्य स्थान पर जाने का जो टेकनीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं उससे आगे बढ़कर बाकी की जो जमीन रह जायगी उसका उपयोग क्या होगा? इस बिल में क्या होगा उसको देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। वे सिर्फ काश्तकारों को हकूक देकर उनके पास से पैसा वसूल करने के लिए एक शोषण का जरिया कायम रखना चाहते हैं। इस तरह से बिल के अन्दर उतरते हुए निश्चित आधार पर कह सकता हूँ कि ऐसा हम भी कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं। इसलिए, मि० चेयरमेन, मैं आपके जरिये उनसे अपील करूंगा कि कितने भी अधिकार दिये हैं वे जिन परिस्थितियों में है कि 'वीर भोग्या वसुंधराः' यानी जो सबल और सामर्थ्यवान हैं उसके पास ज्यादा से ज्यादा हैं न कि जितनी उसको जरूरत हो उतनी रहे। उन अधिकारों का कोई शोषण न करे, कोई फायदा उठाये; चाहे गांव के नाम पर, चाहे मिलिट्री के नाम पर या सिविल सरवेन्ट के नाम से हो। वह अधिकतम कानून के जरिये से दूसरों का शोषण करें। वह अपने आप संबन्ध रखते हैं कागजों से। उसको किस प्रकार से फायदा उठाने के लिए यह बिल अधिकार देता है। इसका कारण यह बताते हैं कि हम भू-समस्या को टुकड़े-टुकड़े करके सुलझा सकते हैं जैसे यूटीलाइजेशन बिल, कोलोनाइजेशन बिल और प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्टस बिल। मैं, मि० चेयरमेन, आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूँ कि जिस कानून के जरिये से आज यह करना चाहते हैं और आगे के सुधारने के लिए उसके बीच में जो पीरियड जायगा उसके विषय में आगे चलकर मुसीबतें खड़ी कर देता है। इसको भी देखने की आवश्यकता है। उसका कोई समावेश, इस बात का कानून बनाने का एक लेजिस्लेशन का एक नियम है, वह उसके विरुद्ध है। यह टेक्नीक जो एडॉप्ट किया गया है उसमें यह ख्याल है। उसमें इस ख्याल की ओर जाना है। उसके लिए एक अधिकार रहे। इस दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूँ तो एक बात उत्पन्न होती है कि इस बिल के प्रति हमारा क्या रुख हो। जो रुख होगा उस पर बहस में बाद में निवेदन किया जायगा लेकिन ऐसा मालूम होता है कि राजस्थान में कांग्रेस को ठोकर देने के लिये विरोधी दल हर प्रकार के प्रयत्नों में लगा हुआ है। रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। जिस समय यह बिल बनाया गया था उस समय यहां की परिस्थिति दूसरी थी जो आज बदल गई है, इसलिये इस अपील के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि मन्त्री महोदय सारे दृष्टिकोणों से विचार करेंगे और हरिजन मन्त्रीजी भी इस पर गौर करेंगे।

श्री बलवीरसिंह—चेयरमेन महोदय, आज यह बात किसी से छिपी हुई नहीं हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में जिस गरीब जनता ने, जिन किसानों और मजदूरों ने, जिस गरीब फिरके ने, जिस-जिस क्लास ने अपनी बरबादी की और जो इस तरह का स्वप्न, ख्वाब देखना चहते थे या देख रहे थे कि आजाद हिन्दुस्तान में हम सबकी हालत एक जैसी होगी। आजाद हिन्दुस्तान में गरीब किसानों, मजदूरों, हरिजनों और जितनी भी क्लासेज हैं, बड़े-बड़े जागीरदार बड़े-बड़े राजा-महाराजा और बड़े से बड़े कैपिटेलिस्ट सब के साथ एकसा व्यवहार किया जायगा, लेकिन, मिस्टर चेअरमेन, जो आज राजस्थान टिनेन्सी बिल सदन के सामने आया है उनको असली माने में देखा जाय तो साफ है कि ऐसी कोई बात नहीं है।

On the one side we are finishing feudalism and on the other side we are pleasing the Jagirdars today.

इसमें कोई शक नहीं कि पुराने सामन्तवाद को चाहे एक माने में यह कहदें कि हम खत्म कर रहे हैं और दूसरे माने में नया सामन्तवाद, नये जागीरदार, आप पैदा कर रहे हैं, वे चाहे बड़े किसानों के नाम से जागीरदार हों, लेकिन वे आज के उन जागीरदारों से जो आज सामन्तवादी तत्व कहलाते हैं और कल वे ही किसानों के नाम से कहलावेंगे, किसी तरह से कम नहीं हैं। यह टिनेन्सी बिल जब सिलेक्ट कमेटी के सामने आया था उस वक्त मैंने कहा था कि यदि सबलेटिंग को बढ़ावा दिया गया या सबलेटिंग की कोई गुंजायश रखी गई तो राजस्थान के उन गरीब किसानों, उन हरिजनों और उन किसानों के जिनके पास जमीन नहीं है और जिनकी हालत बुरी है, उनके प्रति अन्याय होगा। ऐसा करने से उनको जमीन नहीं मिलने वाली है। हर साल जो कानूनी लगान वसूल किया जाता है और उसमें भी छूट दी जाती है उससे दुगना, डेढ़ गुना और यहाँ तक कि चार गुना तक लगान वे इस बिल के अन्तर्गत ले सकेंगे। जब पहले एक खुली चीज हो गई थी कि छठी बाढ़ी से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। बावजूद इस कानून के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में ज्यादातर हिस्सों में अब भी कम से कम आधा या आधे से ज्यादा कहीं किस नाम से और कहीं किस नाम से आज भी वसूल किया जाता है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चेलेन्ज कर सकता हूँ कि इस तरह की शिकायत सरकार के सामने की गई हैं और आज तक बावजूद उन किसानों को जिनसे आधे से ज्यादा हिस्सा लिया गया है वह वापिस नहीं लौटाया गया है। तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की छूट देने के बाद उनको मनमानी करने से कोई रोक नहीं सकेगा। मैं, चेअरमेन महोदय, आपके जरिये इस सदन को बताना चाहता हूँ कि आज इस टिनेन्सी बिल से जागीरदारों के साथ सौदाबाजी की गई है। यही कारण है कि जागीरदारों को इस तरह का बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वे किसानों को कुचल दें, दबोच दें और जो कुछ लोग आगे बढ़े हैं उनको जबर्दस्ती कुचला जाय।

श्री जवानसिंह—ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर, माननीय सदस्य इस बिल के सिलसिले में जो सिलेक्ट कमेटी बनी थी उसके सदस्य थे; क्या उनको बिना नोट ओफ डिसेन्ट दिये खिलाफत करने का हक है ?

श्री सभापति (श्री गुलाबचद कासलीवाल)—मैं इसको खिलाफत करना नहीं समझता (श्री बलवीरसिंह से) आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री बलवीरसिंह (भाषण जारी रखते हुए)—चेयरमेन महोदय, आपके जरिये मैं यह बताना चाहता हूँ कि यदि इस तरह से उन भोले भाले किसानों और मजदूरों के साथ, उस गरीब वर्ग के साथ जिसे आज तक कुचला गया है, जिसके साथ आज तक खिलवाड़ की गई है उसके लिये निवेदन करूंगा कि जो बिल राजस्थान की ८० प्रतिशत जनता से ताल्लुक रखता है, जो राजस्थान के ८० प्रतिशत गरीबों से ताल्लुक रखता है, उसको इस तरह मजाक न समझें। इस बिल के बारे में हम यह चाहते हैं कि इस बिल से ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। थोड़े लोगों का नुकसान भी इससे हो सकता है लेकिन ७५ लोगों का बुरा हो और २५ लोगों का भला हो, यह नहीं हो सकता।

खुदकाश्त के नाम से जो डेफिनिशन दी गई है उसमें उतनी छूट रखी गई है कि चाहे वह खुदकाश्त करे, चाहे दूसरे लोगों से काश्त करावे, चाहे लेबर रखकर काश्त करावे; चाहे जिस तरह से वह कर सकता है। इस तरह की छूट यदि किसी कानून में हो सकती है तो किसी भी किसान को जमीन नहीं मिल सकेगी। वह कह सकते हैं कि हमने मजदूरों से काश्त कराई या फलाँ तरीके से काश्त कराई। कानून में कोई इसके लिये गुंजायश नहीं है। जिन लोगों के पास १००० बीघा या इससे भी अधिक जमीन खुदकाश्त के लिये है वह उनके पास से निकलनेवाली नहीं है। जिन किसानों के पास बिलकुल ही जमीन नहीं है उनको जागीरदारों की जमीन मिलनेवाली नहीं है। आप यदि यह कहें कि हम सीलिंग मुकर्रर कर रहे हैं और उसके बाद हम जमीन पर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो सीलिंग जब मुकर्रर की जायगी उस समय जागीरदार लोग अधिक जमीन, जो इजाफा जमीन उनके पास रहेगी उसको अपने रिश्तेदारों या स्त्री-बच्चों के नाम कर देंगे। इस तरह की चालाकियाँ चलेंगे जिससे कि जमीन उन्हीं के पास रहेगी जिनके पास अब है।

इसके बाद खातेदारी राइट्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। जिस समय सिलेक्ट कमेटी के पास यह बिल था उस वक्त स्थिती दूसरी थी। उस समय जागीर रिज़म्पशन बिल इस हाउस के सामने नहीं आया था, लेकिन जब वह कानून पास हो चुका और जब जागीर रिज़म्पशन में यह चीज आ चुकी है तो मेरे खयाल से टिनेन्सी बिल में खातेदारी राइट्स साफ दर्ज होने चाहिये। उन गरीब किसानों को जिन्हे परेशानियाँ उठाने के बाद भी खातेदारी राइट्स नहीं मिल सके उनको राइट्स नहीं मिल सकते इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे सरकार की है जिसने इस तरह की व्यवस्था नहीं की, इस तरह का इन्तजाम नहीं किया जिससे कि वे खातेदारी राइट्स पाते। इसलिए आज जब इस तरह का पूरे राजस्थान के लिये कानून बनाया जा रहा है और उसमें भी उन किसानों को खातेदारी राइट्स से वंचित रखा जाता है तो मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है।

जब इस तरह के दूसरे कानून बना कर सरकार जागीर लैंडस में किसानों के खेत हैं उनसे उनको इस तरह से वंचित रखे, यह किसी तरह न्याय संगत नहीं है। इसलिये, मिस्टर चेयरमेन, सर, मैं आपके जरिये इस सदन में से अर्ज करूंगा कि इस तरह की रेस्ट्रिक्शन्स इसमें हैं वे नहीं रखी जाँय।

अब रहा जमीन बेचने का सवाल। जमीन बेचने का जहाँ तक मामला है, वह खास तौर से इस तरह की खुली छूट किसानों को हुई तो गांवों में ब्याह-शादी आदि में फिजूल खर्ची करेंगे। क्यों

[श्री बलवीरसिंह]

कि उनको पता है कि जमीन बेच कर पैसे तो हमें मिल सकते है। वे लोग आगे की नहीं सोचते हैं, उसी वक्त की बात सोचते हैं, और इस तरह जमीन एक दफा उनके हाथ से निकलने के बाद फिर उनके हाथ नहीं आने की है। इसलिये जमीन बेचने का हक, जो खुली छूट है, वह ठीक नहीं है। इसके अलावा एक बात और है। जमीन देने का सवाल है कि फ्री सेल हो, इसमें इतना जरूर होना चाहिये कि जो जमीन को काश्त करना नहीं जानते, जो खुदकाश्त आज भी नहीं कर सकते, परसनली खुदकाश्त नहीं कर सकते उनको जमीन नहीं दी जाय। जमीन उन्हीं को दी जाय जो काश्त करना जानते हैं, काश्त कर सकते हैं, जो मजदूर हैं और मजदूरी करके कमाते हैं, जिनके पास निजी जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाय, जमीन का फ्री सेल हो।

इसके अलावा ट्रीज़ का सवाल है। कोई यह नहीं चाहता कि दरख्त काटे जाँय, दरख्त ज्यादा से ज्यादा हों, यह हम मानते हैं। पर इस टिनेन्सी बिल में इस बारे में जो बात बताई गई है उसमें यह है कि किसान अपने एग्रीकल्चर परपज़ के लिये और डोमेस्टिक परपज के लिये दरख्त काट सकता है पर इससे पटवारी वगैरह किसानों को तंग करेंगे और इस तरह के केसेज करेंगे कि इसने दरख्त बेचने के लिये काटा है। यह तो हम जानते हैं कि आगे जाकर कुछ नहीं होगा परन्तु यह जो इतनी रेस्ट्रिक्शन्स हैं वे किसानों के हक में ठीक नहीं हैं। हाँ, यदि किसान अपनी जमीन पर से दरख्त काट कर बेचे तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये; पर आम तौर से किसान खेती के काम के लिये दरख्त काटें, इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिये।

एक और बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वह यह है कि इस बिल में जनरल क्लॉज़ इस तरह का है कि जिसमें गवर्नमैंट को इतने वास्ट पॉवर दिये हैं कि अगर लैंड लॉर्ड्स यह कह देंगे कि इस किसान ने लगान नहीं दिया तो उससे वह जमीन छीन ली जायगी। यह किसानों की बरबादी करने का क्लाज़ रखा है। इसलिये मिस्टर चेयरमेन, सर, मैं आपके जरिये सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास करने से पहले गौर से सोचें और इस तरह के क्लॉज़ जो ज्यादा लोगों के खिलाफ जाते हैं और कम लोगों को फायदा करते हैं उनको हटाया जाय। जय हिन्द।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, टिनेन्सी बिल पर मेरे साथियों ने अलग-अलग तरह से विचार प्रकट किये हैं। खास तौर से मेरे दो पूर्व वक्ताओं ने इस बिल को संतोषजनक दृष्टि में नहीं बताया कि यह बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है जागीरदारों को। इस सिलसिले में मुझे यह अर्ज करना है कि जहाँ हमने लेन्ड रिफोर्म्स एण्ड जागीर रिज़म्प्शन एक्ट पास किया तो जहाँ तक कि इस टिनेन्सी बिल का प्रश्न है, हमें एज़ ए डेन्टलमेन्स प्रोमिज़, जो हमने वादे किये हैं, उनको निभायें और उनको तोड़ें नहीं। उन्हें तोड़ कर कहीं इस कहावत को न दोहरायें :—

"हाथों से बुत बनाई हाथों से बरबाद की।"

[श्री भीदास गोयल]

इस तरह सब बातों का खयाल करके सब्मिशन होना चाहिये। हाँ, अलबत्ता मैं यह जरूर कहूँगा कि लेन्ड रिफोर्म्स एण्ड जागीर रिजम्पशन एक्ट में जो जमीनें देने का सवाल है उसको मद्देनजर रखते हुए टिनेन्सी बिल में कुछ कन्सेशन्स ऐसे दिये हैं जो आम जनता के लिये, किसानों के लिये नुकसानदेह हैं। मिसाल के तौर पर, ११ (२) एक ऐसा खतरनाक प्रोविजन है कि जिसमें खुदकाश्त की जमीन का ट्रान्स्फर लीगल करार दिया गया है, ८ (२) में यह रखा गया है कि खुदकाश्त का ट्रान्स्फर इल्लीगल करार दिया है। ट्रान्स्फर हो जायगा तो कुल खातेदारी हकूक एन्जोय करने का ट्रान्स्फरी हकदार हो जायगा। By way of sale, transfer वगैरह करना इल्लीगल हो जाता है उसी को ट्रान्स्फर का हक देते हैं तो वह लीगल हो जायगा। तो इस तरह से ११ (२) से नाजायज फायदा उठाया जायगा। इससे जो ८ (२) के माफिक इल्लीगल है वही इस ११ (२) द्वारा ट्रान्स्फर का हक देने से वह जमीन ट्रान्स्फरी के कब्जे में चली जायगी। ऐसी परिस्थिति में ११ (२) में जिस प्रकार से दिया गया है वह गलत प्रोविजन है जिसको दुरूस्त किया जाना जरूरी है। आगे अर्ज करूं कि अगर इस कानून की १२८ (१) (ए) को पढ़ेंगे तो वह कॉन्ट्रावीन करती है इस ११ (२) को। मेरी समझ में नहीं आता कि सिलेक्ट कमेटी ने इन तमाम बातों पर गौर क्यों नहीं किया जिससे कि इस तरह की कन्ट्रोवरशियल बातें हुई।

अब मैं पट्टेदार टिनेन्ट्स के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। यह सही है कि सर वी. टी. कृष्णमाचारी के समय में पट्टेदार टिनेन्ट्स को ज्यादा से ज्यादा एन्करेज किया गया और गवर्नमेंट की मन्शा थी कि जो रुपया पट्टेदार टिनेन्ट्स से वसूल हो वह गाँवों के फायदे के लिये काम में लाये जायँ, और यह बात भी सही है कि लोकल रेवेन्यु ओफीसर्स ने साम, दाम, दंड और भेद से लाखों रुपया वसूल किया। पट्टेदार टिनेन्ट्स को उस जमीन में वृक्ष वगैरह लगाने का, उस जमीन में मकान बनाने का, और उस जमीन को इम्प्रूव करने के अख्त्यारात दे दिये, और जो अधिकार आज जयपुर सी. स्कीम में मकान मालिक को हैं वही अख्त्यारात पट्टेदार टिनेन्टस को उनकी जमीन पर दे दिये गये। पर इस एक्ट में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है कि इस प्रकार के काश्तकार की तकदीर का क्या निर्णय होगा। इस तरह जयपुर टिनेन्सी एक्ट के मातहत ऐसा प्रोविजन था जिससे कि कम से कम २५, ३० लाख जनता को इफेक्ट करने वाला कानून था। उसकी जगह इसे सब्स्टीट यूट किया जा रहा है और रिपील में उसे खत्म किया जा रहा है; तो फिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? माननीय मन्त्री महोदय इस पर फिर से पूरी तरह से गौर करने की कृपा करेंगे। आखिर पट्टेदार टिनेन्ट्स लाखों रुपया उस जमीन पर अपने पास से खर्च कर चुके हैं।

जहाँ तक सक्सेशन का सवाल है, मैंने देखा सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में कि वहाँ जो रीजन्स दिये गये हैं, ओरिजिनल में सक्सेशन है उसको अमेंडमेंट द्वारा परसनल लॉ से सब्स्टीट्यूट किया है। जितने परसनल लॉ को माना है, जयपुर लॉ का सवाल है, मैंने रूलिंग्स देखे हैं। रेवेन्यु

बोर्ड चूंकि परसनल लॉ से नहीं होते बल्कि लॉ ऑफ इन्हेरिटेन्स से होते हैं जो ड्राफ्ट ने दिया हुआ था। यह मेरी निश्चय धारणा है कि होल्डिंग्ज़ के मामलों में परसनल लॉ का होना काश्तकारों के कन्सॉलिडेशन ओफ होल्डिंग पर असर पड़ने वाला है और इससे फ्रेगमेंट ओफ होल्डिंग्ज़ होकर लिटिगेशन पर इसका असर बुरा पड़ेगा। मेरे माननीय मित्रों ने अपने विचार कई तरह से इस पर प्रकट किये हैं कि इससे पेशे-वकालत को बहुत फायदा होगा। मैं खुद महसूस करता हूँ कि वकालत द्वारा आज समाज का बहुत बड़ा हित नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिये। इसलिये यह खास तौर से बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो आयन्दा इस संबन्ध में एक्ट बने वह ऐसा हो जिससे कम से कम लिटिगेशन हो तो सक्सेशन और इन्हेरिटेन्स को ड्राफ्ट के अनुसार ही रखना ज्यादा अच्छा होगा।

सवालों के सिलसिले में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही हैं और उसके सिलसिले में श्री यादवजी ने जो बातें कहीं उनको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। सरकार ने खातेदारी और खुदकाश्त के मामले में काफी हकूक दे दिये हैं। सब टीनेन्ट और गैर खातेदार को भी काफी हकूक दे दिये हैं। यहाँ तक कि अन इरिगेटेड लेन्ड पर भी दरख्त लगाने के अधिकार उनको हैं, खातेदारों से भी ज्यादा हकूक हैं। ऐसी नज़ीरें मेरे सामने है कि सैकड़ों काश्तकारों ने एक खातेदार होने के नाते अपनी जमीन में फलदार वृक्ष लगाये और कानून के अनुसार सारे अधिकार जो मालिक को होने चाहिये उसी प्रकार रहे।

इसमें एक क्लाज़ ११६ बी है जो आश्चर्य में डालने वाला है। इसमें यह प्रोविज़न है कि लेन्ड रेवेन्यू में नालबट की डेफिनिशन गायब है। इसके साथ ही साथ में यह कहूँगा कि मि० अवनिकुमारजी ने अपना नोट ओफ डिसेन्ट भी इस पर दिया है। मगर जैसी मेरी धारणा है उन्होंने जो डिसेन्ट नोट दिया है यदि नालबट की डेफिनिशन पर देते तो दुरुस्त था। नालबट की डेफिनिशन का आना बहुत जरूरी है। इसकी डेफिनिशन खास महत्व रखती है। जो लोग कूओं से एक चरस पानी लेते हैं कूओं का उसका टेक्स देते हैं वह नालबट के रूप में देते हैं।

बहुत से मित्रों ने अभी सेल्स और गिफ्ट्स के सिलसिले में कहा कि यह बिल्कुल सही है और हम जानते हैं कि अगर सेल्स और गिफ्टस को एलाउ कर दिया तो गरीब काश्तकार ज़मीन से महरूम रह जावेंगे, गरीब भूमिहीन और दर-दर का मोहताज हो जावेगा।

आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ किसानों में नुकते का किस प्रकार का रिवाज है और पहले तो इसको डिसकरेज करने के लिये प्राइस कन्ट्रोल में प्रोविजन था। पुराने जयपुर स्टेट में भी फीस्ट को डिस्करेज़ करने के लिये एक फीस्ट एक्ट था जो अब इनइफेक्टिव है। इसी तरह से समाजिक रीति रिवाज में किसान लोग बहुत धन खर्च करना अपनी शान समझते है और नुकतों में हजारों और लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। इसके लिये वे पहले तो अपने बोहरे के पास रुपया उधार लेने के लिये जावेंगे और जब बोहरा उनको रुपया नहीं देगा तो वे लोग अपनी जमीन को सेल करके रुपया लेकर नुकता करेंगे। अगर किसी तरह से सेल नहीं की जा सकेगी तो गिफ्ट के

[श्री भी दास गोयल]

रूप में कर देंगे। इसलिये कम से कम यह तो होना बहुत जरूरी था कि जिस प्रकार ६० एकड़ अनइरिगेटेड लेन्ड और ३० एकड़ इरीगेटेड लेन्ड का थोड़ा सा रेस्ट्रीक्शन रखा गया है अगर वह व्यक्ति जिसके पास ६० एकड़ अनइरीगेटेड और ३० एकड़ इरिगेटेड लेन्ड से ज्यादा जमीन हो तो वह अपनी जमीन को सेल श्रोफ कर सकता है या गिफ्ट, जो भी चाहे, कर सकता है। जब सरकार को किसी को सही रास्ता दिखाना होता है तो इसके लिये लेजिस्लेशन होना चाहिये। काश्तकार को भी सही रास्ता दिखाना है, इसलिये ऐसा कानून होना चाहिये। पहले जागिरदारों को सही रास्ता दिखाया तो सरकार जागीरदारों की भी मदद करती थी और कौंसिल में लोन संरक्षण रेजोल्यूशन पास करती थी कि अगर कोई व्यक्ति जागीरदार को कर्ज वगैरह सरकार की मंजूरी के देगा तो वह उस रकम को जागीरदार से या उसकी इन्कम से वसूल नहीं कर सकता था। इसी प्रकार काश्तकारों पर भी सेल और गिफ्ट के बारे में काश्तकार को बहुत हकूक दे दिये हैं। मैं इस बात को मानूंगा कि सरकार ने खातेदार और गैर खातेदार को बहुत हकूक दे दिये हैं। जो शख्स अपने टिनेन्ट्स से काश्त करावे वह भी लेन्ड होल्डर माना जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इस मामले में सिलेक्ट कमेटी की यह मन्शा है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी लेन्ड होल्डर की तरह से रहे और खुद-काश्त टिनेन्ट रहे, खुदकाश्त वालों को भी सेल के जनरल प्रिन्सीपल्स के अनुसार हक हैं। जमीन को किसी को देने की मन्शा यह है कि खुद जिन्दा रहे और दूसरों को जिन्दा रहने दे। Live and let live जमीनों के बारे में हरिजनों के सम्बन्ध में मेरी यह निश्चय धारणा है और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुभव पर कह सकता हूँ कि ८० या ६० प्रतिशत ऐसे हरिजन है जो भूमिहीन हैं और वे हरिजनों जिनके पास जमीनें हैं उनकी भी जमीनें स्वयं लोग उनसे छीनते जा रहे हैं। इस प्रकार की कई नजीरें कई तहसीलों में मिलेगी। यह निहायत जरूरी है कि जमीन देने के लिये खुदकाश्त का प्रोवीजन होना जरूरी है। मगर ऐसा किया गया तो आगे चल कर कई एमेंडमेंट आवेंगे, क्योंकि यह चल नहीं सकेगा।

लास्टली, इस सिलसिले में,यह मुझे यह अर्ज करना है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे किसानों को काश्त से हटा दिये जाते हैं, और माइट इज राइट को काम में लिया जाता है। कोई ट्रेसपासर होगा तो वह दूसरे की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेगा और उसके मालिक या खातेदार या सबटिनेन्ट जो भी हो उसको बेदखल कर देगा। अगर वह व्यक्ति किसी के पास जावेगा तो वे कहेंगे कि अर्जी दे दो। एप्लीकेशन दे दी जावेगी। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चीज है; जैसे जयपुर में टिनेन्सी एक्ट में था कि जो शख्स ट्रेसपासर हैं किसी के खेत में जबर्दस्ती जा कर उसको बेदखल कर देता है, तो बाद में इन्क्वायरी उसको चार गुना लेन्ड रेवेन्यू दिला दी जाती। मैं यह कहूँगा कि रोंग डुअर को शील्ड करने का यह प्रोविजन हैं। इसके जरिये बहुत बड़ी लूट की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति किसी की काश्त पर जाकर अपना कब्जा कर ले और वह चार गुना लगान दे देगा। दूसरे साल फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो ज्यादा ताकतवर है ट्रेसपासर बन जावेगा और बन गया तो उसने उस जमीन का फायदा उठा लिया। इस तरह से कमजोर आदमी है वह तो जमीन से महरूम रह जावेगा। इस तरह से आप खास तौर से किसानों को ताकतवरों के हाथ में दे रहे हैं और उनको उनकी ताकत का शिकार बना रहे हैं।

[श्री श्रीदास गोयल]

मैं निहायत जरूरी मानता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में किन्हीं ट्रेस्पासर्स को इमिडियेटली बेदखल कर देना चाहिए, और जैसा भूतपूर्व जयपुर राज्य के समय में हिदायतें, काश्त के सम्बन्ध में प्रोवीजन था, उस वक्त तहसीलदार को ये अधिकार दिए हुए थे कि खातेदार, गैर खातेदार या सब टिनेन्टस या मोर्टगेजी जो प्राइवेट कल्टीवेशन से खुदकाश्त करा लेते थे, गश्त गिरदावरी रसीद देते थे इससे किसानों को काफी राहत मिलती थी। जो कुछ अधिकार दिये गए हैं वे यहाँ एस. डी. ओ. को दिए हुए हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि गरीब किसानों के लिए सब डिवीजनल हैडक्वार्टर्स जो हमारे राजस्थान की ट्रान्सपोर्ट आदि की हालत देखते हुए, ४०-५० मील दूर हैं और चम्बल और बनास जैसी नदियों को पार करना पड़ता है जब कि बरसात में जो कि उनके लिए मौसम का समय होता है उनके लिए उन जगहों पर पहुँचना बड़ा मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है; अतः तहसीदारों को इस प्रकार की हिदायतें देकर पाबन्दी करने का प्रोवीज़न होना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके।

लास्टली, मैं अर्ज करूंगा कि इस बिल में बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स हैं जिनको दुबारा यहाँ पर रिव्यु किया जायगा। इसमें कई ऐसे प्रोवीज़न्स हैं उनकी उपयुक्तता को देखते हुए इस एक्ट की दुरुस्ती करना निहायता जरूरी है। बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, जो कि यू. पी. के एक्ट से गवर्न होते थे, आदि कई जगहों के एक्टस इकट्ठा करके यह जो एक्ट बनाया है यह बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कदम है और इसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। यह एक प्रगतिशील कदम है; इसके लिए दो रायें नहीं हो सकतीं। अगर कोई लेण्ड होल्डर काश्त करवाता है तो वह रसीद दे, नहीं देने पर उसको पीनल तक बना दिया गया है। जो व्यवहारिक डिफेक्ट हैं वे दूर किए जा सकते हैं। ऐसे आम जनता को राहत पहुँचाने के लिए यह बिल काफी कारगर है। मैं दुबारा अर्ज करूं कि गवर्नमेंट विचार करेगी और उनको दुरुस्त करेगी।

श्री अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव सम्बन्धी श्री मुख्य मन्त्री के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार-विमर्श

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—अब राजस्थान टिनेन्सी बिल पर अग्रेतर विचार को यहाँ स्थगित किया जाता है और अब २१ मई, सन् १९५४ को मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार-विमर्श किया जायगा।

श्री वेदपाल त्यागी अपना वक्तव्य जारी करें।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय चेयरमेन, मैं कल इस विषय में बोलता हुआ यह बतला रहा था कि हमारे देश में अभी प्रजातन्त्र का श्री गणेश हुआ है और प्रजातन्त्र के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि जो लोग माइनोरिटी में हों वे अपने आप महसूस

[श्री वेदपाल त्यागी]

करें कि मेजोरिटी के हाथ उनके हित सुरक्षित होंगे। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वह यह है कि माइनोरिटी के लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता हो और खास तौर पर हमारे सदन में जहां पर कि, हमारे कन्स्टीट्यूशन से भी यहाँ सब को सुरक्षित रखा गया है, किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाया जाय जिससे हम महसूस करें कि हमें बोलने से रोका जा रहा है, हमारी जुबान पर ताला डाला जा रहा है।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि यह प्रस्ताव माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने ऐसे वक्त में प्रस्तुत किया है जबकि माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जा चुका था और पेश करने के बाद भी काफी दिन गुजर गए थे। उस दिन इस प्रस्ताव को लाना कि जिस दिन यहाँ पर आये हुए सदस्य समझ रहे थे कि आज अविश्वास का प्रस्ताव सदन में डिस्कस होगा, उस पर विचार-विमर्श होगा और उसको किसी प्रकार नहीं रोका जायगा, उस दिन इस प्रकार का प्रस्ताव अचानक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना मैं समझता हूँ कि वह एक तरीका था जो कि सामन्तशाही के जमाने में बरता जा सकता था। प्रजातन्त्र के युग में जबकि लोग समझ बैठे थे कि हमें हमारे विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार दिया जायगा। हमारी जो अध्यक्ष महोदय के प्रति शिकायतें हैं उनको सदन के समक्ष रखने का मौका दिया जायगा किन्तु एकदम यह अचानक प्रस्ताव रखा गया है कि जब तक सदन के १/५ सदस्य उसका समर्थन न करें, प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि बहुत से सदस्य इस वजह से उपस्थित नहीं हुए कि उनको विचार व्यक्त नहीं करने हैं। मैं मान सकता था कि इसमें जो नम्बर रखा जा रहा है उसके खिलाफ मुझे बहुत कुछ कहना है और मैं अपने विचार भिन्न रखता हूँ कि अगर इस तरह के फ्रिवोलस रखने के लिए अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध जो चाहे कुछ कह दे, इस प्रकार का नम्बर होना चाहिए। माननीय चेयरमैन, किसी पार्टी को इस सदन के अन्दर रिकग्नाइज़ करने का जो एक सिद्धान्त रखा गया है वह यह है कि इतने सदस्य अगर एक पार्टी बनाना चाहें कि जो सदन के कोरम को कम्पलीट करता है तो उसको पोलिटिकल पार्टी के रूप में मान लिया जाय। ऐसी हालत में मान लीजिए कि एक पोलिटिकल पार्टी के १६ या १८ सदस्य हैं और अध्यक्ष महोदय का व्यवहार किसी वजह से खराब होना शुरू हो जाय तो उनको कहने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि उनके साथ ३२ आदमी नहीं होंगे। जहाँ तक नम्बर का सवाल है, माननीय चेयरमैन, मैं ही नहीं सदन में इस ओर बैठने वाला हर एक सदस्य, हरएक व्यक्ति महसूस करता है कि ३२ का जो नम्बर रखा गया है वह इसलिए है कि ऑपोजिशन में आने वालों की संख्या ३२ आदमियों से ज्यादा नहीं होगी। ऑपोजेशन एक विरोधी दल है। यदि वह यह महसूस करे कि अध्यक्ष महोदय का बर्ताव उसके प्रति ठीक नहीं है तो इस प्रस्ताव से डिबार हो जायगा कि वह सदन के समक्ष अपने विचार रख सके। माननीय चेयरमैन, मैं यह बता रहा था कि यह डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों के विरुद्ध है और नैतिकता के सिद्धान्तों के भी विरुद्ध है। एक यह भी चीज है कि प्रस्ताव उस दिन पेश किया गया जिस दिन कि अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श का मौका दिया गया था। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर यह प्रस्ताव पास करना ही है तो इसे उस अविश्वास के प्रस्ताव पर लागू नहीं किया जाय जो पहले पेश हो चुका है और जिस पर विचार व्यक्त करने के लिए सदन के समक्ष जिसको रखा जा चुका है। इसके अतिरिक्त मैं एक और बात बताना चाहता हूँ और वह यह है कि जब आप अपनी

[श्री वेदपाल त्यागी]

मेजोरिटी के बल पर माइनोरिटी के विचारों को व्यक्त करने से इस प्रकार रोकते हैं तो उसके दुष्परिणाम निकलते हैं। जिस दिन, मैं समझता हूँ कि मैं ही नहीं इस ओर बैठने वाले और सदन के सदस्य दुखित हो रहे थे कि हमारे सदन में क्या हो रहा है, किस तरह का शोर मचा, किस तरह की बातें हुईं। लेकिन मैं यह बता दूं कि यह स्वाभाविक परिणाम उस भावना का है जिसके अन्तर्गत हम लोगों को विचार व्यक्त करने से रोका जा रहा हो। प्रजातन्त्र में फन्डामेंटल प्रिन्सिपल्स के रूप में राइटस स्वीकार किये गए हैं और अगर उनको दबाने की कोशिश की जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया होना जरूरी है और वह प्रतिक्रियां इस रूप में सदन के सदस्यों ने देखी है और बाहर वालों ने बुरा कहा और थू थू किया। तो मैं निवेदन करूंगा कि यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि प्रजातन्त्र को अच्छे रूप में चलाया जाय, स्वस्थ परम्पराओं को कायम किया जाय, तो आप अपने कार्यों से गलत परम्पराओं का श्री गणेश न होने दीजिये।

मैं यह कह सकता हूँ मैं ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति इस तरफ बैठने वाला और बहुत से व्यक्ति शायद उस तरफ भी बैठने वाले कहते हैं कि उस दिन जो कुछ हुआ वह बहुत बुरा था। उस दिन जो कुछ हुआ वह एक प्रकार से अस्वस्थ परम्परा का जन्म देना कहा जा सकता है। किस तरह से हमारे मुख्य मन्त्री और डिप्टी स्पीकर के बीच लहर सी बन्ध रही थी। जो बातें की जा रही थीं उसको हरेक देखने वाला व्यक्ति, हरेक समझदार व्यक्ति यह सोच सकता था कि किस प्रकार चेयर को एक्जीक्युटिव गाइड कर रही है।

माननीय चेयरमेन, मैं इस वक्त यह कह दूँ कि आज जो डिसक्शन चल रहा है वह इस बात को स्पष्ट करता है कि उस दिन जो कार्यवाही हुई थी वह गलत थी। जबकि माननीय डिप्टी स्पीकर ने यह रूलिंग दे दी थी कि मुख्य मन्त्री द्वारा रखा हुआ प्रस्ताव पास हो गया है, अगर वह प्रस्ताव पास हो गया होता तो आज उस पर पुनः वाद-विवाद करने की नौबत नहीं आती। इससे साफ जाहिर होता है कि उस दिन की जो कार्यवाही हो रही थी वह मुख्य मन्त्री द्वारा गाइडेड थी। उनको यह विश्वास था कि मेरी रूलिंग देने के बाद किसी भी प्रकार से अध्यक्ष के विरुद्ध जो प्रस्ताव आया है उस पर विचार व्यक्त नहीं हो सकेंगे। लेकिन वह प्रस्ताव वास्तव में उस दिन पास नहीं हुआ था और उसी परिणाम स्वरूप आज उस प्रस्ताव को पुनः विचारार्थ लाया गया। मैं समझता हूँ माननीय मुख्य मन्त्री हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और हमें इस बात की स्वतन्त्रता देंगे कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकें और हमें मजबूर नहीं करेंगे कि इतनी तादाद इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए होनी चाहिए तथा उन प्रस्तावों को विचारार्थ लिए जाने दें जो कि हमने माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव रखा है। इससे न केवल यही फायदा होगा कि हम केवल अपने विचार ही व्यक्त कर सकेंगे बल्कि जो कुछ भी माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने गलतियें की हैं उनको भी हम बता सकेंगे जिससे वे अपनी गलती को महसूस कर सकें। हमारा यह कतई ध्येय नहीं कि हम इन प्रस्तावों द्वारा अपनी नाराजगी प्रदर्शित करें और अपने गुस्से को निकालें। हम जो कुछ भी विचार

[श्री वेदपाल त्यागी]

व्यक्त करेंगे उनसे उनको फायदा उठाना चाहिये। अगर वे वास्तव में गलती महसूस करते हैं तो उसको ठीक करना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मैं अपने अमेंडमेंट को मूव नहीं करना चाहता; किन्तु जो अमेंडमेंट कुँ० श्री जसवन्तसिंह जी ने रखा है उसका समर्थन करना चाहता हूँ और साथ मैं मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे वास्तव में स्वस्थ परम्परा इस सदन में डालना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे इस अमेंडमेंट को स्वीकार करें ताकि हम लोगों को और बाहर वालों को यह महसूस हो कि हम जो कुछ बातें करने जा रहे हैं वह एक तरह से स्वस्थ परम्परा की द्योतक है, न कि वास्तविकता को छिपाने की चेष्टा करने की ओर जा रही है।

श्री सभापति—राजा श्री मानसिंह अपना अमेंडमेंट मूव करें।

(अनुपस्थित)

श्री एच. के. व्यास अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, I big to move the fellowing amendnent to the resolution proposed by the Chief Minister, namely, "That instead of the word 'one-fifth' the words 'one-twentieth' be substituted."

जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है उसकी आधारभूत जो दो-तीन चीजें हैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ। इस प्रस्ताव में यह कहा गया, सदन संविधान द्वारा इंगित व स्वीकृत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की पवित्रता की तरफ ध्यान रखते हुए एवं सदन में स्वस्थ परम्पराएं कायम करने के उद्देश्य से यह सदन यह निश्चय करता है अर्थात् जो मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वे यह सोचते हैं कि संविधान द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव होना वाजिब है, आवश्यक भी है; साथ ही साथ यह भी सोचते हैं कि इस सदन में स्वस्थ परम्परायें कायम करने के लिए आवश्यक है। माननीय चेयरमेन, मैं आपका ध्यान हमारे संविधान के अनुच्छेद १७९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर इस अनुच्छेद के भाग (३) को देखा जाय तो आपको ज्ञात होगा; माननीय चेयरमेन, मैं आपकी अनुमति से उस धारा के शब्दों को दोहराना चाहता हूँ जिसमें यह लिखा है :—

"A member holding office as Speaker, or Deputy Speaker of Assembly:

(c) May be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then Members of the Assembly:

Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless atleast fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution:

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

Provided further that, 'etc. etc.'

यह जो धारा संविधान में रखी गई है उसमें केवल इतनी ही हिदायत दी गई है कि विधान सभा में अगर प्रस्ताव पास हो जाय तो माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष हटाये जा सकते हैं। इसके बाद संविधान में कम से कम इस धारा के सिलसिले में कुछ बताना आवश्यक था जिसमें तफसील में जिक्र किया गया है। इनके लिये दो प्रोवीज़ो इस धारा में रखे हैं जिनमें कुछ बन्धन डाले गये हैं। इसके अलावा कोई बन्धन इस प्रकार के प्रस्ताव के पेश करने के बारे में नहीं डाला गया है।

पहला बन्धन यह है कि बाकायदा नोटिस होना चाहिये। यह बन्धन डाला गया जो लाजमी है जो प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं उनके लिये जिस दिन बहस हो उस प्रस्ताव पर उस दिन अगर स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव हो तो उस दिन स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेगा, अगर उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव हो तो उस दिन उपाध्यक्ष प्रीसाइड नहीं कर सकेगा। यह बन्धन डाले हैं उन लोगों के प्रति जिनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया हो। इसके अलावा कोई भी बन्धन कॉन्स्टीटयुशन में इस संविधान में नहीं डाला गया है। मुख्य मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें इन बातों का जिक्र नहीं है। मुख्य मंत्री ने जो भाषण दिया उसमें जरूर इस बात का जिक्र किया है कि केबीनेट से ऊंचा स्थान अध्यक्ष का गिना गया है, इस वजह से यदि मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है तो उस प्रस्ताव के लिये २५ आदमियों की आवश्यकता है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को लाने में ज्यादा आदमियों की आवश्यकता होनी चाहिये, लीव माँगने के लिये भी उससे ज्यादा आदमियों की आवश्यकता होनी चाहिये। मैं आपका ध्यान फिर संविधान के अनुच्छेद १६४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ वे इस प्रकार की धारायें हैं :—

"(1) The Chief Minister shall be appointed by the governor and the other Ministers shall be appointed by the governor on the advice of the Chief Minister, and ministers shall hold office during the pleasure of the governor.

(2) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State."

अगर इस संविधान की धाराओं का माननीय मुख्य मन्त्री यह नतीजा निकालें कि जब मन्त्री-मंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने में इतने आदमियों की आवश्यकता है तो सदन के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रति भी अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये इतने आदमियों की अनुमति की आवश्यकता होनी चाहिये। अगर उनकी यह मान्यता है तो यह उन्होंने संविधान की धारा को गलत समझा है और गलत पढ़ा है। संविधान में इस प्रकार की समझदारी बरती है कि प्रजातंत्र में अपने विचार व्यक्त करने का, राज्य के अन्दर कानून बनाने का और उसकी देखरेख की सबसे बड़ी ताकतवर जिम्मेदारी; सबसे ज्यादा हक रखे हैं तो वह राज्य विधान सभा के लिये रखे हैं और राज्य विधान सभा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

का काम सुचारू रूप से चलाने के लिये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आधीन किया जाता है। इस बारे में संविधान ने समझदारी बरती है। अगर संविधान इन पर किसी प्रकार के बन्धन डालता तो संविधान में कुछ न कुछ प्रोवीजन अवश्य होने चाहिये थे। यदि संविधान में इस प्रकार का बन्धन होता कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना है तो इतने सदस्यों की अनुमति आवश्यक है लेकिन इस प्रकार का कोई बन्धन संविधान में नहीं है। अभी मेरे मित्र श्री वेदपालजी त्यागी ने इस बात का खुलासे से जिक्र किया और उन्होंने यह भी बताया कि यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है वह एक प्रकार से एब्सर्ड पोजीशन पेश करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रस्ताव को अनुमति प्रदान करने के लिये हाउस का जो कोरम हो उसके मुताबिक १६ आदमियों की आवश्यकता होनी चाहिये और इस संख्या को काफी गिना गया है। अगर जो प्रस्ताव मुख्य मन्त्री ने रखा है उसके मुताबिक जब तक ३२ आदमी कम से कम नहीं होंगे तब तक इस प्रकार के अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस नहीं की जानी चाहिये और न इस प्रकार का प्रस्ताव ही सदन में लिया जाना चाहिये।

इसका तात्पर्य यह होगा कि यदि पूरा का पूरा अॉपोजीशन एक राय से, एक मत से, भी इस राय को व्यक्त करना चाहे, जो ऑफिशियल अपोजिशन है, जिसे कन्सल्ट करने का हर काम में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नियम नियत किया गया है, जिसके लिए जिस कन्वेशन का जिक्र हम करते हैं उसमें यह भी जिक्र है कि सामान्य तौर पर जितनी बातें हों वे लीडर ऑफ दी अपोजीशन से सलाह-मशविरा करके ये कार्य किये जाने चाहिये। तो आज इस प्रस्ताव के ज़रिये से इसके विपरीत ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं कि ऑफिशियल अपोजीशन जो है वह भी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष में अपना अविश्वस में प्रकट करना चाहे तो नहीं कर पावेगा।

आप यह भी देखें कि ऑफिशियल अपोजीशन बनाने के लिई १६ सदस्य जरूरी हैं और यह अविश्वास का प्रस्ताव पास करने के लिए ३२ या ३३ सदस्यों की जरूरत होनी जरूरी होगी। मान लीजिये, माननीय चेयरमेन, पांच-दस ही विरोधी सदस्य हों और अगर ऐसी भी परिस्थिति आ जावे कि किसी विधान सभा में सारे के सारे सदन में केवल एक आदमी ऐसा है सरकार की नीति का विरोध करने की इच्छा से और उसके दिमाग से विरोध करने को तैयार रहता है और अगर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जावे, उसके हक के साथ कुठाराघात किया जावे, और अगर माननीय अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष सरकारी पक्ष के इशारों पर जैसा चाहे वैसा फैसला करें, कानून और नियमों को ताक में रखें, सदस्य के अधिकारों को आलमारी में डाल दें, तो ऐसी परिस्थिति के अन्दर अब आपही बताइये इस सदस्य के सामने कौनसा रास्ता रह जाता है सिवाय इसके कि वह अपने प्रति किये गये अन्याय को, अपने माननीय मित्रों को और सदन को बताये कि यह अन्याय हो रहा है। आप क्या इस अन्याय के बावजूद मेरी राय को मानने को तैयार नहीं होंगे? जो प्रस्ताव पेश किया जा रहा है बगैर उसकी चीजें सामने आये पहले से ही जो लोग इस राय के हों कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को हटाये जाने के अविश्वास के प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उसके लिए मेरा कहना है कि यह सदन के साथ और सदन के सदस्यों के साथ और सदन के आफिशियल विरोधी पक्ष के साथ घोर अन्याय है, संविधान के अर्थ को जानबूझकर गलत समझने का प्रयत्न है, और विरोधी पक्ष

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

द्वारा जो सरकार की नीति की आलोचना करने का, उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने का, जो कायदा बना है उसको तोड़ा जा रहा है।

दूसरा जिक्र किया गया, माननीय चेयरमेन, ... क्या टाइम लिमिट का भी प्रश्न है ?

श्री सभापति (श्री गुलाबचंद कासलीवाल)—मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा।

श्री हरिकृष्ण व्यास (जारी)—तो मैं जिस दूसरी बात का जिक्र कर रहा था माननीय चेयरमेन, वह है माननीय मुख्य मन्त्रीजी के प्रस्ताव का दूसरा अंश और वह भी बड़ा महत्वपूर्ण अंश है। यह कहा गया है कि इस सदन में स्वस्थ परम्पराएं कायम करने की दृष्टि से ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहिये। एक बात ऐसी महसूस होती थी भारत के कुछ लोगों को और राजस्थान के कुछ लोगों को कि राजस्थान के इस सदन के नेता और राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री यहाँ केवल गड़बड़ी से कुछ परेशान होते हैं। ऐसा भी कहा गया था कि लॉ एण्ड ऑर्डर को अगर कोई भंग करे तो हम सख्त कार्यवाही करने की इच्छा रखते हैं, ऐसा भी कहा गया था कि राज्य को या इस डेमोक्रेसी को खतरा अगर किसी चीज़ से है तो वह खतरा है चलने से, बवन्डर से और हो हल्ले से अशान्ति से लेकिन इस प्रस्ताव का मतलब यह होगा, माननीय चेयरमेन, कि यह हमारी सरकार मोहर लगावेगी इस बात पर कि अब राजस्थान के मुख्य मन्त्री की राय के मुताबिक प्रजातन्त्र को खतरा पैदा हो गया है आवाज़ से, बोली से, घटनाओं का वर्णन करने से। नहीं तो फिर यह कौनसी स्वस्थ परम्परा आप कायम कर रहे हैं कि जब जानते बूझते हुए, देखते हुए, महसूस करते हुए, कि जो प्रस्ताव हम पेश कर रहे हैं उसके बाद माननीय अध्यक्ष के प्रति जो अविश्वास का प्रस्ताव आया हुआ है वह प्रस्तुत किया ही नहीं जा सकेगा बिल्कुल इसी नीयत से, बिल्कुल नोन बोनाफाइडी नीयत से हम यह कानून बनाना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यही होगा, नहीं तो दुनियां जानती है, मेरा खयाल है, इसमें दो मत नहीं हो सकते कि यदि प्रस्ताव पेश भी हो जावे तो आज की जैसी स्थिति है और पार्टी को जैसे आदेश इश्यू हुए शायद हैं पेश होने के बाद पास होना बहुत आगे की मन्जिल गिनी जानी चाहिये। इसलिए मैं तो कम से कम इस बात को मानने को तैयार नहीं कि माननीय मुख्यमन्त्री को कुछ ऐसा अन्देशा है कि ऐसा प्रस्ताव पास होने के बाद में गलती से कहीं पास न हो जावे। अन्देशा उनको दूसरा है और वह अन्देशा यह है कि बातचीत यहाँ सदन में कही जावेगी, हकीकतों का यहाँ वर्णन किया जावेगा घटनाओं का यहाँ जिक्र किया जावेगा और चाहे बहुमत, चाहे एक बात को मन्जूर करले उस पर मोहर लगा ले लेकिन हर दिमाग रखने वाला और विवेक पूर्वक हर चीज को सोच-समझने वाला व्यक्ति यह समझ जावेगा, उसको यह तसल्ली हो जावेगी कि यह अन्यायपूर्ण बात है, इसमें न्याय नहीं किया जा रहा है, इसमें अन्याय हो रहा है। इस बात को, इस सम्भावना को आम लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए यह प्रस्ताव रक्खा गया है, अपोजीशन की, जबान बन्द करने के लिए यह प्रस्ताव रक्खा गया है। इसलिए इसमें संशोधन होना आवश्यक है। इसके पर्खों को काटना आवश्यक है। यदि पाँच-सात-आठ आदमी भी खड़े होकर यह कहना चाहें कि उनके अधिकारों के प्रति घोर अन्याय हो रहा है, सरकार की तरफ से यह घोर अन्याय किया जा रहा है, तो उनको कम से कम अपनी बात कहने का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मौका दिया जाना चाहिये। इस पर यह कहना है कि इससे तो रोज-रोज ऐसे प्रस्ताव आवेंगे, रोज-रोज काम में अड़चन आवेगी, रोज-रोज गड़बड़ पैदा हो जावेगी, सारा काम अव्यवस्थित हो जावेगा। यह दलील कोई माने नहीं रखती इसलिए कि जिम्मेदारी का ठेका बहुमत पक्षवालों ने नहीं ले रक्खा है, इस सदन की कार्यवाही आगे बढ़े इसका ठेका सरकार के इशारे पर चलने वाले माननीय सदस्यों ने नहीं ले रक्खा है, और यहाँ के काम को आगे बढ़ाने में सहयोग देने की तत्परता का ठेका भी उन सरकारी पक्षवाले सदस्यों ने ही नहीं ले रक्खा है। कोई गुंजाइश नहीं होगी काम में अड़चन आने की, लेकिन अगर आवश्यक हुआ तो जो चीज़ सामने आनी चाहिए उसको दबाया भी नहीं जा सकेगा।

दुनिया जानती है, माननीय चेयरमेन, कि यह प्रस्ताव सामान्य घटनाओं में नहीं आया, मेरा तात्पर्य है अविश्वास के प्रस्ताव से। यह अविश्वास का प्रस्ताव सामान्य घटनाओं में नहीं आया था और जो माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने प्रस्ताव रक्खा है वह भी सामान्य परिस्थितियों में नहीं आया। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को बचाने के लिए नहीं रक्खा है बल्कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने को बचाने के लिए यह प्रस्ताव रक्खा है। सारी दुनियाँ जानती है कि पिछले वर्ष एक एस्टीमेन्ट कमेटी मुकर्रर हुई थी, सारी दुनियाँ जानती है कि इसकी रिपोर्ट अभी तक सदन के सामने नहीं लाई जा रही है। उसको सदन में लाने से रोका गया है और सारी दुनियाँ यह भी जानती है और हमारे मित्र जानते कि माननीय मुख्य मन्त्री की ओर से पत्र भिजवाया गया कि कैसे यह रिपोर्ट छापा करते हैं। क्या कोई सदन का सदस्य ऐसी हरकतों पर चुप्पी साधकर बैठना चाहेगा? क्या सदन के सदस्य अपने अधिकारों का हनन होने के बाद भी चुप रहने की कोशिश करेंगे? मेरी राय है अपने अधिकारों से प्यार रखने वाला कोई भी सदस्य इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर हमारे ही सहयोगी दुनियाँ को जाकर कहते फिरें कि इस प्रकार की आलोचना करने वालों ने भी करके क्या कर लिया हमारा, आखिर हमने उस रिपोर्ट को दबा ही तो दिया और इन घटनाओं के अन्दर माननीय मुख्य मन्त्री का भी हाथ रहा है। मैं साफ एलान करना चाहता हूँ, माननीय चेयरमेन, कि इस प्रकार के प्रस्ताव को रखने के पीछे उनकी मन्शा केवल माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बचाने की ही नहीं, खुद को बचाने की है और जो इस सदन के सामने घोर अन्याय हुआ है उसकी जानकारी दुनियाँ को नहीं हो जावे, इस वजह से इसको दबाने की उनकी इच्छा है यह प्रस्ताव यहाँ लाकर। अगर यह बात है तो हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिये। हम अपने विचार यहाँ अच्छी तरह से व्यक्त कर सकें, सही घटनाओं को हम व्यक्त कर सकें, यह तो मौका हमें दिया ही जाना चाहिए। सही-सही घटनाएँ दुनियाँ के सामने आ जावें, दूसरे मेरे माननीय सदस्यों के सामने आ जावे, दुनियाँ के सामने आ जावें, कि फायलों में, कागजों में, पत्र व्यवहार, में, रोज-रोज आफिसों के अन्दर क्या-क्या हो रहा है। ये सारी चीजें सदन के सामने आवें, यह हमें

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

देखना चाहिए। मैं तफसील में इसकी नहीं जाऊँगा पर, माननीय चेयरमेन, मैं आपके जरिये इस सदन को यह बताना चाहता हूँ कि इस विधान सभा और इसके जो अधिकारी हैं, जिनके जिम्मे काम है इस सदन को प्रेसाइड करने का उन माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जरिये से ऐसी-ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनके बारे में शायद किसी को पता चले तो शायद दांतों तले अंगुली दबाएंगे।

श्री सभापति—(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल) माननीय सदस्य जो विचार-विमर्श के लिए प्रस्ताव है उसकी सीमा से बाहर न होवें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन का फरमाना बिल्कुल बजा है। मैं इस पोइन्ट पर जोर दे रहा हूँ कि अगर इन सब बातों का पता न लगे तो लोग अपनी राय कैसे बना सकेंगे? अगर एक आदमी को थोड़ा सा भी ऐसा ज्ञान हो तो वह दूसरे को बता सके; ऐसा उसको मौका हो। मेरा निवेदन करना है कि वह मौका तभी होगा जब मेरा अमेन्डमेन्ट मन्जूर होगा।

इस दृष्टि से मैं उस बात का जिक्र कर रहा था, और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि उसकी एक रेलेवेन्सी है। मसलन एक कोई सदस्य है, उसने कोई कानून में संशोधन का सुझाव दिया और उसके ऊपर अध्यक्ष महोदय यह कहें कि इस प्रकार के सुझाव देकर हमारे इस सदन का दफ्तर और सदन के अधिकारियों का, इस सेक्रेटेरिट के लोगों का, टाइम वेस्ट नहीं किया जायगा। मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय चेयरमेन, कि इसका जिक्र कैसे आयेगा? कौन करेगा? किस जगह उस सदस्य को यह बताने का मौका मिलेगा कि इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। आखिर कोई न कोई फॉर्म होना चाहिये, और यदि हम जिक्र करें तो उस पर पाबन्दी लगा रहे हैं। जिक्र करने से पहले ही १२ आदमी खड़े हों तो उसका मतलब यह है कि सदन के सदस्यों से कहेंगे कि वह कानून आयेगा; तो फिर इस सदन के बाहर प्रचार करते फिरेंगे, केन्वेसिंग करते फिरेंगे, तभी तो जनमत तैयार कर सकेंगे और माननीय सदस्यों को अपनी राय बता पायेंगे। इसका मतलब यह है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ कोई शिकायत हो सैद्धान्तिक आधार पर तो कोई रोक नहीं लगानी चाहिए और मौका दिया जाना चाहिये यह सुनाने का।

एक बात मैं साफ कर देना चाहूंगा कि सभी अपने अपने दृष्टिकोण लेकर बैठे हैं। यह बात होते हुए भी हकीकत को नहीं पहचानेंगे। कुछ बातें कोमन हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं। फॉर्मस् ऑफ एड्रेस के बारे में ५० सक्यूंलर इस सदन के सचिवालय से पहुँचायें जायं कि फॉर्मस ऑफ एड्रेस ऐसे होने चाहिए, लेकिन यदि इस सदन के उच्चाधिकारियों की ओर से "Do this "Sit down,"

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"Don't do this" तो इस प्रकार से उन्हें विश्वास का पात्र कैसे कहा जाय? रूलिंग को आप चेलेंज नहीं कर सकते हैं, उसका जिक्र, उसका डिस्कशन करने के लिए कहाँ जायें? मेरा यह निश्चित मत है कि संविधान में अधिकार इस बात का दिया गया है और जिसका कि वह एक मौका है इन चीजों को सामने लाने का। मैं माननीय चेयरमेन, आपको यह बताना चाहूँगा कि जो घटनाएं हुई हैं वह मामूली घटनाएं नहीं हैं। मेरा यह दावा है कि इस राजस्थान विधान सभा के सिलसिले में, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष के सिलसिले में, कार्यवाही हुई है, वह कार्यवाही ऐसी है कि उनकी मिसाल हिन्दुस्तान में क्या, दुनियाँ में नहीं मिल सकेगी। इस प्रकार की कार्यवाइयाँ हुई हैं, उनके कहने का मौका कहाँ मिलेगा? उसका मौका मिलता है जब कि ऐसा प्रस्ताव रखने का कोई बन्धन न हो। यह एक दृष्टिकोण है, जिस दृष्टिकोण से मेरा संशोधन स्वीकृत होना चाहिए।

एक आपको दूसरा पहलू इस बन्धन के बारे में है। बन्धन की हकीकत में आज आवश्यकता क्यों नहीं हुई है, वह बताने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि उसका उस विधान सभा के सदन में जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उसमें जिक्र किया गया है कि कुछ ए. बी. सी. स्टेट्स में इस प्रकार के कानून हैं; उनको देखते हुए यहाँ पर भी कानून बनाना चाहिए। मुझे तो ऐसी उम्मीद थी कि हिन्दुस्तान की विधान सभा के सदस्य रह चुकने के नाते और भारत का जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, और उस हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बराबर हमारे यहां जिक्र हो जाने के नाते, उसके कानूनों के बारे में भी कोई न कोई हवाला माननीय मुख्य मन्त्रीजी या उनकी तरफ से प्रस्तुत करने वाले जो हमारे साथी हैं, वह देते, लेकिन नहीं दिया गया, और मैं आपके जरिए यह सूचना देना चाहूँगा, मेरे माननीय मित्रों को, कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भी तो इस प्रकार का कानून है। उस कानून में केवल ५० आदमियों के खड़े होने की आवश्यकता रखी गई है। १/१० केवल उसका कोरम है। जितना कोरम है सदन का उतने ही लोग खड़े होकर इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा कानून हाउस ऑफ पार्लियामेंट में है। यदि भारतीय पार्लियामेंट, जो कि सारे हिन्दुस्तान का सदन है और उस सदन में अध्यक्ष के बारे में अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए केवल उस ५०० मेम्बरों के हाउस ऑफ पार्लियमेंट में से ५० लोगों के खड़े होने की आवश्यकता है और जितनी चाहिये उतनी प्रतीत की गई तो राजस्थान की विधान सभा के ऐसी कौन सी मोहर लगी हुई है, राजस्थान की विधान सभा ने ऐसी कौनसी खासियत प्राप्त कर ली है कि जो भारत की पार्लियामेंट से ज्यादा सख्त कानून बनाया जाय। जिन कानूनों का जिक्र, ए. बी. सी. स्टेट्स का यहाँ जिक्र किया जा रहा है वह एक तरह से सदन को गलतफहमी और मुगालते में डालने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से कि वह कानून संविधान के बनने के पहले के बने हुए हैं ज्यादातर। इसलिए कि संविधान बनने के बाद उन कानूनों पर विधान सभाओं ने अभी तक विचार नहीं किया, इसलिए कि वह कानून पुराने जमाने के बने हुए ये वैसे ही चले आ रहे हैं। अगर कोई एक नया बना है तो वह हाउस ऑफ पार्लियामेंट का कानून है। अगर संविधान बनने के बाद उसकी दृष्टि से कोई नया कानून बना है तो वह हाउस ऑफ पार्लियामेंट का कानून बना है, और हाउस ऑफ पार्लियामेंट में यदि १/१० का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कोरम है और १/१० ही अविश्वास के प्रस्ताव के लिए संख्या रखी गई है तो राजस्थान की विधान सभा को तो ज्यादा रियायत बरतनी चाहिए थी और १/२० का ही प्रोवीजन रक्खा जाना चाहिए था; हाउस ऑफ पार्लियामेंट से आधा। अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से आधे के बजाय दुगुने की कोशिश की गई है, उनके यह प्रस्ताव रखने पर इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हो जाँयगी कि जिसका कोई हल नहीं निकलेगा, जिसका कोई अन्त नहीं होगा।

अब इसके बाद मैं एक दूसरे पहलू का अभी आपके सामने जिक्र करूंगा, स्वस्थ परम्परा के बारे में। यह एक आब्जेक्टिव फेक्ट है। हम स्वस्थ परम्परा कायम करना चाहते हैं तो स्वस्थ परम्परा सबसे पहले कौनसी होगी। सबसे बड़ी स्वस्थ परम्परा यह होगी कि स्पोर्ट्समेन स्प्रिट रखें। या यह मान भी लिया जाय कि ऐसे कानून की आवश्यकता है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन अगर ऐसे कानून की आवश्यकता को मानने वाले मेरे मित्र हैं उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि यह आवश्यकता पहले प्रतीत हो जानी चाहिए थी। यह प्रस्ताव आने से पहले प्रतीत हो जाती तो अच्छा था। प्रस्ताव आ गया।

प्रस्ताव पेश होने में समय था ? लेकिन अप टू दी लास्ट मिनिट, इलेवन्थ अवर, अपटू दी जीरो अवर, जिस दिन वह प्रस्ताव एजेन्डा में रखा जाता है, उस दिन यह कहा जाता है कि इस प्रस्ताव के पहले यह कानून बना लें। इसका तात्पर्य क्या होगा ? इसका तात्पर्य यह होगा कि आप बहुमत के जरिये सही, चाहे गलत हो, चाहे समय गैर समय का हो, चाहे आवश्यकता हो या नहीं, किसी भी तरह से प्रस्ताव पास करा लें, कानून बना लें। यदि यह ट्रेडीशन बन गई तो, माननीय चेयरमेन, कौन उनके हाथ को रोक सकेगा अन्य एक और प्रस्ताव इस सिलसिले में बनाने के लिए ? मान लीजिए कि आज सरकारी पक्ष के अगर १२० मेम्बर हैं और उन्हें मालूम है कि इतने लोग हमारी पार्टी के व्हिप के मातहत हैं, और वह विरोध में वोट किसी भी हालत में नहीं दे सकते और कहीं विधान सभा में १३० मेम्बर ऐसे हैं जो सरकारी पक्ष में हैं, १६० में से तो हर वक्त वह विधान सभा में जो सरकारी पक्ष है वह एक्चूरियल केल्क्यूलेशन करेगा कि हमारे जितने मेम्बर हैं उनसे बाकी के जो बच गये हैं उन मेम्बरों में २, ३, ५ को और तोड़ लिया और इसलिए इतनी आवश्यकता रख देने का प्रस्ताव पेश करेगा कि विरोधी दल के ३० सदस्य के बजाय ३२ सदस्य रखेंगे या ४० के बजाय ४५ सदस्यों की आवश्यकता रखेंगे तो नतीजा क्या होगा कि इस प्रकार का प्रस्ताव पेश करके संविधान में दिये हुए अधिकारों का खून करने का मौका देंगे बहुमत को। वह सीधे तौर पर कहेंगे, लेकिन टेढ़े तौर पर ऐसी परिस्थितियाँ जरूर पैदा करेंगे कि अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं किया जा सके। जो अधिकार संविधान में हमें दिया हुआ है उन अधिकारों का इस्तेमाल करने पर रोक लगेगी तो उन बुनियादी अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगा और बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा करने के बजाय तोड़ने का मार्ग बनायेंगे। इतना ही नहीं..........

श्री सभापति--(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल) माननीय सदस्य काफी समय ले चुके हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे एक-दो मुद्दे बहुत महत्त्व के कहने हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे कहने की इजाजत देंगे।

श्री सभापति—यदि संक्षेप में कहें तो अच्छा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जहाँ तक मेरे लिए मुमकिन होगा मैं संक्षेप में ही कहूँगा।

श्री जवानसिंह--माननीय चेयरमेन, माननीय सदस्य को मैं अपना समय देना चाहता हूँ।

श्री सभापति—इस आदान-प्रदान की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं समझता हूँ, माननीय चेयरमेन की उदारता ही काफी है और समय मुझे मिल जायगा।

मैं आपके जरिये सदन के माननीय मित्रों से कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप यह सोचते हों कि इस प्रस्ताव में तथ्य नहीं है, हो सकता है आपको निश्चित् धारणा बन गई है कि ये लोग विरोधी पक्ष वाले जो प्रस्ताव रख रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है, लेकिन इस बात को भी कम से कम विचार में लाया जाना आवश्यक है, कि जब हम परम्परा के बारे में विचार करते हैं तो इस बात को लाना आवश्यक ही नहीं है अति आवश्यक है कि जो बातें ये कह रहे हैं वह सही है या गलत है। विरोधी पक्ष में अलग-अलग विचार धारा के लोग हैं, अलग-अलग पार्टियों के लोग हैं। जब अलग-अलग पार्टी और अलग-अलग विचारधारा के लोग एक किसी विशेष बात पर सब एक मत हैं कि राजस्थान असेम्बली के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो कार्यवाही है वह ऐसी है कि जिसके कारण हमको उनमें विश्वास नहीं रहा है तो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो होनी ही चाहिए। फिर भी आप परम्परा का जिक्र करना चाहते हैं तो परम्परा क्या होनी चाहिये? परम्परा यह होनी चाहिए कि बहुमत रखने वाले पक्ष को सोचना चाहिये कि मुमकिन है ऐसी बात हुई हो जो हमारे ध्यान में नहीं आई हो और सच हो तभी इस बात पर विरोधी पक्ष में कम्पलीट युनानिमिटी हुई है और आज भी है और लगातार चली आती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ मजबूत बात होनी चाहिये। यदि मौजू बात है तो कम से कम सुनने का प्रयास तो आपको करना ही चाहिए, उनको कहने देने का प्रयास तो करना ही चाहिए। यदि आपको परम्परा रखनी है तो आपको यह दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए कि हमारी पार्टी का आदमी है, हमारी पार्टी का सदस्य अध्यक्ष है, यह हमारी प्रेस्टिज का सवाल है, हम ऐसा क्यों करें? आप यदि उनका सम्मान करना चाहते हैं तो उनको केबिनेट में लेलें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हमें विरोध है तो अध्यक्ष पद पर रखते हुए उनकी नीति

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

से है । आप विरोधी पक्ष की भावना की कद्र नहीं करते और उनको अपनी भावना व्यक्त करने का मौका नहीं देते । यह क्या स्वस्थ्य परम्परा है ? जिस बात को मानना तो अलग रहा, मन्जूर करना अलग रहा, व्यक्त करने तक का मौका नहीं देते तो क्या यह स्वस्थ्य परम्परा है ? बधाई है उनको उनकी स्वस्थ परम्परा के लिए ! विरोध को घुटने का मौका दिया जायगा तो वह फड़फड़ायेगा जैसा कि ३१ तारीख को हुआ । मैं एक बात और कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—माननीय सदस्य समय को ध्यान में नहीं रखते ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमैन, एमेन्डमेंट ऐसा है कि जिसमें समय का ध्यान रखते हुए भी घटनाओं और भावनाओं का पुट लग जाता है । मैं इसे जल्दी ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा । मैं समझता हूँ ऐसी महत्त्व की चीज़ को सुनने का मौका नहीं देते हैं तो यह ठीक नहीं है । ऐसी बात पर पर्दा नहीं डालना चाहिये । दुनियां को मालूम होने देना चाहिये कि वास्तव में चीज़ क्या है ? अमूमन संशोधन के लिए टाइम दिया जाता है । मैं अनुचित बात नहीं कहना चाहता ।

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—क्या माननीय सदस्य के ख्याल में यह बात है कि उन्होंने आधा घण्टा ले लिया है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब और ज्यादा ध्यान में रखने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—आप शीघ्र ही समाप्त करें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं सिर्फ उन बातों का थोड़ा सा जिक्र कर दूं जो मुझे सदन में प्रस्तुत करनी हैं । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि इस विधान सभा के रूल्स और प्रोसिजर हैं वे आज तक हमारे बनाये हुए नहीं हैं, हमारे रूल्स एण्ड प्रोसिजर की क्लॉज़ ८६ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस क्लॉज़ में महत्व की बात है, 'Rule against anticipation' जो इस प्रकार है :

"A motion or amendment must not anticipate a matter already appointed for consideration of the Assembly; and in determining whether a motion is out of order on the ground of anticipation, the Speaker must have regard to the probability of the matter anticipated being brought before the Assembly within a reasonable time."

मैं फिर से आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो लिस्ट ऑफ बिजिनेस २० और २१ तारीख की सर्क्युलेट हुई थी इस विधान सभा सचिवालय से उसमें एक प्रस्ताव था जिस प्रस्ताव का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आशय यह था कि इस सदन को अपने रूल्स ऑफ बिजिनेस बनाने की शुरूआत कर देनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि this is a matter already appointed for the consideration of the Assembly.

यह एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर इस विधान सभा में विचार करने के बारे में अनुमति दी जा चुकी है। यह भी आशा करते हैं कि मुमकिन है कुछ दिन बाद प्राइवेट मेम्बर्स डे में इस सत्र के पूरा होने से पहले हम उस पर विचार करें। यदि ऐसी बात है तो जो प्रस्ताव है: It wants to anticipate a decision on that question. जो रूल्स हम बनायेंगे उनमें इस संशोधन की व्यवस्था भी रखेंगे और तब परिस्थिति का पूरा सिंहावलोकन करके मुमकिन है हम इस प्रश्न पर कुछ नतीजे पर पहुँचे, लेकिन इससे पहले ही इस प्रकार का नया कानून बनाना रूल्स ऑफ प्रोसिजर के खिलाफ होगा। जिन रूल्स ऑफ प्रोसिजर पर हमने कभी विचार नहीं किया और जो

(घण्टी)

माननीय चेयरमेन मैं एक मिनिट और लूंगा।

मैं कह रहा था कि बिल्कुल एकाकी रूप में और एक ही व्यक्ति द्वारा रूल्स बनाये गये हैं, मैं ऐसा कहूँ तो भी ऐतराज नहीं होगा और अब जब कि यह प्रस्ताव रखा जाता है तो उसके पीछे कुछ छीपी हुई भावना अवश्य है। आप अपोजिशन की आवाज को कुचलना चाहते हैं। जो अध्यक्ष किसी के इशारे पर एस्टीमेट कमेटी को रिपोर्ट प्रकाश में नहीं आने देते और हमेशा अनुचित तरीका काम में लाकर अपोजिशन का गला घोटने का प्रयत्न करते हैं उनके खिलाफ जो वाजिब चीज है उसको अपोजिशन द्वारा सामने नहीं लाने देना, यह राजस्थान में प्रजातन्त्र का खून हो रहा है। राजस्थान की विधान सभा का जो अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर के इशारे पर चलता है उनकी बचत करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रस्ताव को नामन्जूर करना चाहिये।

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—श्री भैरूंसिंह, मि० ए० १६ अपना एमेन्डमेंट रखेंगे।

श्री भैरूंसिंह [१६]—Mr. Chairman, Sir, I beg to move an amendment to the motion moved by the Chief Minister on the 21st of May 1954 that instead of '1/5th,' the words 'one-sixteenth' be substituted.'

माननीय चेयरमेन महोदय, आज और कल इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जितने भी माननीय मित्रों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन सबके विचार इसके विपरित आये हैं, मैं तो इस प्रकार के प्रस्ताव का आना और खास तौर से ऐसी परिस्थिति में आना विरोधी दल की एक तरह से विजय समझता हूँ। जब माननीय अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आया और इस सदन में

[श्री भैरोंसिंह]

माननीय सदस्य विचार करने पर आरूढ़ हुए उस वक्त सदन के माननीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के माननीय मुख्य मन्त्री ने इसी प्रस्ताव के बारे में तालियों की गडगडाहट में और अपने समर्थकों की आवाज के साथ आवाज मिलाकर यह कहा था कि यह रूल पास हो चुका है, प्रस्ताव पास हो चुका है। उस वक्त विरोधी दल के सदस्यों ने एक आवाज उठाई थी और प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि प्रस्ताव पास नहीं हुआ है और इस बात के लिए एक माननीय सदस्य सदन के बाहर भी निकाले गये, लेकिन आज खुशी है कि सरकारी पक्ष और माननीय अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह प्रस्ताव उस दिन पास नहीं हुआ था, बल्कि जो कुछ कहा गया था वह गलत था और इस प्रस्ताव के पेश करने पर आज इसकी भलाई के साथ-साथ मैं तो इसे विरोधी दल की विजय मान कर मैं यह कहूँगा कि राजस्थान सरकार ने बहुमत में होते हुए भी विरोधी दल के सामने हार खाई है और भविष्य में भी अगर वह इस तरह की कार्यवाही करेगी तो उसे हार खानी पड़ेगी। माननीय चेयरमेन, जब से हमारे देश में जनतन्त्रवाद की शुरूआत हुई तो लोगों के दिलों में कई तरह की कल्पनाएं उठीं। क्योंकि यह एक नई चीज थी, लोग जनतन्त्रवाद के मूल सिद्धान्तों को समझे हुए नहीं थे, और यह स्वाभाविक है कि नई चीज होने से नई-नई कल्पना करें, लेकिन कल्पना ही नहीं जब हमारा संविधान बना तो उसमें डेमोक्रेसी का वास्तविक चित्रण किया गया और लोग इसको अनुभव करने लगे कि डेमोक्रेसी में जनता के बहुमत का राज हो। इसको कोई इन्कार नहीं कर सकता। इसको इन्कार नहीं करने के साथ साथ इसके ऊपर संविधान ने रेस्ट्रिक्शन डाले हैं जिससे कि मेजोरिटी के हाथों माइनोरिटी कुचली जाय। इसलिये जनतन्त्र में चुनाव की पद्धति के बाद जो सरकार बनती है, उस सरकार की सारी कार्यवाहियों पर अंकुश रखने के लिये यदि सरकार ऐसी कार्यवाहियां करे जो अनैतिक हों, जनता के लिये हितकर न होकर अहितकर हों, नुकसान पहुँचाती हों, तो उन कार्यवाहियों को किस तरह से एक्सपोज़ किया जाय और किस तरह सरकार पर अंकुश लगाया जाय; इसके लिये विधान सभा के रूप में एक अंकुश डेमोक्रेसी के जमाने में हमारे सामने है और इसमें उस आवाज को लोगों के पास किस तरह पहुँचाई जाय, सरकार के कान किस तरह खोले जाँय, इस चीज को किस प्रकार से नियन्त्रण में रखा जाय इसके लिये अध्यक्ष जैसी संस्था बनाई है जिसमें अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि अध्यक्ष ऐसे नियम बनाये और उनकी सत्यता के आधार पर माइनोरिटी के अधिकारों को सुरक्षित रखे और फिर भी यह पद अच्छा पद मानने के बाद अध्यक्ष महोदय जब कुर्सी पर आसीन होते हैं तो उनके सामने एक बड़ा मोटो लगाया गया है 'सत्यमेव जयते' पीछे से भी देखते हैं और कुर्सी पर आसीन होते हैं उस वक्त उनके सामने आता है। मुझे दुख है कि वह मोटो उनकी नजर के सामने नहीं होने के कारण वे कुर्सी पर बैठने के बाद भूल जाते हैं। यदि भूलने का सवाल नहीं आता तो माननीय चेयरमेन मैं साफ कह सकता हूँ कि ऐसे अध्यक्ष के प्रति इस सदन में तो क्या बाहर भी यदि कोई व्यक्ति बुरी बात करे तो सदन के सदस्य रोकने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि हमारे अध्यक्ष उस सिद्धान्त पर स्थित हैं जो उनके पीछे भी लगा हुआ है और कुर्सी पर बैठने के बाद भी वह उनको याद रहता है।

माननीय चेयरमेन, आज इस प्रस्ताव के बारे में विचार हुआ और कल से विचार हो

[श्री भैरोंसिंह]

रहा है उस वक्त से लोगों के दिलों में मैलापन है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने अविश्वास के प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के लिये सदन के जिस १/५ हिस्से का उसके पक्ष में होने का नियम जो निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है, वह संख्या आखिरी दम तक रह भी जायगी या नहीं ? यदि राजस्थान विधान-सभा और राजस्थान सरकार की परम्पराओं को आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो, मुझे माफ करें, ज्यादा सदस्य इस विचार के भी है कि जो आज सरकार में चले जाँय और कल सरकार को छोड़कर वापिस आ जाँय । ऐसी अवस्था के अन्दर इस प्रकार की संख्या निर्धारित की जाय तो यह विरोधी दल के लिये एक बड़ी घातक चीज होगी । यदि आज इस तरफ विरोधी दल के सदस्यों की संख्या ४४ है तो एक समय था जब इसकी सदस्य संख्या ७८ थी । ७८ से घटते-घटते अब वह ४४ तक हो गई । इस ४४ तक करने का श्रेय भी उसी सरकारी पक्ष को है जो आज अविश्वास के लिये १/५ की संख्या निर्धारित करना चाहता है । आज सरकार के पास कई कानून हैं, रुपया पैसा है देने को, लालच है और वह प्रयत्न करे तो यह ४४ की संख्या भी कम हो कर इतनी हो जाय कि वह कभी १/५ से ऊपर हो ही नहीं सके । ऐसी सूरत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तरफ से सदन के अधिकारों पर कुठाराघात किया जाय तो इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकें । ऐसी मन्शा से यह प्रस्ताव लाया गया है ।

इस प्रस्ताव में स्वस्थ परम्परा का जिक्र किया गया है । यदि सदन की स्वस्थ परम्पराओं की ओर ध्यान दें और जितने सदस्य जो जो वादे करके अपने इलेक्टोरेट से आये हैं, यदि उन वादों के खिलाफ काम करेंगे तो वे सदन के सदस्य नहीं रहेंगे और फिर इस सदन से त्यागपत्र देकर फिर से नया चुनाव लड़ कर ही इस सदन के सदस्य हो सकें । इस प्रकार की स्वस्थ परम्परा राजस्थान की विधान सभा के सदस्यों के लिये बनी हुई होती तो ऐसी अवस्था में इस प्रकार की संख्या निर्धारित की जाती तो देखते कि एक भी संख्या कम नहीं हो पाती । जब कि आज नैतिकता का नामो-निशान तक नहीं है, उस वक्त इस तरह का प्रस्ताव रखना, विरोधी दल के सदस्यों की आवाज को कुचलना है ।

जिस तरह कि इस प्रस्ताव में जिक्र किया गया है कि स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखने के लिये १/५ संख्या निर्धारित की जानी आवश्यक है । मैं इस सम्बन्ध में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जब से राजस्थान विधान सभा के अधिवेशन शुरू हुए उस समय से आज तक की इसकी परम्पराओं को यदि ध्यान से देखा जाय तो पता चलेगा कि हमने स्वस्थ परम्पराएं नहीं बनाईं बल्कि अस्वस्थ परम्पराएं बनाई हैं । दो दफा अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव आये हैं ।

श्री सभापति (श्री गुलाब चन्द कासलीवाल)—माननीय सदस्य विचार सीमा का अतिक्रमण न करें ।

श्री भैरोंसिंह (दाँता रामगढ़)—वास्तविक बातें हैं, विचार-सीमा का अतिक्रमण नहीं ।

Page No.48

श्री सभापति—वास्तविक बातें भी इस विषय के बाहर न जाँय।

श्री वेदपाल त्यागी—प्रस्ताव में स्वस्थ परम्परा शब्द है इसलिये यह कहना जरूरी है।

श्री भैरों सिंह (दाँता रामगढ़)—राजस्थान विधान सभा के अधिवेशन शुरू होने के बाद से आज तक कितनी स्वस्थ परम्पराएं और किस प्रकार की स्वस्थ परम्पराएं कायम की हैं यदि इस बारे में राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही को देखा जाय और बाहर के अध्यक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाय तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बाहर के एक अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया, किसी का विश्वास खो देने लायक कार्यवाही के कारण नहीं, किसी के हकों पर कुठाराघात करने के कारण नहीं, बल्कि इस बात पर कि सरकार की तरफ से सदन में एक रिपोर्ट पेश होने वाली थी उसे पेश करने में सरकार ने देर कर दी, इसमें उन्होंने सरकार का साथ दिया, परन्तु राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष के प्रति दो प्रकार के अविश्वास के प्रस्ताव आये हैं, यह स्वस्थ नहीं अस्वस्थ परम्परा है और इस प्रकार का प्रस्ताव रखना अस्वस्थ परम्परा को बढ़ायेगा, स्वस्थ परम्परा को नहीं।

माननीय मुख्य मंत्री अपने भाषणों में कह दिया करते हैं कि मैं हिस्टोरियन हूँ और मुझे ऐसा भी खयाल है कि हिस्टोरियन के पास हिस्टरी लिखने का मसाला नहीं होता है तो वह बेचैन रहता है। स्वस्थ परम्परा बनी रहे तब तक हिस्ट्री लिखने का मसाला हिस्टोरियन को नहीं मिलता। तो १/५ की संख्या निर्धारित करने का प्रस्ताव रख कर शायद मुख्य मन्त्री ने कोशिश की है कि स्वस्थ परम्परा की आड़ में अस्वस्थ परम्परायें बनायें, ताकि राजस्थान विधान सभा के विरोधी दल और सत्तारूढ़ दल के बारे में इतिहास लिखा जा सके। इतिहास अच्छा हो या बुरा हो, इस बात की हिस्टोरियनों को फिक्र नहीं होती। मुझे तो शक है कि किसी चिन्ता के कारण उन्हें इस प्रकार की कोई प्रेरणा मिली है कि मुझे इस प्रकार का इतिहास बनाना है। अगर यह बात नहीं होती तो जिस तरह के अपने काम कराने के लिये अध्यक्ष महोदय से काम करवाये हैं, वे नहीं करते और विरोधी दल को कुचलने की कार्यवाहियां अध्यक्ष महोदय ने की हैं वे नहीं करते।

राजस्थान विधान सभा में जिस वक्त इनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आया था उस वक्त तो इस प्रकार की कोई चीज नहीं थी कि कितने सदस्यों के मत पर अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। उस वक्त तो मैं समझता हूँ कि यह आश्वासन दिया गया था कि विरोधी दल के सदस्यों के आवाज और उनके अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होगा। वह एक अच्छी परम्परा थी। मैं मानता हूँ कि अध्यक्ष की तरफ से जिस चीज के इशारे पर आइन्दा विरोधी दल की आवाज नहीं कुचली जावेगी और विरोधी दल ने भी उसे वापिस लेकर अपनी उदारता दिखाई थी, विरोधी दल की ओर से सही कदम हमारे सामने आया, लेकिन जब आज हम हमारी सरकार का रुख देखते हैं कि सरकार किस प्रकार से पक्षपात किया करती है ? एक तरफ तो हैल्दी कन्वेन्शन कायम करने की बात कही जाती है और दूसरी तरफ हमारे साथ यह बर्ताव किया जाता है और तीसरी तरफ इस प्रकार का प्रस्ताव पास करके विरोधी दल ने जो अध्यक्ष के अन्दर अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है,

[श्री भैरोंसिंह (दाँता रामगढ़)]

उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है कि सदस्यों की संख्या की कमी के कारण उस प्रस्ताव पर विचार विनिमय नहीं करें। चाहिये तो यह था कि किसी तरह से अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर और अगर चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते तो काम करने वाले अध्यक्ष महोदय को यह चाहिए था कि वे कहते कि एक दफे पहले मेरे प्रति अविश्वास के प्रस्ताव की बात को समाप्त होने दी जावे और उसके बाद इस प्रकार का रूल होना चाहिए। पहले मेरे ऊपर अविश्वास का कलंक लगाया जाता है उसको दूर किया जावे। इस प्रकार की स्वस्थ परम्परा कायम होनी चाहिये थी, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि अभी भी गलतफहमी हो रही है और इसीलिए यह प्रस्ताव किया जाता है ताकि डेमोक्रेसी में अध्यक्ष के अविश्वास की भावना लोगों के सामने तो क्या यहाँ हाउस में भी विचार के लिए भी नहीं आ सके।

हमारे इसी सदन के उपाध्यक्ष महोदय, जब उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि यदि एक भी सदन के सदस्य को मेरे प्रति अविश्वास हो तो मैं सदन से इस्तिफा देने को तैयार हूँ। यह आदर्श उन्होंने उस समय कायम किया था जिस वक्त वे विरोधी दल के सदस्य थे। दुबारा जब उनके इम्तिहान का समय आया तो उनका वह आदर्श नहीं रहा। उस समय चाहे वह उनका आदर्श किसी अन्य कारणों से हुआ हो मगर जो आदर्श का साहस उन्होंने उस समय किया था, वह उस समय किया था जब कि वे एक विरोधी दल के सदस्य थे और मैंने भी विरोधी दल के सदस्य होने के नाते इस प्रकार का जिक्र किया है। लेकिन अब उन्होंने अपना चोला बदला, उसके साथ साथ फिर ऐसा आदर्श नहीं हुआ और उन्होंने बता दिया कि सत्ताधारी दल में इतनी हिम्मत नहीं कि वे इस प्रकार का आदर्श कायम करें, इस प्रकार का साहस होता तो जिस दिन उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आया उसी वक्त वे सदन से उपाध्यक्ष पद से इस्तिफा दे देते और एक स्वस्थ परम्परा कायम कर देते। यह उनका प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न तो चोला बदलने का है। उनको तो चीफ मिनिस्टर के इशारों पर काम करना है। सवाल तो विरोधी दल की आवाज को कुचलने का है। आपका पहले का आदर्श जो स्वस्थ परम्पराएं कायम करने का था वह इतिहास मिट्टी में गया और अब उसी आदर्श को दूसरे ढंग से दोहराना पड़ता है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—On a point of order, Sir, Is there no time-limit for the speakers today ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of Order, Sir, if a ruling has already been given can the question be reopened ?

श्री सभापति—I think the Hon'ble members will restrict their speeches themselves; [Cheers from opposition]

I will request the Hon'ble Member who is continuing his speech to similarly restrict his speech.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह स्वस्थ परम्परा है।

श्री भैरोंसिंह—यह स्वस्थ परम्परा बनी रहे इसके लिए मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ।

चेयरमेन महोदय, अध्यक्ष ने किस प्रकार विरोधी दल की आवाज को कुचला है, इस विषय में मेरे से पूर्व मित्रों ने काफी प्रकाश डाला है। मुझे तो डर है, अध्यक्ष महोदय ने किस प्रकार से कार्यवाही सदन में आने से रोकी, और उनकी प्रबल इच्छा है कि सरकार की कार्यवाही पब्लिक के सामने नहीं आवे और अगर विरोधी दल लावे तो उसे रोक दिया जावे। उनको ज्यादा से ज्यादा डर हो सकता तो विजिटर्स का डर हो सकता है, इससे भी ज्यादा डर उनको प्रेस का हो सकता है। यदि उनको इस प्रकार का डर है और इस प्रकार के डर से कार्यवाही रोकनी पड़ती है या इसी प्रकार के डर से विरोधी दल की आवाज को कुचलना चाहते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि :—

(१) प्रेस वालों को यह कह दिया जावे कि अब मिनिस्टरों के एक्सपोज़र का समय है आप बाहर चले जावें;

(२) या विजिटर्स से कह दिया जावे कि अब सरकारी बुराइयों पर प्रकाश डाला जाने का समय है आप बाहर चले जावें और अगर इस पर भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो;

(३) विरोधी दल को कह दिया जावे कि आप सरकार के विरुद्ध अगर कोई बात एक्सपोज़ करेंगे तो आपको सदन के बाहर जाना पड़ेगा जिस तरह की नजीर आपने कायम की है।

लेकिन अगर आप और हम यह चाहते हैं कि प्रेस वाले, विज़िटर्स और विरोधी दल तीनों ही कायम रहें और सरकार की खामियों को अच्छी तरह से देखभाल करके बतावें कि ये ये खामिए रखी हैं और उनको सदन के सामने रखें तो आपको एक सिद्धान्त बनाना पड़ेगा :—

"Minority should not be crushed at the hands of the majority"

इस सिद्धान्त को आगे रख कर काम करना पड़ेगा। अगर कोई खामियें होंगी तो डेमोक्रेसी में उनको बताना होगा ताकि उनको आगे सोचने का मौका दिया जावे।

अगर विरोधी दल की आवश्यकता नहीं होती तो यह भी कानून बन सकता था कि जिस पार्टी की मेजोरिटी हो उसके सदस्यों के अलावा दूसरों को सदस्यता से हटा दिया जावे, लेकिन इस

[श्री भैरोंसिंह (दाँता रामगढ़)]

सिद्धान्त को इसलिए रखा है कि विरोधी दल के बिना डेमोक्रेसी चल नहीं सकती । उन लोगों पर कोई चेक नहीं होगा । अगर उन पर कोई चेक होगा तो विरोधी दल की तरफ से होगा; डिफेन्स पनप नहीं सकेगा ।

मुझे दुनिया के दूसरे लोगों से सुनने को मिलता है कि हमारे देश में जनतन्त्रवाद एक खिलवाड़ है । मेजोरिटी वाले मेजोरिटी के आधार पर माइनोरिटी को कुचल देना चाहते हैं और जनतन्त्रवाद का जनाजा निकालने के लिए क्षेत्र बनाया जाता है । हमने सिसकते हुए जनतन्त्रवाद को देखा है । हम उसको अपने शासन-काल में सचेत हुआ देखेंगे । मगर सरकार द्वारा इस प्रकार की परम्परायें बनाई जा रही हैं । जनतन्त्र के हामियों के द्वारा ही यह उसका पतन किया जा रहा है । लोगों के दिमाग में यह चीज बैठ जावे कि यह एक ढकोसला है और मेजोरिटी पार्टी सारे के सारे छोटे लोगों को, माइनोरिटी को और विरोध को कुचलने का मार्ग है । यदि इस प्रकार की दबाने की भावना पैदा हुई तो मुझे कहना पड़ेगा कि स्वस्थ परम्पराओं को कायम करने के साथ-साथ आप डेमोक्रेसी को कुचलने की बात कर रहे हैं और यह बात इस सदन के लिए ही नहीं भारत के लिए भी हानिकारक होगी ।

माननीय चेयरमेन, कल जिस वक्त इस सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी उस समय कुछ व्यक्तियों ने बतलाया कि डेमोक्रेसी में विरोधी दल का क्या स्थान है ? मैं मूल विषय पर ज्यादा न जाकर इतना ही बताऊंगा कि राजस्थान के विरोधी दल पर प्रतिबन्ध, डाल कर ऐसा किया जा रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राजस्थान के मन्त्रियों के इशारे पर काम करते हैं । इससे नुकसान उठाना पड़ेगा । और, वह यह कि जनता की आवाज राजस्थान के विधान सभा में नहीं पहुँचाई जावे और यदि असेम्बली के अन्दर नहीं पहुँचाई गई तो आप सब स्वीकार करते हैं कि राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार का बोलबाला, राजस्थान के अन्दर अनैतिकता का बोलबाला, राजस्थान के अन्दर......

(घंटी)

श्री सभापति—माननीय सदस्य विचार-सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह—माननीय चेयरमेन, यह विचार-सीमा का उल्लंघन नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ ।

तो मैं कह रहा था कि शायद विरोधी पक्ष को दबाने के विचार से ही यह पाबन्दी लगाई जा रही है । मैं समझता हूँ कि......

Page No.52

श्री सभापति—माननीय सदस्य नैतिकता का भी उल्लंघन कर रहे हैं। चेयर के रूलिंग पर प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—माननीय चेयरमेन, के रूलिंग पर प्रोटेस्ट करने की मेरी मन्शा नहीं है। अगर मेरी यही मन्शा समझी गई है तो मैंने जो कहा उसको मैं विथड्रा करता हूँ।

(राज्य पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

जो मैं निवेदन कर रहा था, माननीय चेयरमेन, वह यह था कि यदि १/५ की संख्या निर्धारित कर दी गई तो उससे हमें नुकसान कितना होने वाला है? मेरा संशोधन है कि १/५ के बजाय १/१६ संख्या निर्धारित कर दी जाय। इसका मतलब यह हुआ कि सदन के १६० सदस्य हैं तो यदि १० सदस्य चाहें तो अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर दिया जाय।

यदि ठीक प्रकार से आंका जाय और विरोधी दल की ओर सत्तारूढ़ दल का जो रवैया रहा है उसको सामने रखा जाय तो जो मैंने संख्या रखी है उससे विरोधी दल की संख्या कम नहीं आयगी और धीरे-धीरे यही रवैया सरकार ने रखा तो अवश्य आजायगी। चूंकि यह संख्या कम न हो और यदि कम हो तो सरकार उनको प्रोटेक्शन दे, किन्तु यह आशा से बाहर की चीज है कि यह संख्या इतने से भी कम होगी। यह संख्या दस तक रखी जाय, मुमकिन है कि इससे अधिक संख्या भी हो सकती है, बढ़ सकती है और मुमकिन है कम भी हो सकती है और दस तक पहुँच जाय। इसलिए १/५ के बजाय १/१६ संख्या निर्धारित कर दी जाय। यदि दस की संख्या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर में अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहें, उनकी कार्यवाहियों को वे प्रकाश में लाना चाहें, यदि उनके कारनामों द्वारा विरोधी दल या जनता की आवाज को ठुकराये जाने का खतरा हो तो वे सारी चीजें सदन के समक्ष रख सकें। अतः मेरे १/५ की जगह १/१६ का जो संशोधन है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—अध्यक्ष महोदय,......

श्री सभापति—श्रीमती यशोदा देवी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय चेयरमेन, इस प्रस्ताव पर काफी बहस हो रही है। मैंने भी प्रायः यह अनुभव किया है। जब से मैं सदन में आई हूँ, कि इस तरह से अगर एक जिम्मेदार अध्यक्ष यहाँ रखे हुए हैं तो उनके प्रति ऐसा वातावरण बार-बार क्यों पैदा होता है? इस तरह का वातावरण एक राजस्थान जैसी विधान सभा में पैदा हुआ हो यह अध्यक्ष के लिए महान् कलंक की बात है। मैंने पहले भी सुना कि पिछले वर्ष भी माननीय अध्यक्ष के प्रति इस तरह का अविश्वास का प्रस्ताव आया था, उसको दबाया गया और इसके पीछे सारी जिम्मेदारी हमारे मुख्य मन्त्री के ऊपर है। अगर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी इस विरोधी दल के साथ इस तरह के इस प्रस्ताव को चलाया तो मैं कहती हूँ कि इस राजस्थान की धारा सभा का यह अपमान है और विरोधी दल की जिव्हा पर आज ताला लगाना है और उसको कुचलना है। यहाँ जनतन्त्र है, यहां गणतन्त्र है, यहाँ स्वतन्त्रता है; इस

[श्रीमति यशोदा देवी]

तरह की आवाज लगा रहे हैं, किन्तु उसके ऊपर भी विरोधी दल की जिव्हा पर बाहर भी ताला है, बाहर भी बोलते हैं तो पाबन्दियाँ लगाई जाती हैं और यदि अन्दर भी बोलते हैं तो अध्यक्ष महोदय द्वारा इस तरह का व्यवहार होता है, जिसको अपोजिशन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह होता है अध्यक्ष महोदय के कारण। अपोजिशन को चलाना अध्यक्ष के हाथ में है और उनके खिलाफ इस तरह का अविश्वास का प्रस्ताव आना कलंक की बात है। मैं समझती हूँ कि इस तरह से नहीं दबाया जा सकता, कि इस तरह से विरोधी दल की जिव्हा पर ताला लटका दिया जाय और यह राजस्थान धारा सभा में एक कलंक की चीज होगी।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

और बाहर जनता के लिए भी कलंक की चीज होगी। मैं कहती हूँ, माननीय चेयरमेन, कि सही ढंग से इस तरीके का अनुभव हो जाना चाहिए, न्याय होना चाहिए और बार-बार किसी तरह से अध्यक्ष के प्रति कम से कम धारा सभा में अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। मैंने सुना है, और अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि जब उपाध्यक्षजी विराजमान हुए थे तो कहा था कि मेरे प्रति किसी एक सदस्य द्वारा भी कोई अविश्वास का प्रस्ताव आया तो......

(घंटी)

श्री सभापति—माननीय सदस्यों को विचार सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

श्रीमती यशोदा देवी—मेरा कहना था कि माननीय उपाध्यक्ष ने बताया था कि एक विरोधी दल का सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव लाये तो मैं अपने पद से हट जाऊंगा। अगर माननीय अध्यक्ष, प्रशंसा के पात्र नहीं हुए, माननीय चेयरमेन उनको कुचला जायगा, आरोप लगाये जायेंगे, उनके ऊपर अत्याचार होंगे, क्या माननीय सदस्य उनको बर्दाश्त कर सकेंगे? बस, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उसको न्याय दिया जाय।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री सभापति—श्री अवनीकुमार मुकर्जी अपने संशोधन के सम्बन्ध में बोलेंगे।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—मेरा जो संशोधन है वह श्री भैरोंसिंहजी से मिलता जुलता है। अतः मैं उस पर न बोल कर उसके समर्थन में दो चार शब्द कहूँगा।

श्री सभापति—क्या आप अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं, क्योंकि आप अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहते?

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—तो फिर आपको थोड़ी देर इन्तजार करना चाहिए। पहले इस संशोधन पर जो बोलना चाहें उनको मौका दिया जाता है।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—ऐसी हालत में तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपना संशोधन मूव करूं।

श्री सभापति—बार बार विचार बदलने की आवश्यकता नहीं। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—तो फिर मुझे मौका दिया जायगा।

श्री सभापति—जैसा मौका होगा वैसा होगा। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

(विराम)

मि० बी. एन. जोशी।

एक माननीय सदस्य—क्या और एमेन्डमेंटस नहीं लिए जावेंगे?

श्री सभापति—और एमेंडमेंटस लिये जावेंगे। जो एमेंडमेंटस मूव हो चुके हैं उन पर कोई बोलना चाहें तो उनको समय दिया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या और माननीय सदस्य भी बोलना चाहेंगे तो उनको भी बोलने दिया जायगा?

श्री सभापति—दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—If all the amendments are first moved then the speeches either in support or in protest thereof are allowed it will be more proper.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I will also respectfully submit that to facilitate matters, if all the amendments are allowed to be moved and then the other speakers can speak on the amendments, it will facilitate matters.

श्री सभापति—मैं माननीय विरोधी पक्ष के नेता का सुझाव मान लेता हूँ और दूसरे संशोधनों को लेने की इजाजत देता हूँ। (विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि) श्री जवानसिंह अपना संशोधन पेश करेंगे।

(विराम)

[श्री जवानसिंह]

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमैन महोदय, इस वक्त कम से कम यह अवश्य महसूस हो रहा है कि यह समय स्वस्थ परम्पराओं का है। मैं भी इस स्वस्थ परम्परा का फायदा उठाते हुए कुछ निवेदन कर देना चाहता हूँ। माननीय मुख्य मन्त्री के प्रस्ताव में जो ११५ की संख्या निर्धारित करने का प्रस्ताव है उसमें मेरा संशोधन यह है कि उसको ११२ कर दिया जाय। मैं जो माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया है और जिन सुन्दर और स्वस्थ परम्पराओं की आवश्यकता को महसूस करते हुए उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया है, उन स्वस्थ परम्पराओं के विषय में एक-दो शब्द निवेदन कर देना आवश्यक समझता हूँ। वह यह है कि क्या यह परम्परायें इस हद तक आगे बढ़ रही हैं यह अच्छी हैं या बुरी, इस विषय में माननीय चेयरमेन आप अपनी खुद राय लगायेंगे, आप ही खुद इसका नतीजा निकाल लीजिए। मैं तो इस वक्त यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इन परम्पराओं के पीछे क्या इन परम्पराओं का महत्व है जो हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उनके खिलाफ यह प्रस्ताव जा रहा है। ये जो परम्पराएँ हम डालने जा रहे हैं वह उन रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन मुख्य मन्त्री महोदय ने अपना प्रस्ताव रखा था उस दिन मुझे ठीक तौर से याद है वह दिन प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस डे था और उस दिन माननीय मुख्य मन्त्री ने जो प्रस्ताव रखा उसका न उस दिन की कार्य-सूची में जिक्र ही था न कोई संकेत ही था। अब मैं, माननीय चेयरमेन, यह निवेदन करूंगा कि क्या यह परम्परा उस वक्त जिस परम्परा की दुहाई देते हैं, क्या मुख्य मन्त्री महोदय ने उस परम्परा का ख्याल करते हुए वह प्रस्ताव रखा था। क्या उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव रख कर उन रूल्स ऑफ प्रोसीजर की अवहेलना नहीं की जिनके अन्तर्गत हमारा सदन कार्य कर रहा है? क्या उन्होंने उन रूल्स का उल्लंघन करते हुए प्राइवेट मेम्बर्स डे के दिन अपना प्रस्ताव रखा? जिसका पहले किसी को ख्याल नहीं था और जिसकी आवश्यकता पता नहीं किस कारण उस वक्त उनको महसूस हो गई थी, उसका कोई भी कारण वे नहीं बता सके थे। जब आप स्वस्थ परम्परा की बातें करते हैं तो आपको इस पृष्ठ भूमि का भी अवश्य ख्याल रखना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि यह जो प्रस्ताव उस दिन लिया गया वह बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है।

दूसरी परम्परा आपने यह डालने की कोशीश की कि यह प्रस्ताव विधान के भी बिल्कुल खिलाफ है। इस सम्बन्ध में भी मैं एक-दो शब्द निवेदन करना आवश्यक समझता हूँ। हमारे संविधान के आर्टिकल २०८ की तहत में जब तक हमारा यह सदन तमाम रूल्स को पास न कर दे, उसके पहले यदि किसी भी प्रकार के रूल्स को बढ़ाने की आवश्यकता हो तो वह माननीय अध्यक्ष के हाथ में है। इस प्रकार जो रूल्स यहाँ बने हैं वे सदन द्वारा पास किए हुए नहीं है, इसलिए रूल्स में इस प्रकार का सुझाव देना संविधान के खिलाफ है। यह संविधान के खिलाफ प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए क्या माननीय मुख्य मन्त्री कुछ नहीं हिचकिचाये? आज जिस संविधान की तहत में वे और हम कार्य कर रहे हैं, जिस आदर्श के ऊपर हमारा यह सदन चल रहा है और जिसके अधीन हम अपनी स्वतन्त्रता को मानते हुए चले जा रहे हैं उसी संविधान के खिलाफ हम क्यों जा रहे हैं? यह विचार हमारे मुख्य मन्त्री ने क्यों नहीं किया और बिना हिचकिचाये यह जो संविधान की अवहेलना करने की चेष्टा की गई यह एक अनुभवहीनता की द्योतक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक हमारे संविधान की तहत हम अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर को सदन द्वारा पास नहीं

[श्री जगनसिंह]

कर लेते हैं तब तक किसी दूसरे रूल्स के लिए कोई प्रस्ताव लाना, इन विशेष परिस्थितियों में, जब कि माननीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आ चुका है; ऐसी पृष्ठभूमि में इस प्रकार का प्रस्ताव लाना और जिन मुद्दों के लिए अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है उनको ठुकरा देना यह एक बहुत गलत परम्परा हम डालने जा रहे हैं और जिस स्वस्थ परम्परा की जो आप दुहाई देते हैं क्या आप इसमें नाम मात्र भी स्वस्थ परम्परा की झलक देखते हैं ? मैं इससे आगे भी एक दो शब्द और निवेदन कर देना चाहता हूँ। वह यह है कि आखिर कहाँ तक इस प्रकार की रुकावट इस प्रकार के लिमिटेशन्स, माननीय सदस्यों पर आप निर्धारित करना चाहते हैं। जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री के प्रस्ताव से ज़ाहिर है कि सदन में १५ सदस्य जब प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हों तभी इस प्रकार के अविश्वास के प्रस्ताव को लाया जा सकता है ? मैं जब इसके पीछे कारण जानने की कोशिश करता हूँ तो मुझको यह प्रतीत होता है कि इसके पीछे केवल एक ही कारण पाया जाता है और वह यह कि माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो शान है उसके खिलाफ कोई भी मामला ऐसा न आये कि उनके पवित्र पद पर कोई अन्तर आये। इसके साथ हमें दूसरी चीज भी अवश्य देखनी है और दोनों चीजों को साथ रखकर चलना है वह यह कि जो हमें अपने संविधान द्वारा विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता दे रखी है उसको भी हमें ख्याल रखना है। जब हम एक बात को लेकर आगे चलते हैं तो हम दूसरी बात की खिलाफवरजी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि यह सदन कभी मन्जूर नहीं करेगा। हमें दोनों चीजों को एक साथ देखना है और दोनों चीजों को साथ लेकर चलना है। पवित्रता के साथ-साथ हमें सदन के सदस्यों के अधिकारों को भी देखना चाहिए। इस सदन के अन्दर अपोजीशन की कीमत है और अपोजीशन ही सदन की कार्यवाही आगे चला सकता है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है। इन दोनों चीजों को अलग-अलग लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इन दोनों बातों को खयाल में रखकर आगे कार्यवाही करनी है। माननीय मुख्य मन्त्री ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें इस तरह की पाबन्दी या लिमिटेशन रखी है जिससे विरोधी दल को अपने विचार व्यक्त करने का मौका ही नहीं मिल सकता। अगर विरोधी दल माननीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ कोई अविश्वास रखता है तो इस संख्या के निर्धारण के पश्चात् उसको इस प्रकार के विचार व्यक्त करने का मौका ही नहीं मिल सकता। यह एक प्रकार से विरोधीदल के साथ सरासर अन्याय होगा। यह अन्याय केवल विरोधी दल के लिए ही होगा, यह बात नहीं, यह संविधान के प्रति भी अन्याय होगा उस पवित्र संविधान के प्रति जिस के आधार पर माननीय मुख्य मन्त्री और सारा सदन आधारित है।

हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, उस विशेष दिन जिस दिन कि प्राइवेट मेम्बर्स बिजिनेस था, उस दिन हमको यह मालूम नहीं था और आजतक भी यह यह मालूम नहीं कि जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मन्त्री ने रखा था वह सबस्टेंटिव मोशन था या केवल प्राइवेट मेम्बर्स मोशन था। अगर इन दोनों बातों में से एक भी चीज हमारे सामने स्पष्ट हो जाती तो उसका ठीक तरह से उत्तर दिया जा सकता था। उस दिन जो दिन, प्राइवेट मेम्बर्स के लिए मुकर्रर किया गया था, उस दिन की जो लिस्ट ऑफ बिजीनेस सरकूलेट की गयी उसमें इस सचिवालय द्वारा यह सूचना नहीं थी कि उस दिन यह प्रस्ताव जो माननीय मुख्य मन्त्री ने पेश किया है वह विचारार्थ लिया जायगा और पारित किया जायगा।

[श्री जवानसिंह]

जब ऐसी कोई सूचना नहीं थी और जिसे इस कार्य-क्रम की सूची में कोई स्थान नहीं था तो माननीय चेयरमेन महोदय, उस दिन यह विचारार्थ किसी स्थिति में नहीं लिया जा सकता था और अगर उस प्रस्ताव को सब्स्टेन्टिव मोशन माना जावे तो भी मैं निवेदन करूँगा कि उसके लिए दो दिन की अवधि देना बहुत ही अत्यावश्यक था और जब तक इसकी सूचना माननीय सदस्यों को नहीं दी जाती मेरा खयाल है यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं लिया जा सकता था।

इस तरह से जिस सूरत में यह प्रस्ताव पेश हुआ है उसे देखते हुए यह विचारार्थ किसी सूरत में नहीं लिया जा सकता। दोनों सूरतों में इसे लिया जाना उचित नहीं कहा जा सकता। न यह लिया जा सकता था बिना सूची पर आये और न बाद में बहस की जा सकती थी इस पर। इन कानूनी रुकावटों की वजह से मैं यह निवेदन करूँगा माननीय चेयरमेन, कि दरअसल में यह प्रस्ताव विचारार्थ नहीं लिया जा सकता। फिर भी उस दिन गलत तरीके से मानिये या किसी खास वजह से मानिये यह प्रस्ताव विचारार्थ लिया गया और इसके ऊपर जो संशोधन आये तो उन संशोधनों में मैंने अपना भी एक संशोधन पेश किया है। उस संशोधन द्वारा मैंने यह निवेदन किया है कि एक ऐसी संख्या निर्धारित की जाय जिसकी वजह से विरोधी दल के ऐसी राय रखने वाले माननीय सदस्यों को जो माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में अपना विश्वास खो बैठे हैं, अपनी तरफ से शिकायत करने का मौका दिया जा सके। उनके खिलाफ अगर कोई ज्यादती होती है तो उस ज्यादती को व्यक्त करने का आवश्यक मौका उन्हें दिया जावे।

इस सिलसिले में मैंने ऐसी संख्या मान करके अपना संशोधन पेश किया है कि जिसकी वजह से यह असर हो गया है कि यह संख्या केवल नाममात्र के लिए है और इसलिए है कि कोई सब्स्टेन्टिव अपोजीशन न रहे और वे अपने विचार व्यक्त करने में असुविधा अनुभव करें।

अगर इसको मन्जूर कर लिया गया तो मेरा निश्चित मत है कि वाकई में हरेक आदमी, सत्तादल के विरुद्ध जितने भी सदस्य इस सदन में बैठे हैं उन सब को एकमत से यही राय है कि वे ऐसे प्रस्ताव के खिलाफ हैं, ऐसा प्रस्ताव उनको यहाँ नहीं लाना चाहिए, नहीं पेश करना चाहिए और जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है वह उन्होंने एक गलती की है। मेरा खयाल है कि माननीय मन्त्री महोदय इसकी असलियत को समझ गये हैं और मेरा निश्चित मत है कि वे अपना यह प्रस्ताव कुछ समय पश्चात् वापिस ले लेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन, श्री जसवन्तसिंह जी ने जो संशोधन रखा है उस संशोधन का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। उस संशोधन में श्री जसवन्तसिंह जी ने बताया है कि १/१० हिस्सा होना चाहिए और सरकार की तरफ से यह बताया है कि १/५ हिस्सा होना चाहिये। परन्तु आज सारे हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र का राज्य है, परन्तु कई सालों से इस प्रजातंत्र के राज्य के बारे में पुकार तो अवश्य आ रही है परन्तु वास्तव में प्रजातन्त्र का राज्य दिखाई नहीं देता है। पहले जैसे राजाओं के जमाने में और अंग्रेजों के वक्त में गवर्नमेंट चलती थी उसी तरह की गवर्नमेंट उधर बैठने वाले मेरे मित्र आज चलाना चाहते हैं। परन्तु वे यह नहीं समझते कि यह गवर्नमेंट इस तरह से कितने दिन चलेगी क्योंकि ज्यादा दिन तक इस तरह की गवर्नमेंट चलने वाली

[श्री जवानसिंह]

नहीं है। दिनों दिन जो हालत दिखाई दे रही है और जो यह जानते हैं, वे ऐसा समझने लग गये हैं कि आज जिस तरह की गवर्नमेंट चल रही है और उस गवर्नमेंट में जिस तरह का शासन चल रहा है उस शासन का नतीजा आगे चलकर क्या होगा ? तो वह अपने आप भी पहिचानें कि उसका नतीजा क्या होगा और हम किस संस्था के मेम्बर और प्रतिनिधि होकर इस गवर्नमेंट को चलाते हैं और यह पार्टी एक फोर्म करते हैं उसका भी एक फर्ज है कि ऐसे प्रजातन्त्र के जमाने में ....

श्री जयनारायण व्यास—यह माननीय चेयरमेन, बजट स्पीच है गवर्नमेंट के खिलाफ या........

श्री सभापति (श्री गुलाबचंद कासलीवाल)—माननीय सदस्य अवश्य ही अपनी विचार सीमा उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं कह गया कि मैं, यह जो प्रस्ताव रक्खा है माननीय श्री जसवन्त-सिंह जी ने उसका समर्थन करता हूँ और उसके बाद जो आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आने का कारण यह है कि असेम्बली के अन्दर कितने ही तरह के जो सदस्य हैं और उनके लिए असेम्बली चलाने के लिए जो नियम हैं उनका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो असे-म्बली चलाते हैं, उनका पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं। इसलिए यह अविश्वास का प्रस्ताव आया, नहीं तो यह प्रस्ताव आने का कोई कारण नहीं था। इसका कारण यह है कि उस असेम्बली को चाहे जैसा गवर्नमेंट कहती है उसी तरह से डिज़ोल्व कर देते हैं। इसका एक दिन का खर्चा तीन हजार रुपया होता है और उस खर्चे की ओर फाइनेन्स को तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं और दूसरे मेम्बरों को तरफ भी कोई ध्यान नहीं देते हैं कि जो लोग ......

(घंटी)

श्री सभापति (श्री गुलाबचंद कासलीवाल)—फिर आप अपनी विचारसीमा का उल्लं-घन कर रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी— अच्छा। इसलिये जो पार्लियामेंट है उसके अन्दर १/१० हिस्सा रक्खा है उसी तरह से इस विधान सभा में भी १।१० हिस्सा रखना चाहिये और इसके अन्दर सारे उधर के बैठने वाले भाइयों से भी हमारा यह नम्र निवेदन है कि १।१० रखना वाजिब है।

श्री सभापति (श्री गुलाबचंद कासलीवाल)—श्री वीरेन्द्रसिंह। (विराम) वे उपस्थित नहीं हैं अतः श्री गोपीलाल यादव अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, मेरा संशोधन इस प्रकार है:

"A vote of no confidence against the Speaker should be supported by a number equal to the quorum of the House or fifty percent of the total number of the opposition Members whichever is less."

[श्री गोरीलाल यादव]

माननीय चेयरमेन, मैंने यह मुनासिब नहीं समझा कि १/१०, १/१५ या १/१६ या १/५ ऐसी कोई चीज रक्खी जावे।

आज इस हाउस का कोरम १।१० है तो कुछ अमेन्डमेन्ट्स १।१० मानकर रखे गये, कुछ अमेन्डमेन्ट १।१६ और १।१५ के रखे गये और एक अमेन्डमेंट तो मेरे मित्र ने इस बिना पर रक्खा कि उनको शायद ८ आदमी ऐसे मजबूत अपोजिशन में नजर आते हैं कि वे तो कभी उधर जावेंगे नहीं इसलिए उन्होंने कहा १।२० रख दें तो यह उसका कोई उचित बेसिस नहीं है। मैं यह मुनासिब समझता हूँ कि कोरम के बराबर होना चाहिये। यह ठीक है क्योंकि जब हम इस टीनेन्सी बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल को पास करने जा रहे हैं और अगर यहाँ पर १६ आदमी बैठे हों, कोरम १६ का है इसलिए तो हम सारे टीनेन्सी एक्ट को पास कर सकते हैं। यही नहीं सभी हरेक चीज को पास कर सकते हैं क्योंकि कोरम पूरा है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कोरम से भी ऊपर चली जावे। इससे अधिक के लिए कहना यह वास्तव में बहुत ही एब्सर्ड चीज हो जावेगी। इसलिये कोरम से ऊपर तादाद रखना बड़ी भारी गलती है और वह कभी रक्खी जानी नहीं चाहिये।

लेकिन मैंने इसमें यह चीज और रक्खी है जो कि कोरम के अलावा है, वह क्या है? वह खास तौर से आपके ध्यान देने लायक है और वह यह है

"or 50% of the total number of the Opposition Members, whichever is less."

कोरम १६ का है और अपोजिशन में मेम्बर अगर १० हैं तो सुलह कभी हो नहीं सकती। शिकायत हमेशा होगी ओपोजीशन मेम्बर्स की। तो इसलिये कोरम ही अगर रख दिया जावे तो वैसी सूरत में कभी यह प्रस्ताव नहीं आ सकेगा। इसलिए अपोजिशन की तादाद का ५० प्रतिशत सदस्य वोट आफ नो कान्फीडेन्स के फेवर में हैं तो उस पर जरूर विचार होना चाहिये। अपोजीशन के विचारों की, अपोजीशन की भावनाओं की आपको कद्र करनी है और यह मानकर चलना है कि उसमें ५० प्रतिशत आदमी जरूर ऐसे होंगे कि जो कभी फ्रिवोलस मोशन नहीं लाएंगे, कम से कम इसको सपोर्ट भी नहीं देंगे और हाउस का टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे।

पर एक साहब यह भी कह सकते हैं कि अगर एक ही मेम्बर अपोजीशन में हो तो उसका पचास फी सदी आधा हो जाता है और आधा मीन्स एक। आधे के लिए हमेशा एक ही समझा जाता है। इसलिए अगर एक भी आदमी अपोजीशन में है तो उसकी भी कद्र की जावेगी और वह अगर वोट आफ नो कान्फीडेन्स का मोशन ले आता है तो वह जरूर सुना जावेगा।

अगर दो हैं उसमें से एक का सपोर्ट है तो भी जरूर सुना जायगा। चार है उसमें २ का सपोर्ट है तो जरूर सुना जायगा। १० हैं उसमें से ५ का है तो जरूर सुना जायगा। इसके अलावा अगर अपोजिशन के मेम्बर्स ५० हैं और ५० का आधा होता है २५, तो फिर २५ की जरूरत नहीं है।

[श्री गोपीलाल यादव]

कोरम १६ का होता है तो उससे काम चल जाता है। हमारा, क्योंकि आगे, इसमें दिया हुआ है कि whichever is less कोरम की संख्या कम है तो वह रखी जाय और अपोजिशन के आधे मेम्बरों की संख्या कम है तो वह बराबर रखी जाय। तो इसके रखने से, मैं समझता हूँ सबसे अच्छी और स्वस्थ परम्परा बनेगी। हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस प्रस्ताव में स्वस्थ परम्परा का जिक्र करके अपोजिशन के मेम्बरों पर बहुत ही मेहरबानी की है, क्योंकि अगर वे इन शब्दों को नहीं लाते तो हमको बोलने के लिए मौका नहीं मिलता। क्योंकि उनके दिमाग में स्वस्थ परम्परा बनाने का विचार है, इसलिए मैं आशा करूंगा कि स्वस्थ परम्परायें वे बनायेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे दिल के अन्दर यह विश्वास है कि यह जो प्रस्ताव है यह किसी तरह अच्छी परम्परायें कायम नहीं करता, और अगर आप मेरी इस बात का यकीन नहीं करें तो इस बात को कि यह कैसी स्वस्थ परम्परा की चीज़ है तो इसको चेयरमेन और स्पीकर के रूलिंग पर छोड़ दिया जाय और अगर वह रूलिंग यह दे दें कि यह प्रस्ताव स्वस्थ परम्परा बनाने वाला है तो मैं माफी माँगने को तैयार हूँ। मुझे चेयरमेन महोदय और स्पीकर महोदय के विचार मालूम है। उनका यह विश्वास है कि चीफ मिनिस्टर का यह प्रस्ताव बिल्कुल गलत है, यह हरगिज नहीं आना चाहिये; कोई इससे अच्छी या गलत परम्पराएं बनने वाली चीज नहीं होती। परम्पराएं तो कई चीजों से बनती हैं। एक अच्छी परम्परा हमारे यहाँ यह है कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन की तरफ बैठते हैं, यह परम्परा कैसे बन गई? परम्परा इस तरह से बनी कि स्पीकर उधर के हैं तो डिप्टी स्पीकर इधर के होने चाहिए, लेकिन जब डिप्टी स्पीकर उधर चले गए अपना मेन बदलकर तो उनको इस्तिफा देना चाहिए था; लेकिन इस्तिफा नहीं दिया और परम्परा इस तरह की बन गई और यहाँ बैठ गये। यह परम्परा इस तरह की है कि एक छोटी सी चीज है कि मद्रास में जब कुटुम्ब में शादी होती है तो बिल्ली को दाब देते हैं किसी बरतन के नीचे, नाँद के नीचे और हरेक शादी में बिल्ली की तलाश की जायगी नाँद के नीचे दबाने के लिए। हुआ क्या कि एक दफा एक शादी हो रही थी। वहाँ एक बिल्ली पालतू थी तो उन्होंने कहा कि यह अगर निकल गई और दूल्हे के सामने आ गई तो अपशकुन हो जायगा इसलिए उसको पकड़कर दबा दिया नाँद के नीचे। उस बात को किसी बहू ने देख लिया और वह परम्परा पड़ गई और वह परम्परा बिल्कुल बेसलेस है, लेकिन बन गई। अगर परम्परा इस तरह की बननी चाहिए कि वहाँ के बजाय यहां बैठा दिया तो ऐसी परम्परा बेमानी नहीं बननी चाहिए। यह चाहिए कि उनसे इस्तिफा दिलाइए और वहाँ एक अपोजिशन का आदमी रखा जाय। स्वस्थ परम्परा का जिक्र करते हुए, मैं थोड़ा उससे बाहर चला गया था अपने प्वाईन्ट से।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय चेयरमेन से कि यह प्रस्ताव जिस तरह से आया है उस रोज हाउस के सामने एक दूसरा प्रस्ताव विचाराधीन था। ऐसे टाइम पर अगर वहाँ पर उसको एन्टीसिपेट करते हुए कि इसका यह नतीजा होगा और इस नतीजे को हटाने के लिए यह लाना पड़ेगा तो वह प्रस्ताव इन रूल्स के खिलाफ है। मेरे मित्र श्री एच. के. व्यास ने एन्टीसिपेट करने का जो नियम पढ़ा था। रूल ऑफ एन्टिसिपेशन का यही मतलब निकाला जो उन्होंने

[श्री गोपीलाल यादव]

किया। उन्होंने यह लगाया कि एक मोशन, एक बिल, हाउस के सामने आने वाला है उसको एन्टिसिपेट करने के लिए वैसी ही चीज जो पहली चीज आई थी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन दूसरा यह मतलब है कि एन्टिसिपेट करने का मतलब समझते हुए कि यह चीज आने वाली है, इसका यह रिज़ल्ट होगा उसको रोकना है, उसको रोकने के लिए एक दूसरा अड़ंगा डाल दें, यह इस धारा से बवर होता है, इसलिए यह हमारे रूल्स के खिलाफ है। वास्तव में ऐसे टाइम पर हर्गिज़ यह चीज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका नतीजा क्या होगा? माननीय मुख्य मन्त्रीजी कुछ कहेंगे कि गवर्नमेंट के खिलाफ तो २५ मेम्बरों के सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ऐसा नहीं करेंगे। यदि कोई यह कहे कि यह २५ का बन्धन है इसको ३० का बन्धन बना दें या १३० का बन्धन बना दें। क्यों कि यह परम्परा बन गई। आज इस टाइम यह प्रस्ताव है तो उस वक्त ३२ कर दें। आयन्दा किसी आदमी ने कहा कि यह स्वस्थ परम्परा पहले बन चुकी है इसलिए चेयरमेन महोदय या स्पीकर महोदय से रूलिंग चाहता हूँ कि यह परम्परा बना दी। ३२ के बारे में जिस वक्त विचार हो रहा था और यह परम्परा बन गई थी, और थी तो उसके विरुद्ध २५ की तादाद या ५० की तादाद कर दें, तो उनकी रूलिंग निश्चित यह होगी कि ऐसा उदाहरण मौजूद है और हाउस के अन्दर हो चुका है इसलिए आज इस प्रस्ताव के आने से पहले २५ की तादाद को ५० किया जाय। यह एमेंडमेंट पहले आयेगा और इस पर विचार होगा। तो मतलब यह है कि बड़ी गलत परम्परा बन जायगी और ऐसी कोई चीज पब्लिक के अन्दर विश्वास पैदा करने वाली नहीं होगी। इसलिए मैं निवेदन करना यह चाहता हूँ आपसे कि इस प्रस्ताव पर विचार करते वक्त आपको स्वस्थ परम्परा का ध्यान रहे।

जहाँ तक स्पीकर महोदय का सम्बन्ध है इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए एक शब्द भी उनके विरुद्ध कहने को तैयार नहीं हूँ सिवाय उनके जो भी उनकी तारीफ में कहे हैं। मैं यह विश्वास करता हूँ कि यह जो प्रस्ताव विचार करने के लिए आज आया है वह उन्हीं की वजह से आया है और आज जो वार्तालाप हुआ है वह हर्गिज़ नहीं होने वाला था। उन्होंने फौरन कहा कि यह गलत चीज है। उस चीज को उन्होंने यह माना कि गलत है; इन चीजों को मैं मानता हूँ कि वह कभी भी सौ फी सदी नहीं चलते हैं और जितना चलते हैं उसका उस वक्त जिक्र करूंगा जब कि वह प्रस्ताव आयेगा जो कि मेन प्रस्ताव है। आज तो सिर्फ इतना ही कहना है कि आप अपोजिशन का ध्यान रखें। स्पीकर के खिलाफ कोई होगा तो गवर्नमेंट बेन्चेज़ से नहीं होगा। इसलिए हम यह सोचें कि गवर्नमेंट बेन्चेज़ से २५ आदमी से ३२ आदमी हो सकते हैं यह कभी नहीं होगा। अगर होगा तो हमेशा अपोजिशन से होगा। इसलिए स्पीकर को अपोजिशन का संरक्षक कहा गया है और अपोजिशन का संरक्षक है तो जिन आदमियों का वह संरक्षक है उन्हीं की राय आप जानेंगे जो कि प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपोजिशन के ५० फी सदी मेम्बर्स अगर स्पीकर के खिलाफ वोट ओफ नो कान्फीडेन्स लाना चाहते हैं तो वह वोट ओफ नो कॉन्फीडेन्स निश्चित आ जाना चाहिये।

एक दलील दी जाती है कि गवर्नमेंट के खिलाफ २५ आदमियों का सपोर्ट होना चाहिए

[श्री गोपीलाल यादव]

लेकिन स्पीकर पद तो बहुत बड़ा है। तो मैं मानता हूँ कि जितना ही पद छोटा होता है उतनी ही तादाद ज्यादा होनी चाहिए। यह मेरा विश्वास है कि जितना पद बड़ा हो तो उसके लिए कोई तादाद ही नहीं होनी चाहिए। जितना आदमी महान् है, उसका पद बड़ा है उतना ही उसके अन्दर यह कान्फीडेन्स होना चाहिए और दूसरों के अन्दर होना चाहिए कि हाउस का एक भी व्यक्ति उनके खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं करेगा और हम खुला छोड़ते हैं हाउस के लोगों को कि एक आदमी भी खिलाफ हो जाय तो यह प्रस्ताव ला सकता है। तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि स्पीकर को हमेशा ऐसे वोट के जरिये कायम रहना है तब तो उसको हटा नहीं सकते, लेकिन स्पीकर का स्थान इस तरह का नहीं है कि उसको मेजोरिटी के बल पर कायम रखा जाय और न मैं समझता हूँ कि संसार के स्पीकर भी ऐसा करते होंगे। ऐसे उदाहरण हैं कि एक स्पीकर एक दफा बन गये तो अपनी तमाम जिन्दगी भर अनअपोज्ड असेम्बली और पार्लियामेंट में जनता के बीच रहे और तमाम लोग इस कदर उनकी इज्जत करते रहे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। मैं यह मानता हूँ कि स्पीकर का यह ओहदा और स्पीकर की यह इज्जत, स्पीकर के बारे में यह विश्वास, तब हो सकता है जब कि अपोजिशन के मेम्बर्स चाहे वे १० हों, चाहे वे ५ हों, चाहे वे २० हों उनका सौ फी सदी विश्वास उनके अन्दर कायम हो। उनकी अगर कोई गलती हो तो एक व्यक्ति को भी अधिकार हो कि वह अपने विचार हाउस के सामने रख सके। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे अधिक नहीं बोलना है। तो मेरा प्रस्ताव है जिसके अन्दर दो चीजें हैं एक कोरम के बराबर...कोरम के बराबर मेरे मित्रों ने १/१० कहकर प्रस्ताव किया है तो १/१० के बजाय केवल उसका कोरम होना चाहिए। दूसरी चीज है कि कोरम से अपोजिशन के मेम्बरों की तादाद कम हो तो उनका ५० परसेन्ट 'विचएवर इज़ लेस'। यह अगर आप मान लें तो इसमें कोई हानि नहीं होगी यह एक स्वस्थ परम्परा बनेगी, डेमोक्रेसी के लिए, जनतन्त्र के लिए। मैं आशा करता हूँ कि जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि इसको स्पीकर और चेयरमैन की रूलिंग पर छोड़ दिया जाय। इसको मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। दूसरी चीज और भी कहना चाहता हूँ कि हाउस में इसके खिलाफ बोलें। वह कहेंगे, हालांकि वह चीज नहीं है, कि गलत बात कर रहे हैं। वे खड़े होकर यह कहें कि हम ईश्वर को साक्षी करके सच्चे दिल से यह कहते हैं कि हम इस प्रस्ताव को सपोर्ट कर रहे हैं तो भी मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन वे किसी गलत धारणा या व्हिप की वजह से बोलेंगे नहीं। यह मानते हुए भी वे बोलेंगे नहीं कि यह प्रस्ताव चीफ मिनिस्टर की तरफ से आया है, इसलिये इसका विरोध नहीं करना चाहिये। मुझे इतना ही कहना था।

(श्री मानसिंह महार के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति—(श्री मानसिंह महार से) संशोधन समाप्त हुए। उनके विरोध में कुछ कहना चाहते हैं क्या ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—विरोध में या समर्थन में कुछ कहना चाहें तो वह कह सकते हैं।

श्री सभापति (श्री गुलाब चन्द कासलीवाल)—अवश्य।

श्री मानसिंह महार—चेयरमेन, सर, सदन के सामने दो विचार धाराएं हैं। एक विचार धारा यह है कि अध्यक्ष जैसे ऊंचे ओहदे के खिलाफ यदि अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय तो वह संजीदगी से लाया जाय। उसके लिये काफी तादाद में लोगों का समर्थन हो। दूसरी विचार धारा यह है कि यदि बहुत कम आदमी भी अध्यक्ष में विश्वास न रखते हों, तो अध्यक्ष को तुरन्त ही अध्यक्ष की चेयर खाली करने का मौका दिया जाय। मैं जो प्रस्ताव अमेंडमेंट का १/५ हिस्से का आया है उसका समर्थन करता हुआ (हीयर-हीयर) कुछ कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार हमारे मित्र श्री गोपीलालजी यादव ने फरमाया उस बात को सामने रखता हुआ मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों को इस प्रकार की खिलवाड़ बनाया जायगा और यदि ४ आदमी नाखुश हो गये हैं या २ आदमी नाखुश हो गये हैं या १० आदमी नाखुश हो गये हैं तो अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय इसको मैं राजस्थान में डेमोक्रेसी की हत्या समझता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद बहुत ऊंचे हैं। उन पदों के लिये अविश्वास का प्रस्ताव रोज-रोज आना या छींटा कसी करना आप हम लोगों के लिये या हमारे देश के लिये ही क्या संसार के लिये गलत प्रणाली को अपनाना है। यदि इस चीज को हमें देखना है तो जिन परिस्थितियों में विधान सभा में हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आया है उन पर गौर करेंगे तो मालूम होगा कि इस अविश्वास के प्रस्ताव को हमारे कुछ मित्रों ने खिलवाड़ बना रखा है। यह खिलवाड़ किस प्रकार है, यह मैं, माननीय चेयरमेन, आप के जरिये सदन को बताना चाहता हूँ। जिस समय राजस्थान असेम्बली में हुल्लड़बाजी का नमूना चरम सीमा पर पहुँचा उस रोज हमारे कुछ मित्र जो हुल्लड़बाजी में अपना नाम नंबर १ पर दर्ज करना चाहते थे वे अपने नंबर १ चोपाये घेरे में नहीं आये तो वे उपाध्यक्ष से नाराज हुए और उन्होंने फौरन उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश दिया। इस प्रकार अविश्वास के प्रस्ताव का खिलवाड़ किया जाता है, अविश्वास के प्रस्ताव की जो मंशा होती है उससे खिलवाड़ किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जितने अमेन्डमेंट आये हैं उनको पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि जो व्यक्ति जिस विचारधारा का होगा उसी विचारधारा के अनुसार १/२० या १/१० की तादाद का समावेश पायेंगे। इस सदन में हमारे साम्यवादी मित्र की परसेन्टेज सबसे कम है इसी वजह से उन्होंने प्रस्ताव में रखा कि १/२० रखा जाय बुद्धिमानी तो यह थी कि वे १/१६० रखते ताकि वे अकेले ही अविश्वास का प्रस्ताव रखने के लिये काफी होते...

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह संशोधन मंजूर करने को मैं तैयार हूँ।

श्री मानसिंह महार—(जारी रखते हुए) यदि वे इस प्रकार का संशोधन रखते उनकी जबान से तो बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनकी विचारधारा हमेशा इसी ओर जाती है। वे चाहते हैं कि इस सदन में रोज झमेला हो और इस सदन में से रोज कोई न कोई चोपाया बनाया जाकर बाहर निकाला जाय (हंसी) और उनका नाम अखबारों में आवे, वे चीप पब्लिसिटी को चाहनेवाले व्यक्ति हैं, लेकिन इस सदन की मान-मर्यादा कायम रखनी है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अधिकार देना चाहिये कि वे इस प्रकार का अंकुश रखें। यह कहना सरासर गलती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बेजा अंकुश रखते हैं। यदि इस प्रकार का अंकुश नहीं रखना है तो इन पदों की जरूरत ही क्या

[श्री मानसिंह महार]

है ? आपस में आमने-सामने बैठ जाँय और १० आदमी इधर से 'हो-ही' करेंगे और १० आदमी उधर से 'हो-ही' करेंगे और यह सदन मखौल बन जायगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने सदन की मान मर्यादा रखने के लिये जो कुछ किया है उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किया है कि कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करके जिस दायरे में बोलना चाहिये उनको छोड़ कर ऊट-पटांग बातें नहीं करनी चाहिये। इसी से उनके प्रति लोगों को नाराजी हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको सोचना है। इस प्रकार का अविश्वास का प्रस्ताव बड़ी संजीदगी के साथ आना चाहिये। ये खिलवाड़ नहीं है, मजाक नहीं है।

सदन के नेता की तरफ से जो १/५ का प्रस्ताव आया है वह इसका द्योतक है कि यदि ३२ आदमियों को विश्वास हो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इस प्रकार की बेजा कार्यवाही कर रहे हैं तो उनको अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहिये। विरोधी दल में ३२ से ज्यादा आदमी हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि विरोधी दल के मित्र क्यों घबराते हैं ? इसका अर्थ यह समझता हूँ कि शायद वे यह समझते हैं कि उनमें से भी कई आदमी ऐसे हैं जो उनका साथ नहीं देंगे।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसलिये कि कल तक जो विरोधी थे वे आज दौड़-दौड़ कर उधर जाने की कोशीश करते हैं।

श्री मानसिंह महार—आप जैसे लोग जब विरोधी दल में आये हैं तो हमारे लिये यहां दौड़ना लाजमी हो गया है। लोग विरोधी दल से भाग रहे हैं इसका मुख्य कारण आप ही हैं। (हँसी)

श्री वेदपाल त्यागी—हाउस में से मत भागियेगा (हँसी)

श्री मानसिंह महार—हाउस में से तो हम लोगों को चोपाया बना कर बाहर निकालते हैं। यह भी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह सरासर गलत है क्योंकि १/५ का प्रस्ताव है और आज इस वक्त भी यह बतलाते हैं कि विरोधी दल के ४०-४५ सदस्य मौजूद हैं और यदि विरोधी दल के ३२ आदमियों को भी विश्वास न हो तो उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं। इससे मालूम होता है कि यह न्यायोचित प्रस्ताव है। हमारे कुछ मित्रों ने इस बारे में हाउस ऑफ दी पीपल की मिसाल दी, लेकिन जिस वक्त प्रस्ताव रखा गया था उस वक्त हमारे सामने पड़ोसी प्रान्तों की मिसालें थीं। तब हमको मालूम हो गया था कि १/५ ऐसी चीज है जिसको सभी प्रान्त करीब-करीब मानते हैं और विरोधी दल के जो संजीदा आदमी हैं जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने ज्यादा न करके १/१० पर वे आ गये हैं। उन्होंने हमारे साम्यवादी मित्र की तरह १/२० की माँग नहीं की है।

[श्री मानसिंह महार]

फिर विरोधी दल में दौड़ चली। जो जिस तरह के ख्यालात के थे उन्होंने उसी तरह की बातें रख दीं। त्यागीजी ने इस दौड़ में १/१८ रख दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे पक्ष में १/१८ से ज्यादा नहीं होंगे, श्री जवान सिंहजी ने १/१६ कर दिया तो किसी ने १/१५ कर दिया। यह भी साबित करता है कि विरोधी दल की एक राय नहीं है। सब मिल कर १/१० रखते तो भी हम मान लेते; पर ये अलग-अलग रायें बताती है कि ये किसी लक्ष्य को लेकर नहीं चलते है, ये तो उटपटांग बातें करते है।

मैं विरोधी दल के नेता से अर्ज करूंगा कि वे पुराने पार्लियामेन्टेरियन हैं, उन्होंने यूरोप की पार्लियामेंटों में भी भाग लिया है। वे संजीदगी से काम लें और उनका जो उद्देश्य छींटाकशी का था वह तो पूरा हो ही चुका है। अब १/५ को मानलें तो ठीक होगा।

श्री भैरोसिंह (दांता रामगढ़)—इतनी चिलम भरने के बाद अब उन्हें सक्रिय सदस्य मान लियां जाय।

श्री ईश्वरीसिंह—ओ सवाल आयो है के १ सही ५ आदमियाँ की संख्या होवे तो अविश्वास को प्रस्ताव डाल सके है। ईं में आ बात है के अविश्वास को प्रस्ताव तो चाहे ५०० आदमी, सारो मुल्क एक खानी होवे और एक आदमी वां मैं सूं चावे तो अविश्वास को प्रस्ताव डाल सके है क्यूं के रामचन्द्रजी ने बनवास दियो तो एक कैकैयी ओ सवाल उठायो के रामचन्द्रजी ने बनवास दो तो दशरथजी के तीन लुगायाँ ही वे सवाल उठा सकता हा के तीनूं राय दो तो बनवास दूं, पण नहीं एक ही कैकैयी के केणां सूं बनवास दे दियो, वो स्वस्थ परम्परा डालणे के वास्ते। जो परम्परा कही जाय वो तो यहाँ पर है ही नहीं। दूसरो सवाल यो हो सके है के रामचन्द्रजी यो सवाल उठा लेता के अयोध्या का जिता रेवा हाला आदमी है वाँ मैं सूं १/५ आदमी कह दे तो बनवास जा सकूं हूँ, नहीं तो नहीं जाऊं। तीसरी बात या है के भरतजी जाँ के वास्ते कैकैयी ओ सारो काम करियो बे भरतजी झट देणी गादी पर बैठ जाता तो कुण रोकतो। भरतजी सूं सारी अयोध्या का रेवा हाला की के गादी पर बैठ जाओ। पण वे क्यूं के बाने स्वस्थ परम्परा डालणी ही इण वास्ते भरतजी १२ बरस ताणी तपसी बणर बारे बैठा रिया।

तो स्वस्थ परम्परा डालण वालो अध्यक्ष पद है। वे देखे के परम्परा चाहे भाड़ में जावो आपण तो जो अध्यक्ष पद है उणने छोड़णे की जरूरत नहीं। स्पीकर ने हटयो जाय तो मैं तो स्पीकर बण नहीं सकूं क्यूं के पढ़ियों लिखियों नहीं, जो योग्य होवे वो ही बण सके है। परम्परा डालण वालो आदमी चिपकियो नहीं रेवे के मैं ईं पद के चिपकियो ही रेहूँ, आपका हाथ सूं स्तीफो लिखर दे देवे के मैं इयान की बदनामी नहीं उठाऊं।

तो आ चीज भी सही है के जो परम्परा पड़ जाय तो बाही आगाने दुनियाँ में होवे है। पहली की परम्परा पड़ी वा आज आपाँ करां हाँ और आज जो परम्परा पड़ जाय तो आगे पीने माने

[श्री ईश्वरसिंह]

ला। क्यूं के पद पर बैठ्या हाला तो आता जाता रेवेला। पण राजधानी तो अमर है आगे आवे वाला है वाँ के वास्ते परम्परा डाली जा रही है। तो आज जो परम्परा वा इयाँ की है के ई ने आगे आ जा हाला माने ला। मारी राय मैं तो बात यान की है के कोई इयाँ की जो चीज है कोनी के एक पद सूं कोई ने हटा दियो जावे तो वीं को करम छोलियो आय है, इयाँ भी बात तो है नहीं। तो ईं पर इती बहस की तो जरूरत ही नहीं। जो सरकार आ चावती के ईं के विरुद्ध सवाल तो उठा लियो अब भलां हीं बेठो रो, दूसरो बैठतो तो भी स्वीकर अलियो ही आतो, ईं सूं सलियो तो आतो नहीं।

तो मैं ज्यादा नहीं केर मुख्य मन्त्री सूं आ ही अर्ज करूं हूँ के २३ साल सूं मारी आ मांग है के व्यासजी मुख्य मन्त्री हो जाय तो वे आगे अच्छी परम्परा डाले, तो मैं जाणूं हूँ के मारे मन को चितियोडो हो गयो, वे अब अच्छी परम्परा डाले।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय चेयरमेन, जब अध्यक्षजी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया तो इस वक्त इस हाउस में डिस्कशन हुआ और विरोधी पक्ष की तरफ से आपत्ति उठाई गई कि इसका जल्दी से जल्दी पालन करना चाहिये। तो उस वक्त हाउस के नेता की तरफ से अविश्वास के इस प्रस्ताव का निष्मन करने के लिये यह प्रस्ताव रखा गया कि हाउस की कम से कम इतनी संख्या निर्धारित कर दी जावे जो १/५ हो, जब तक इतनी संख्या नहीं हो तब तक अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जावे। उस वक्त विरोधी पक्ष की तरफ से यह आपत्ति उठाई थी कि यह प्रस्ताव इमिजियेटली आया है और हमको सरप्राइज कर देने वाला है, प्रोपर टाइम में आना चाहिये था। इस पर काफी वाद-विवाद हुआ और उपाध्यक्ष महोदय ने इसे नियमित होने का ऐलान किया। उस वक्त मालूम होता था कि वह प्रस्ताव पास हो गया, इतना विरोध होते हुए भी इसका पास हो जाना एक परम्परा डालने वाली चीज होती, परन्तु मैं समझता हूँ कि मिस्टर स्पीकर के न्याय की वजह से या हाउस के नेता की सावधानी की वजह से हमने देखा कि इस प्रस्ताव पर विचार होने का फिर मौका दिया गया और इसके फलस्वरूप हाउस के नेता के प्रस्ताव को हम अपने सामने देखते हैं।

तो यह बात है वह मानी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि गड़बड़ में अगर यह प्रस्ताव पास कर दिया जाता तो हैल्दी कन्वेन्शन नहीं होता लेकिन फिर हमको पुनः विचार करने का मौका दिया गया। यह एक पहला कदम हैल्दी कन्वेन्शन का है। मैं समझता हूँ कि हमें इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए नहीं डरना चाहिये। माननीय चेयरमेन, जिस प्रकार की उदारता का परिचय दिया गया है कि इस प्रस्ताव पर पुनः विचार होगा उसी प्रकार हाउस के नेता और स्पीकर पुनः विचार करें और इस हाउस के मत को और खास कर विरोधी दल के मत को कहाँ तक मान्यता दी गयी उसका समर्थन करते और अपने आपको कहाँ तक खरे हैं, साबित करते।

इस प्रस्ताव के यहाँ पर पेश होने का एक कारण यह मालूम होता है कि कम से कम संख्या में इतनी संख्या में मत प्राप्त न हो सकें और संभवतः अध्यक्ष के विरुद्ध यह जो अविश्वास का प्रस्ताव है पास न हो सके। इसका लक्ष्य यह मालूम होता है कि अध्यक्ष का पद एक पुनीत स्थान

[राव श्री शम्भूसिंह]

है उसको ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यदि इस प्रकार के प्रस्ताव को वापिस ले लिया जाता है और अध्यक्ष महोदय यह बात स्वीकार कर लेते हैं कि यदि एक भी हाउस का सदस्य उनमें अविश्वास प्रकट करता है तो वे खुशी से कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं तो ज्यादा अच्छा होता बनिस्बत इसके कि यह प्रस्ताव पेश किया कि जिससे उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास न हो सके। मैं समझता हूं कि इससे उनकी प्रतिष्टा बढ़ी नहीं। उनकी प्रतिष्टा बढ़ती अगर वे कुर्सी छोड़ने के लिए कहते।

माननीय चेयरमेन, जिस प्रकार भगवान रामचन्द्रजी को सीता के विरुद्ध एक धोबी ने कुछ शंकाएँ प्रकट की थीं, उस वक्त यह हो सकता था कि भगवान रामचन्द्रजी उसको दण्ड देते, वे दे सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि उनकी शंकाओं को दूर नहीं करते तो उनका आज यहाँ जिक्र तक नहीं होता। मगर उन्होंने उसकी शंकाओं को दूर किया और इसी बात से उनकी महानता बढ़ी। उन्हें विरोध और असन्तोष प्रकट हो रहा था, उस असन्तोष को सहर्ष प्रकट किया और इसीलिए उनकी महानता बढ़ी और आज उनका यहाँ जगह जगह जिक्र किया जा रहा है और वे भगवान कहलाये।

महानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा जब बढ़ती है जब उसके विपरीत जो कोई बात कही जाती हो या उसकी उपेक्षा की जाती हो उसको सहने के लिए वह तैयार हो। विरोध की कदर करने से ही महानता बढ़ती है, न कि उसको दबाने से महानता बढ़ती है।

मैं समझता हूँ कि हमारे अध्यक्ष महोदय को भी उसी तरह से यह बात मन्जूर कर लेनी थी कि यदि मेरे विरुद्ध एक भी व्यक्ति अविश्वास प्रकट करता है तो अपने आप खुद स्थान को छोड़ने को तैयार हूँ, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होता बजाय इसके कि कई प्रकार के हथकन्डे अपनाने के। इससे उनकी महानता बढ़ेगी नहीं। लेकिन उस वक्त बढ़ जावेगी जब वे इस बात को मन्जूर करेंगे कि अगर किसी एक को भी मुझमें विश्वास नहीं है तो मैं स्वयं अलग होता हूं।

अध्यक्ष महोदय, महान् ताकत इस बात में है कि वे अपने विरोधी और विपक्षी और असहयोगियों के मत की कद्र करें और अपनी भूल को मन्जूर करें। महात्मा गांधीजी में यह विशेषता थी कि वे अपनी भूल को स्वीकार कर लेते थे। इसमें वे कभी भी हिचकिचाहट नहीं करते थे। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी भूलों को स्वीकार किया। मैं समझता हूँ कि हाउस के नेता और लीडर ऑफ दी हाउस की महानता इसी में है कि वे ऐसा कदम उठाएं जिससे हाउस में एक हेल्दी वातावरण बन जाय। जो लोग कहते हैं कि हमें आपमें विश्वास नहीं रहा है, आप उनकी कदर करें और यह साबित करदें कि वे विरोध की भी कद्र करते हैं। आज हमारे यहाँ हेल्दी परम्पराएं कायम करें जिससे दूसरे विधान सभाओं में भी हमारी मिसाल रहे। जिस प्रकार यू. पी. में टन्डनजी की मिसाल हमारे यहाँ पर दी जाती है उसी प्रकार हमारे यहाँ पर भी स्वस्थ परम्परा कायम की जावे, और हमारी विधान

[राव श्री शम्भूसिंह]

सभा का जो इतिहास लिखा जावेगा उसमें अध्यक्ष महोदय और लीडर ऑफ दी हाउस के नाम लिखे जावेंगे। जहाँ तक हो उनको अपने विरोधियों के मत की कद्र करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वे अपने पद के चिपके रहना चाहते हैं, उनको चाहिए कि स्वयं विरोधियों के पक्ष का समर्थन करें, तो होगा क्या कि उनकी खुद की महानता इसी से ज्यादा बढ़ जावेगी। अतः मैं समझता हूँ कि आप हेल्दी कन्वेन्शन कायम होने के लिए दुबारा विचार करने की दिशा में कदम बढ़ावेंगे। हेल्दी कन्वेन्शन का पहला कदम यह है। इस बात को ध्यान में रख कर सम्पर्क कायम किया जावे और इन बातों को ध्यान में रखते हुए लीडर ऑफ दी हाउस इस प्रस्ताव का वापिस ले लेंगे। अगर वापिस न लें तो जो एमेण्डमेंट हैं उनको स्वीकार अवश्य कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय यह भाषण कर देंगे कि मुझे इस हालत में अध्यक्ष पद पर रहना स्वीकार है जब कि मेरे पर हाउस को पूरा विश्वास हो। इससे मैं समझता हूँ कि अधिक विश्वास बढ़ेगा और यह हेल्दी कन्वेन्शन्स दूसरी विधान सभाओं के लिए भी होगा।

एक माननीय सदस्य (कॉंग्रेस)—इस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है। मैं क्लोजर मूव करता हूँ।

श्री तनसिंह—माननीय चेयरमेन, मुझे आश्वासन दिया गया था कि बोलने का समय दिया जायगा। इसलिए मुझे बोलने का मौका दिया जावे।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—प्रोग्राम के माफिक समय हो गया है। १२ बज गये हैं। अब आधा घण्टे का समय वाद-विवाद के लिए है और अब वाद-विवाद शुरू होगा।

अल्पकालीन सूचना प्रश्नोत्तर सं० २२ पर आधे घण्टे का वाद-विवाद

एक प्रश्न ४ जून को प्रश्न संख्या एच. एम. एफ., हाउस के सामने आया था, उसका जवाब दिया गया था; मगर श्री नारायण चतुर्वेदी ने नोटिस दिया और उसके अनुसार आधा घण्टे का समय डिस्कशन के लिए रखा गया है।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—चूँकि समय हो गया है, इसलिए डिस्कशन लिया जाने का फैसला दे दिया गया है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय चेयरमेन, मैं ऐसा ख्याल करता हूँ कि यह बहस चालू रहेगी; क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं, क्या उनको अपने विचार प्रकट करने का समय मिलेगा ?

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—यह अभी तक इस पर बन्द नहीं की गई है। आयन्दा जारी रहेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या दरअसल कोई क्लोजर मूव किया गया है : "I move a closure." It is absolutely irregular and connot be taken cognizance of it.

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—अभी क्लोजर का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमको प्रोग्राम के माफिक चलना है, उसके माफिक ही यह कार्यवाही शुरू होगी।

श्री नारायण चतुर्वेदी—चेयरमेन, आपके द्वारा सदन के सामने जो प्रश्न उपस्थित करना है वह ४ जून को सभा के सामने आ चुका था। वैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि समय बढ़ा दिया जावे क्योंकि इस प्रश्न से सम्बन्धित माननीय सदस्य यह इम्प्रेशन लेकर गये कि आगे के लिए समय एक्सटेन्ड कर दिया गया है। कूकस का बीड़ एक बहुत बड़ा बीड़ जयपुर डिविजन की जमुआ रामगढ़ तहसील में है। इस सम्बन्ध में पिछले ४, ५ सालों में तरह-तरह की चर्चाएं हुई हैं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस बीड़ को ठेके पर लेने के लिए बहुत-बहुत लोगों ने प्रयत्न किये। गत चार-पाँच साल में और उसके लिए, उसके पश्चात् एक के बाद दूसरे कई ऑफर्स आये। जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है वह पुरानी जयपुर स्टेट का बहुत बड़ा जंगल था और तत्कालीन सरकार ने बराबर यह खयाल रखा था कि उस जंगल को बहुत सुरक्षित रखा जाय, किसी कदर किसी भी गलती से न काटने दिया जाय और उसे बराबर सुरक्षित रखा जाय राज्य के बड़े जंगलों के हिसाब से। मुझे यह भी मालूम पड़ा है कि उस जंगल को ठेके पर दे दिया गया। इस सिलसिले में बिना किसी टेन्डर के, बिना किसी निलाम की कार्यवाही के और बिना किसी दरख्वास्त के, ८० हजार और एक लाख रुपयों के ऑफर आने पर भी जिनको फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की ओर से रिजेक्ट किया गया था, लेकिन एक दिन अचानक मुझे मालूम पड़ा कि वह जंगल बहुत कम कीमत में दे दिया गया किसी ठेकेदार को। उस सिलसिले में विधान सभा में सवाल किया गया और मालूम पड़ा कि वह जंगल पचास हजार रुपयों में किसी ठेकेदार को दे दिया गया है। उस पर आपत्तियाँ हुईं और सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने बताया कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूँ कि इसमें सरकार की बड़ी जिम्मेदारी थी, सरकार का बड़ा उत्तरदायित्व था। किसी जागीरदार के जंगल के बारे में अंतिम एप्रूवल (मन्जूरी) गवर्नमेंट को हुआ करती है और गवर्नमेंट जब तक यह न देख ले कि आया वह ठेका ठीक कीमत में दिया गया है या वह जो कीमत उसकी आई है वह ठीक है, तब तक किसी को ठेका नहीं दिया जा सकता। लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम पड़ा है एक ठेकेदार का पचास हजार का ऑफर आया, जागीरदार ने उसको मन्जूर कर लिया

[श्री नारायण चतुर्वेदी]

और गवर्नमेंट ने एप्रूव कर लिया। जब कि १/४ हिस्सा गवर्नमेंट को मिला करता है, कम मिला है, कम मिला है या ज़्यादा मिला है, सचमुच कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं, यह नहीं देखा है। मुझे यह भी मालूम पड़ा है कि जितने रुपये उस ठेकेदार ने दिये हैं वे उस जंगल के लायक नहीं हैं। बड़े-बड़े दरख्त उस जंगल में हैं। यह मामला विधान सभा में लाया गया, सम्बन्धित मन्त्री महोदय को बताया गया। वे बाहर चले गये। माननीय मुख्य मन्त्री को बताया। जंगल को न काटने का ऑर्डर जारी कर दिया गया और फिर मालूम पड़ा कि जब जंगल न काटने का ऑर्डर मौजूद था, और उसके बराबर मौजूद रहते हुए भी वह जंगल अभी दो चार दिन पहले तक कटता रहा है, कहीं ज्यादा तेजी से काटा गया है। मेरी यह प्रार्थना है कि इसकी पूरी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि सचमुच ऐसी कोई गड़बड़ी हुई है, जागीरदार ने गड़बड़ी की है या अफसरों ने कोई गड़बड़ी की है और सचमुच कोई ऐसा बड़ा ऑफर इसके लिए आया था; इन सब की पूरी-पूरी जाँच होनी चाहिए। एक जाँच कमेटी बिठानी चाहिए उस जंगल को देखने के लिए और उस सिलसिले में पूरी पूरी जाँच करने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष—अब मिनिस्टर जवाब देंगे।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मुझे भी बोलने की इजाजत दी जायगी।

(घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न नहीं होंगे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir.

यह हाफ एन अवर डिस्कशन सदन में पहली दफा ही आया है। मैं जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है तो क्या माननीय मन्त्री ही जवाब देंगे या और भी वाद-विवाद करेंगे ? क्या बहस के यही माने हैं ? हाउस जनरल डिस्कशन करेगा या नहीं ? सम्बन्धित मन्त्री महोदय जवाब देंगे तो बाद की बातों का जवाब कौन देंगे ? मैं समझता हूँ कि हाफ एन आवर डिस्कशन का यह मतलब नहीं होता है।

(विराम)

श्री मुक्तिलाल मोदी—सब लोगों की राय है कि इस पर उनको बोलने दिया जाय, ताकि थोड़ी-घणी पोल तो खुलेगी कि क्या-क्या कबाड़ेबाजी है ?

(हँसी)

Page No.71

श्री उपाध्यक्ष—जनरल डिस्कशन का इसमें नहीं है। यह तो हाफ एन आवर डिस्कशन है। जो फेक्ट्स एन्ड फिगर्स प्रश्नकर्ता ने दिये हैं उसका जवाब मिनिस्टर महोदय देंगे और उसी में करीब-करीब समय हो जायगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या इसके माने यह समझे जायं कि सदन के जो दूसरे सदस्य हैं वे सदन से बाहर चले जायँ और मिनिस्टर साहब, जिनसे यह सवाल पूछा गया है वे ही यहाँ बैठे रहें ?

श्री उपाध्यक्ष—बाहर जाने का सवाल नहीं है। उनसे बहस होगी। बाहर जाने का मतलब यह है कि हाउस के नोटिस में नहीं लाना होगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—डिस्कशन का लिट्रेरी मीनिंग क्या होता है, यह डिक्शनेरी मंगवाकर कर देख लिया जाय। डिस्कशन का लिट्रेरी मीनिंग यह है कि सवाल उठाया जाय, उस पर बहस हो और बाद में सम्बन्धित मन्त्री उसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष—हाफ एन अवर डिस्कशन का समय पूछने वाले सदस्य ने कुछ कम (समय) लिया है इसलिए यह प्रश्न पैदा हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे इस भरोसे रह गये कि दूसरों को भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इस सम्बन्ध में साधारण तौर पर कोई विशेष व्यक्ति मेम्बर्स मेंसे जो फेक्ट्स एन्ड फिगर्स की जानकारी रखते हों तो वे हाउस के सामने रखें। मिनिस्टर उत्तर देने में कितना समय लेंगे ?

("१५ मिनिट" इस प्रकार की आवाज)

हाफ एन अवर से यह एक्सटेन्ड नहीं होगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of Order, Sir,

मैं सबमिट करता हूँ कि यह हमारी विधान सभा के लिए नई बात जरूर है, किन्तु दूसरी विधान सभाओं के लिए यह नई बात नहीं है। यदि उपाध्यक्षजी को इस वक्त मालूम न हो तो कम से कम सेक्रेटरी को या महकमे के जो कर्मचारी हैं उनको तो कुछ मालूम होना चाहिए कि दूसरी जगह क्या होता है ? जहाँ तक पालियामेंट का सवाल है और जहाँ कि मुझे देखने का मौका मिला है इस प्रकार के हाफ एन अवर डिस्कशन में सभी हिस्सा लेते हैं और सम्बन्धित मन्त्री जवाब देते हैं। लेकिन इतने समय में, सूक्ष्म रूप में अपने विचार प्रकट करते हैं और रोशनी डालते हैं और बाद में मन्त्री जवाब दे देते हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—On a point of order,sir,I wish to draw attention of the Chair to the Rules of Procedure of the House in this connection. Rule 43 (5)......

श्री उपाध्यक्ष—उसी सिलसिले में मैं कह रहा था।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Yes, Sir, only those members can take part in the discussions who have previously given intimation to do so to the Speaker. If any member has not given such previous notice of his intention to the Deputy Speaker he cannot be permitted. This is the rule and it is very clear and specific and there cannot be any speculation about the practice in the Parliament......

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a point of order or a speech ?

श्री वेदपाल त्यागी—Mr. Deputy Speaker, Sir, I wish to draw your attention to the proviso to sub-rule (2) of Rule 43:

"Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating the reasons for raising discussion on the matter in question :

Provided further that the notice shall be supported by the signatures of at least two other members.

Provided further that the Speaker may with the consent of the Minister concerned waive the requirement concerning the period of notice."

Now it is within the competence of the Deputy Speaker that he can waive the limitation of notice.

विश्वम्भरनाथ जोशी—But, Sir, this right of waiving applies to the notice that is required to be given under sub-clause (2) and not under sub-clause (5) which I have referred to here and which is relevant here.

श्री उपाध्यक्ष—No further discussion. I was allowing some members who are in possession of facts and who want to illustrate, because it would not be a general discussion and there will not be much time.

So only one or two members, within this short time, should make a statement on facts. I allow them to speak, though normally under the existing

[श्री उपाध्यक्ष]

provision there is nothing by which they may be allowed; they should be brief.

श्री गोपीलाल यादव—(श्री मुक्तिलाल मोदी के लिए) ये माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी रखते हैं, इनको बोलने दिया जाय।

श्री शंभूसिंह--(श्री मुख्य मन्त्री के प्रस्ताव के प्रसंग में) I am in possession of of the House and I shall request the Chair to......

श्री उपाध्यक्ष—Order ! I did not allow Shri Shambhu Singh to speak when he being distant from this subject is not in possession of facts. Mr. Modi.

(हँसी)

एक माननीय सदस्य—I would request the Chair to ask him (Shri Modi) to confine to the proper question.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I shall request the Chair to allow general discussion on the matter.

श्री उपाध्यक्ष—No, no. Order !

Shri Modi.

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, जो कूकस बीड़ के बारे में श्री नारायण चतुर्वेदी ने पहले प्रश्न किया था उस पर जो जवाब दिया गया था उसके बारे में मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि उसमें करीब ६० हजार पेड़ थे। उन साठ हजार पेड़ों से एक-एक पेड़ की कीमत, बम्बूल के पेड़ की कीमत ढाई सौ रुपये से कम नहीं है। सरकार ने वह सारा बीड़ ६० हजार रुपये में दे दिया। इस प्रकार इस बीड़ को ६० हजार रुपए में दे देने से सारा जयपुर और आसपास कूकस के लोग परेशान हैं, और उनका कहना है कि इस बीड़ के काट देने से आसपास के मवेशी और करीब ५ हजार आदमियों का गुजारा चलना बन्द हो गया है, और उन पेड़ों के रहने से जो बरसात होती थी, वह भी नहीं हो रही है। उन पेड़ों से सारा जंगल पटा हुआ था, उस समय बरसात भी काफी होती थी। आज उन पेड़ों के काट देने से सारी जमीन सूखी ही सूखी नजर आती है। आज जब कि सारे हिन्दुस्तान में 'पेड़ लगाओ' आन्दोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ हमारी सरकार इस प्रकार पेड़ों को काटने की इजाजत देती जा रही है ! आज पेड़ लगाओ 'आन्दोलन' में लाखों

[श्री मुक्तीलाल मोदी]

रुपया खर्च किया जाता है और बड़े-बड़े अफसरों को इसके लिये रखा जाता है। जब कि यह बीड़ सरकार के अन्दर था तो सरकार ने उसको काटने के लिए क्यों इजाजत दी? मेरे मित्र तो इस जंगल की कीमत १ करोड़ और ५० लाख तक बताते हैं, किन्तु मैंने इतना अन्दाज लगाया नहीं। मैं आपको सही केलकूलेशन बताता हूँ कि डेढ़ दो लाख रुपए की आमदनी इससे हो सकती थी, किन्तु इसके बावजूद भी सरकारी अधिकारी ने, जिसने यह कार्य किया उसके खिलाफ इन्क्वायरी की जाय; अगर इसमें किसी मिनिस्टर का या किसी अफसर का हाथ हो तो उसको सजा दी जानी चाहिए और जब तक यह चीज नहीं होगी तब तक कोई भी कानून जो यहाँ बनते हैं वे कानून सारहीन ही रहेंगे। जब कि इतने बड़े बीड़ को काट देना और जिससे मवेशिये भूखों मर रही हैं, जिससे कि जनता काफी परेशान है उसको रोकने की कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह हमारे लिए शोभा की बात नहीं है। अभी पाँच छः रोज पहले इतने बड़े-बड़े और हरे-हरे पेड़ काटे गए हैं जिससे सारा जंगल बिना वृक्षों के दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं हाउस के मेम्बरों से नम्र निवेदन करूँगा कि श्री नारायण चतुर्वेदी ने जो ८
प्रश्न रखा है उस पर पूरी जाँच करवाई जाय और उस जाँच की रिपोर्ट को हाउस की टेबल पर रखा जाय।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, मेरी कान्सटीटूएन्सी से इसका ताल्लुक है इसलिए मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री नारायण चतुर्वेदी ने जो बात रखी है वह कुछ हद तक मान्य हो सकती थी और उसकी जाँच कराई जाय। किन्तु जो बातें मेरे मित्र, जो देराठ तहसील से आए हैं उन्होंने तथ्यहीन बातें सदन के सामने रखी हैं। मुझे यह आवश्यक मालूम हुआ कि मैं उन बातों को ठीक तौर से आपके सामने रखूँ क्योंकि यह बीड़ मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी में आता है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आप एक जागीरदार हैं, इसलिए आप जागीरदारों की तरफदारी कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—मैं जागीरदार हूँ और साथ ही उनका पड़ोसी भी, इसलिए मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आज जो ये सब बातें की गई हैं वह एक प्रकार से हमारे डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य है कि मन्त्री लोगों से हरेक मर्जीदान उनसे कुछ न कुछ पॉवर्स लेना चाहते हैं। जब उनको वे पावर्स नहीं मिलते है तो उनका इस प्रकार से पीछा किया जाता है नाजायज तौर से। जो फोरेस्ट के सिद्धान्त को नहीं जानता वह क्या इस सम्बन्ध में कह सकता है...

श्री मुक्तीलाल मोदी—मैं मन्त्रीजी से कभी इस बारे में नहीं मिला हूँ।

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) फोरेस्ट का जो सिद्धान्त है उस से माननीय मित्र परिचित नहीं है। जो जंगल खड़े किए जाते हैं वे काटने के लिए किए जाते हैं। जब पेड़ ज्यादा पुराने हो जाते हैं तो उनको काटना आवश्यक हो जाता है और उनके स्थान पर नये पेड़ खड़े किए जाते हैं, इससे फोरेस्ट को कोई नुकसान नहीं होता। इस प्रकार की बातें कहना गलत

[श्री मानसिंह महार]

है। मुझे इस चीज का मालूम है कि तीन चार महाजन इस बात के लिए उत्सुक थे कि यह पेड़ हमको बेचे जांय। उनमें से एक-दो तो मेरे पास आये थे और उन्होंने मुझ से कहा, आप हमें यह ठेका दिलवाइये, आप इसमें दिलचस्पी लीजिए और यह प्रश्न सदन में भी उठाइये। मैंने उन्हें यह स्पष्ट जवाब दिया कि भाई, यह बात नावाजिब है; एक दफा ठेका हो चुका उसके बाद आप कहते हैं कि वह हमें दिलवा दीजिए। मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि इस बीड़ के बिकने के बाद आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया, न तो सरकार के पास और न जागीरदार के पास जिसने यह आकर कहा है कि हमें यह बीड़ दे, दो हम इसके लिए दो लाख रुपए दे देंगे, चार लाख दे देंगे। आप कह सकते हैं वह पचास लाख रुपए की संपत्ति है, डेढ़ करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति उनके पास नहीं आया जो उसके लिए दो लाख या चार लाख रुपया दे। यह जो इतना शोर गुल किया जाता है कि यह डेढ़ करोड़ की सम्पत्ति थी, मैं यह कहता हूँ जो व्यक्ति डेढ़ करोड़ की सम्पत्ति कहते हैं अगर वे उसके लिए ७५ लाख भी देने को तैयार हों तो मैं जागीरदार को कह सकता हूँ और ठेकेदार को हरजाना दिलवा दूँगा और सरकार से भी इस बात की कोशिश करूँगा कि वह बीड़ आपको दिलवा दें।

एक माननीय सदस्य—शायद सरकार इनके ही हाथ में है।

श्री मानसिंह महार—जब राजस्थान सरकार के पास ७५ लाख रुपये आयेंगे तो वे इस बात को जरूर मन्जूर कर लेंगे, ऐसी मूर्ख सरकार नहीं है। इसमें एक बात और कही गई कि इस बीड़ में एक-एक पेड़ ढाई-ढाई सौ रुपये का है यह भी ठीक नहीं है। आप तो चाहे जो कुछ कह सकते हैं। हजार के पेड़ भी हो सकते हैं किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, is general discussion permitted or only giving or seeking information ?

श्री मानसिंह महार—I am giving information, Sir, to the House.

श्री उपाध्यक्ष—There is not much time please.

श्री मानसिंह महार—One minute, Sir, माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रकार इस कुकस बीड़ के मामले को तूल तबील किया जा रहा है, इसकी सरकार जाँच करवायेगी। सरकार की जाँच के बाद अगर यह पता चले कि जागीरदार ने गलती की है तो उसको सजा दे, किन्तु जो तथ्यहीन बातें कहकर सदन में जो गलत वातावरण पैदा किया जा रहा है कि डेढ़ करोड़ की सम्पत्ति को पचास हजार में दे दिया गया सरासर गलत है।

और यह कहते हुए मैं यह कहूँगा कि सरकार को इस प्रकार की डेढ़ करोड़ की बातों में नहीं बहना चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want only three or four questions which the Minister may clarify. The first question मैं जो चाहता हूँ, जिसका स्पष्ट उत्तर मिले वह यह है कि यह ठेका देने से पहले...

श्री उपाध्यक्ष—There will be no straight questions or answers. He (The Hon'ble Minister) will make a note and reply to it later on.

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले इस बात का स्पष्टतया उत्तर दिया जावे कि यह ठेका देने के पहले सरकार की मन्जूरी की आवश्यकता कानूनन थी अथवा नहीं और ऐसी मन्जूरी प्रदान की गई या प्रदान नहीं की गई ?

दूसरा इस बात का उत्तर दिया जावे कि जिस अधिकारी ने, जिस व्यक्ति ने, यह मन्जूरी प्रदान की उसको इस बात का ज्ञान था कि नहीं कि (चौथ) इस सरकार के पास आती है ? अगर ज्ञान था तो उस में जो प्रोसीज़र फॉलो किया गया उसकी छानबीन करने की कोशीश की या नहीं और अगर छानबीन की तो बगैर टेन्डर के, बगैर नोटिस के और बगैर सूचना के इस प्रकार का ठेका देने की सम्मत्ति उसने कैसे दी ?

तीसरा यह उत्तर चाहिए कि यह सूचना सदन में आने के बाद पहले तो माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि सरकार का उससे कोई लेना-देना नहीं है, पर बाद में जवाब दिया कि चौथ सरकार के पास आती है। पर सदन में वाद-विवाद होने के बाद इसकी जाँच करवाई है आपने या नहीं और करवाई तो क्या आदेश दिया ? बाद में बदला है उस ठेके को या एग्जेम्प्ट करने के लिए कोशिश की है या नहीं ? इन सारी चीजों का उत्तर मिल जावे और जो जिम्मेदार हैं इस गड़बड़ के लिए उनको क्या सजा दी, इसको आप और साफ करें।

एक माननीय सदस्य—क्या ये चार ही बातें हैं आपकी या और भी हैं कोई पाँचवीं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—बन्धन नहीं है किन्हीं चार या पाँच का।

श्री उपाध्यक्ष—श्री वन-मन्त्री।

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, जिस दिन यह प्रश्न आया था उस दिन मेरे पास उसकी पूरी डिटेल नहीं आने के कारण मैं उसका जवाब डिटेल में नहीं दे सका था।

इसके बाद इस जवाब पर जो सप्लीमेंट्री प्रश्न हुए उसका जो जवाब मैंने दिया पहले वह यह था कि जंगल जागीरदार का है राज्य का नहीं है; इसलिए उसके बेचने या लेने का अधिकार जागीरदार का ही है, राज्य का नहीं था। पर, जब और सप्लीमेंट्री किए गए और मैंने अपने कागजों की बाद में डिटेल देखी तो उसमें यह बात थी कि इसने १/४ रकम जागीरदार को चौथाई के तौर पर सरकार को देनी होगी। इसलिए मुझे इसके लिए खेद है कि उस दिन लोगों का

[श्री अमृतलाल यादव]

जो खयाल हुआ वह इस वजह से हुआ कि ऊपर तो यह कह दिया कि यह जागीरदार का है और राज्य का कोई सम्बन्ध नहीं और नीचे जब दूसरा सवाल पूछा तो यह कहा कि चौथान राज्य को दी जाती है'। मैं स्वीकार करता हूँ कि उस दिन मुझे यह बात नहीं मालूम थी और सप्लीमेंटरी के कागजों में वह मिली।

तो यह एक वायस बना, इस प्रश्न के वाद-विवाद को उठाने का। इसके बाद जब यह प्रश्न उठा हाफ एन अवर का तो मैंने उस केस की डिटेल मंगाई, फाइलें मंगाई और एन्क्वायरी की इस सारे मामले की। इस बीच मुझे जरूरी काम से जो ऑल इण्डिया स्टेट रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर्स कॉन्फरेन्स श्रीनगर में हुई थी और जिसके लिए मेरा प्रोग्राम बन चुका था, जाना पड़ा और इसके बाद में वह हाफ एन अवर के डिस्कशन की माँग की गई थी, जिसके लिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी जवाब देने को तैयार थे, लेकिन उस दिन वह नहीं हुआ और इसके बाद जब मैं आया; मुझे इत्तला मिली हाफ एन आवर के डिस्कशन की। सदन इस पर हाफ एन आवर का डिस्कशन करना चाहता है तो मैंने कहा कि शौक से किया जाय, कोई तारीख फिक्स करदी जावे। इसकी तारीख आगे फिक्स हुई।

इस बीच में जाँच भी पूरी कर चुका हूँ और आज इस स्थिति में हूँ कि जो माननीय सदस्य ने कहा है उसकी भी जानकारी और उससे विशेष भी जानकारी मेरे पास है। वह पूरी और सही जानकारी मैं अभी सदन को देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे माननीय सदस्य को संतोष होगा।

श्री नारायण चतुर्वेदी ने कहा, यह बहुत बड़ा जंगल था जिसके दरख्तों को कीमत लगभग ए६ लाख आँकी गई थी और जिसे केवल पचास हजार में ही दे दिया गया।

श्री मुक्तिलाल ने कहा कि साठ हजार में वह दिया गया, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए कह दूं और अन्य माननीय सदस्यों के बोलने से भी उनको मालूम हुआ होगा कि वह ६० हजार में नहीं पचास हजार में गया है और भी उन्होंने कहा कि उसकी एक करोड़ पचास लाख की कीमत लगभग है और एक एक पेड़ की कीमत २५० और २०० रुपया है। यह सब तो, मैं समझता हूँ कि, वह ज्यादा इसके एक्सपर्ट हैं इसलिये जान सकते हैं, लेकिन इसका तो सीधा उपाय यह है कि लकड़ी बाजार में आकर यहाँ बिकती है और इसमें एक पेड़ की लकड़ी जितने मन होती है उसको आप एक गाड़ी में रख कर यहाँ बाजार में ला सकते हैं और उसको फिर बेचा जा सकता है और वह अगर मंहगी से मंहगी भाव पर बिके तो उससे यह बात साफ हो सकती है और उसकी कीमत निकल आती है।

रही यह बात कहने की कैसे उन्होंने कहा, कि वहाँ के मवेशी और जनता इससे भूखों मर

[श्री अमृतलाल यादव]

रहे हैं और पेड़ काटने से बरसात भी बन्द हो गई है, और इस तरह से उनकी दया नहीं देखी जाती है तो मैं इसका क्या जवाब दूं। पानी बरसा था अभी तो। पेड़ कटने से पानी बरसना बन्द नहीं हुआ। यह बात जरूर है कि जयपुर में तीन-चार दिन से पानी नहीं बरस रहा है तो अभी वहाँ भी नहीं बरस रहा है। तो इसका तो इससे कोई सम्बन्ध आता नहीं है।

अब इसका जहाँ तक काटने का सवाल है और श्री एच. के. ने जो ४ सवाल कहे हैं उन का जवाब देना पसन्द करूंगा और टू दी पोइन्ट जवाब देना पसन्द करूंगा। असलियत यह है कि यह जो कूकस का जंगल है वह वहाँ के एक जागीरदार कानसिंहजी का जंगल है। इसमें जो जंगल है वह दो तरह का है। एक तो है शिकारगाह यानि हिली एरिया जिसके अन्दर कि शिकार के लिए ओदियाँ आदि बनी हैं और वह शिकार के लिए प्रीज़र्व किया गया था और दूसरा है प्लेन एरिया जिसमें इस तरह के जंगल का हिस्सा नहीं है। यह बनी नम्बर ३ और शिकारगाह का जंगल बनी नं० २ कहलाते हैं।

यह जंगल जिन जागीरदार का है उनके साथ जयपुर गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ है कि यह जागीरदार का जंगल होगा और इस जंगल को जो वह एक्सप्लोइट करेगा तो उसको १/४ हिस्सा एग्रीमेंट में चौथान जिसे कहा है, जिसका अर्थ लेवी होता है, राज्य में जमा करावेगा और १८८६ तक यह लेवी तहसील में जमा होती रही और इसके बाद यह मामला चला कि यह फोरेस्ट में जमा होनी चाहिए, तहसील में नहीं; तो सन् १८८६ में यह तय हुआ कि यह लेवी आगे से फोरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा हो और इसके बाद से यह चौथान की रकम इसमें जमा होती रही।

१९५२ में एक एप्लीकेशन जागीरदार की आई कि मैं इसको एक्सप्लोइट करना चाहता हूं। पचास हजार में ठेकेदार को दिया है और १६ हजार रुपया उससे लिया है डिपोजिट में। इसकी इजाजत गवर्नमेंट से चाहता हूँ। इसके दो कारण थे; एक तो यह कि चौथान गवर्नमेंट में आती है और दूसरा यह कि ट्रीज़ रिमूवल आॉर्डिनेन्स के मातहत भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है।

इसके तहत वह एप्लीकेशन गवर्नमेंट में आई थी। जिसकी अधिकारियों द्वारा बकायदा जांच कर, बाद सरकार यह मान गई कि ५० हजार रुपये जो मिले हैं वह ५० हजार रुपये रीजेनेबल हैं, वाजिब है, गैरवाजिब हों तो किस आधार पर ? हमने देखा है कि जिस तरह दूसरे फारेस्ट एक्सप्लायट होते हैं; उनकी जो रकम आती है कितना एरिया है, कैसा माल है, कैसे ट्रीज होते हैं उस तरह हर प्वाइन्ट ऑफ व्यू से देखकर उसको रीजनेबल माना। जहाँ तक इसका......

श्री हरिकृष्ण व्यास—स्पेसिफिक इसका उत्तर दीजिए कि डिक्लेरेशन ऑफ टेन्डर (declaration of tender) क्यों नहीं किया ? टेन्डर इनवाइट क्यों नहीं किए ?

श्री अमृतलाल यादव—आप सब्र कीजिये।

हमने, गवर्नमेंट ने इजाजत दी तो इस बात के जो नियम गवर्नमेंट फॉरेस्ट के एक्सप्लायट करने के वक्त कन्ट्रैक्टर से पालन कराये जाते हैं वे नियम इस फोरेस्ट में पालन कराये गए हैं एकोर्डिंग टू दी ट्रीज़ रिमूवल ऑर्डीनेन्स के, और रूल्स का मतलब यह है कि जैसे पीपल का पेड़ है उसको नहीं काट सकते, महुए के पेड़ को नहीं काट सकते, इस हद तक नहीं काट सकते हैं जो उनकी टेक्नीक है उस हिसाब से वह नियम पालन कराये गए हैं।

यह भी कहा गया है कि एक तरफ तो वन-महोत्सव मनाते हैं और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में पेड़ काट रहे हैं; तो इसके लिए मेरा यह अर्ज करना है कि फोरेस्ट केवल राजस्थान में ही नहीं फोरेस्ट केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं है, फोरेस्ट सारी दुनिया में हैं; जिसका सब जगह एक स्टेन्डर्ड है टेक्नीक है फोरेस्ट को एक्सप्लॉयट करने का सारा वर्किंग प्लान होकर उसके कूप बनाना चाहिए। एक एरिया होता है पेड़ की उम्र देख कर बनाते हैं तो उस टेक्नीक के मुताबिक काटने की इजाजत देते हैं। इस तरह से सारी दुनिया में, सारे देशों में एक्स्प्लायट होते हैं, वह यहाँ भी होते हैं। इसमें इसका वन-महोत्सव का सवाल डालना मुनासिब नहीं है। जिस तरह की फसल होती है एक साल में दो फसलें होती हैं, उसी तरह फोरेस्ट भी एक फसल है और वह फसल उस तरीके से ली जाती है। वह एक स्टेन्डर्ड का तरीका है, माननीय उपाध्यक्ष, फोरेस्ट को एक्स्प्लायट करने का। अब इसमें यह एक ऑब्जेक्शन माननीय सदस्य ने उठाया है कि गवर्नमेंट का इसमें इन्ट्रेस्ट था, तो इसको क्यों एक आदमी को दिया, उसका ऑक्शन क्यों नहीं किया गया, गवर्नमेंट जो फोरेस्ट के कूप्स देती है तो ऑक्शन के जरिये देती है तो इसका आक्शन क्यों नहीं किया गया? इसके जवाब में मेरा यह निवेदन करना है कि उस एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास में मौजूद है जो कि जागीरदार और जयपुर स्टेट के बीच में हुआ था। उसमें यह लिखा हुआ है कि यह जो फोरेस्ट है वह जागीरदार की संपत्ति है और जागीरदार का इस पर हक है। गवर्नमेंट का यह फोरेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं है, सिवाय इसके कि १/४ हिस्सा वह गवर्नमेंट को दे। इसलिए वह जागीरदार का अधिकार था कि वह अपने फोरेस्ट को नीलाम करे और चाहे वह किसी एक व्यक्ति को दे दे। यह उसके अधिकार की बात थी। इसमें गवर्नमेंट के अधिकार का कोई सवाल पेश नहीं आता जिसकी वजह से गवर्नमेंट का दखल हो। यह बात जरूर है कि हमको एक चौथाई रुपया मिलता है। उसको जो ठेका दिया गया है वह हमारे तरीके से वाजिब है। जब शिकायतें आई तो उसके बाद में सी. सी. एफ. और डी. एफ. ओ. जो अधिकारी हैं उनको भेजा और भेजकर इस बात की एन्क्वायरी करवाई तो यह ५० हजार रुपया मुनासिब है। यह उनकी रिपोर्ट मिली कि यह रीज़नेबल है, मुनासिब है।

अब कहूँ........

श्री हरिकृष्ण व्यास—Just one question for clarification, उस एग्रीमेंट के तहत क्या यह शर्त नहीं लगा सकते थे कि अमुक-अमुक प्रोसीजर का खयाल करेंगे। वह बेचने की इजाजत है तो कैसे इल्लीगल होती?

Page No.80

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

टेन्डर मंगाने की और ऑक्शन करने की यदि शर्त लगा देते तो कौन-सी धारा के मुताबिक इल्लीगल होता ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, एग्रीमेंट की यह दो लाइनें पढ़ दूं जिससे कि यह साफ हो जायगा कि इसमें क्या पोजीशन है :—

"जो जमीन हरसे देहात है वो जमीन गो मुताबिक हुक्म महकमा आलिया वा अजरूए कब्जा इनकी है मगर लकड़ियों की चौथ तहसील में जमा कराते हैं इससे पैदावार लकड़ियों में हक मुश्तर्का साबित हो चुका यानी तीन हिस्से गाँव वालों के और एक हिस्सा राज का तहसील में बइसाल व अफजूनी जेरे चौथ कारवाई हस्ब कायदा जंगलात होना मुमकिन नहीं है। आयन्द अलावा हद चनी दर्जा दोयम बाकी मांदा जमीन जंगल हरसे देह भी दर्जा सोयम में मुतसव्विर होकर और कारवाई कटाई व फरोख्तगी दरख्तान हस्ब कायदा जंगलात होकर मिजन जुमला जमा बिचौती के तीन हिस्से गाँव वालों को मिलता रहे और एक हिस्सा महकमा जंगलात में जमा होता रहे तो मुनासिब है कि और तहसील में इन गाँवों की चौथ लकड़ी न ली जाया करे कि इससे पैदावार का अफजूनी जमा लकड़ियों की व बन्दोबस्त करार वाकई रहने की उम्मीद और इसमें राज व रियाया दोनों को फायदा पहुँचना मुतसव्विर है और गाँव वालों को बदस्तूर काश्त व चराई मवेशियान व कटाई घास व पाला पानी का कुल इख्तयार इसमें जमीन दर्जा सोयम में तीनों दिया जावे।"

श्री हरिकृष्ण व्यास—That proves my point.

श्री अमृतलाल यादव—कई मेम्बर यह कहेंगे कि जब उनका कहना है कि वह रीज़नेबल था तो जो दरख्वास्त आई वह दरख्वास्त ज्यादा रुपये की थी तो गवर्नमेंट ने क्यों नहीं मन्जूर की। वह दरख्वास्त भी, माननीय उपाध्यक्ष, मेरे पास मौजूद है जिसमें यह लिखा है:—

"श्रीमान् मिनिस्टर महोदय

वन-विभाग, राजस्थान सरकार,

जयपुर।

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी निम्नलिखित आवेदन करता है :—

यह कि कूकस ग्राम तहत तहसील आमेर जिला जयपुर के पास एक अर्ध सरकारी जंगल है, जिस पर कदीम से वन-विभाग का कब्जा है और देख-भाल ठेका वगैरह सब वन-विभाग ही करता आया है।

[श्री अमृतलाल यादव]

यह कि ऐसा मालूम हुआ कि ठिकाना कूकस ने अर्ध सरकारी वन होते हुए भी इस वन का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया और पता नहीं किस आधार पर वन विभाग के कर्मचारियों ने भी इसकी सिफारिश सरकार के पास की है।

यह कि प्रार्थी भी ठेका जंगल वगैरह का कारोबार करता है और यह वन भी उसका देखा हुआ है और प्रार्थी को विश्वास है कि यदि यह वन नीलाम किया जावे तो कम से कम इसकी बोली ७००,०० रु० तक जा सकती है।

यह कि प्रार्थी को ऐसा मालूम हुआ है कि उक्त वन सरकार भी बिना नीलाम किए करीब ५०००० हजार रु० में ठेका स्वीकार कर रही है। यदि कारणवश नीलाम किया जाना मुनासिब न हो तो प्रार्थी उक्त ठेके की रकम से २०००० रु० ज्यादा देने को तैयार है।

अतः प्रार्थना है कि या तो कूकस का वन अन्य वनों की तरह नीलाम किया जावे, जिससे प्रार्थी व अन्य को भी बोली लगाने का मोका मिले और सरकार की आमदनी भी बढ़ जावे, अन्यथा प्रार्थी को उक्त ठेकेदार की रकम से अधिक पर यह ठेका दिया जावे।

प्रार्थी

एन. एन. मुकर्जी

दिनाँक १९-११-५३.

नमक की मन्डी के सामने अजमेरी गेट,

जयपुर।"

माननीय उपाध्यक्ष, मेरा निवेदन यह है कि यह दर्ख्वास्त उसने जागीरदार के यहाँ न देकर गवर्नमेंट के यहाँ दी और यह एग्रीमेंट हो चुका था, ठेका दिया जा चुका था और लगभग सब काम हो चुका था। उसके बाद में यह दर्ख्वास्त दी। फिर दरख्वास्तों का कायदा है कि उसके साथ आवश्यक सिक्योरिटी डिपोजिट करना चाहिये, नहीं तो वह दरख्वास्त एन्टरटेन नहीं की जा सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On point of information, Sir, ऑक्शन होने के पहले ऑक्शन का डिसीजन दिलवाने के लिए दर्ख्वास्त दी जाती है, उसके साथ सिक्योरिटी देनी पड़ती है या ऑक्शन का डिसीजन होने के बाद ऑक्शन के सिलसिले में सिक्योरिटी देनी पड़ती है।

श्री अमृतलाल यादव—जो दर्ख्वास्त के साथ......

हरिकृष्ण व्यास—कौन-सी दरख्वास्त ?

(घंटी)

श्री अमृतलाल यादव—इस दरख्वास्त के साथ सिक्योरिटी डिपोज़िट देना चाहिए था। इस तरह से दरख्वास्त गवर्नमेंट के महकमे को भेजी गई, वह गवर्नमेंट ने ऐन्टरटेन नहीं की। इस प्रकार की दर्ख्वास्तें जो आती हैं वह इस बात की होती हैं गवर्नमेंट के जो फोरेस्ट कन्ट्राक्टर्स होते हैं वे गवर्नमेंट के खिलाफ एक रिंग फार्म करते हैं या एक दूसरे से इस प्रकार की जेलेसी रखते हैं और इस प्रकार की चीजें होती हैं कि जिसको वजह से एक दूसरे को परेशान या तंग करते हैं। यह माना कि गवर्नमेंट का इन्ट्रेस्ट है कि पांच रुपये ज्यादा मिलते हैं तो गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं होता है, लेकिन इस दर्ख्वास्त के साथ जब सिक्योरिटी नहीं आई तो उसकी उस दर्ख्वास्त को फिजूल समझा गया और उस दरख्वास्त को फाइल कर दिया गया। इसके बाद......

श्री हरिकृष्ण व्यास—Was he asked to deposit ?

(घंटी)

क्या उससे कहा गया कि सिक्योरिटी जमा करो।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—Order ! He was not asked, it is said.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—On a point of order, Sir, will the Member not have the patience to hear the full reply ?

श्री उपाध्यक्ष—Let him complete the reply and then you can form any opinion you like.

श्री अमृतलाल यादव—इस तरह से वह दर्ख्वास्त आने के बाद फिर दुबारा देखा गया और आज के रेटस के मुताबिक देखा गया और उसकी रिपोर्ट मुझे मिली है कि जो ट्रीज़ काफी उम्र के हो चुके थे, जो कूप के मुताबिक काटने के लिए ठीक हैं तो महज जागीरदार को इस वजह से नहीं काटने दिया जाय कि वह जागीरदार हैं, यह उचित नहीं। जब कि जयपुर स्टेट और जागीरदार के बीच में एग्रीमेंट मौजूद था चौथान का, उस दिन जब कि प्रश्न किया गया तो यह भी मुझे नहीं मालूम था कि चौथान जमा कराई है या नहीं। लेकिन उसके बाद में मालूम किया कि हमारा जो कुछ निकलता था वह चौथान को रकम उसने जमा करा दी है और उस पर हमारी रकम बाकी नहीं है। जहाँ तक फोरेस्ट के एक्सप्लायट करने का सवाल है वह फोरेस्ट के रूल्स के मुताबिक एक्सप्लायट हो रहा है, वह उसके पाबन्द किए गए है और जहाँ उसको रोकने का सवाल है वह उसको जब तक उसके साथ मीए-

[श्री अमृतलाल यादव]

मेंट है और जहाँ तक जागीर रिज्यूम नहीं हो जाती है, रोकने का सवाल आता नहीं है। जागीर रिजम्प्शन के बाद जितने जंगल जागीर के थे वे खालसे में आवेंगे और उन सबके ऊपर वर्किंग प्लान लागू होगा। इसके ऊपर भी वही तरीका लागू होगा। जो फैक्टस थे उनको सदन की सेवा में मैंने निवेदन किया है। मैं समझता हूँ कि काफी प्रकाश डाला जा चुका है कि और जो वाजिब जानकारी दी जानी चाहिए थी वह दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष—आज सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कल के लिए जो नोटिस था कि कल भी सदन की बैठक होगी वह मुल्तवी कर दिया गया है। सटरडे को कोई अधिवेशन नहीं होगा। आगामी बैठक मन्डे (सोमवार) को प्रातःकाल ८ बजे होगी।

कई माननीय सदस्य—सोमवार को चार बजे रखिये।

श्री उपाध्यक्ष—जब लम्बी छुट्टियाँ आती हैं और मेम्बरों को बाहर से आना होता है तब ४ बजे का रखा जाता है। सोमवार को ८ बजे का ही समय रहेगा।

(तत्पश्चात् सदन की बैठक १२ बज कर ४० मिनट मध्यान्होत्तर पर, सोमवार दिनांक २ अगस्त को प्रातःकाल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—३० जुलाई, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।